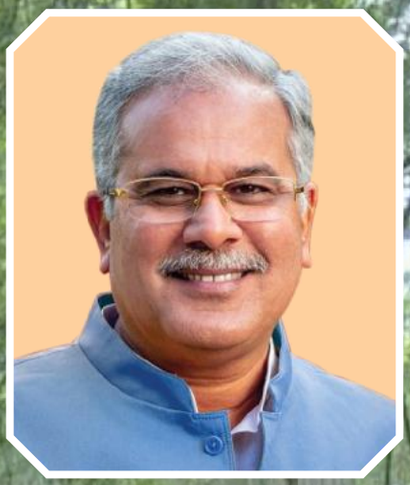

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

श्री मोहम्मद अकबर
मान. वनमंत्री, छत्तीसगढ शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2019-20

छत्तीसगढ़ शासन – वन विभाग
2019–20

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लघु वनोपज उत्पाद का अवलोकन करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामुदायिक वन प्रबंधन एवं सतत् जीवकोपार्जन विषय पर कार्यशाला करते हुए

दिनांक 05-10-2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नंदनवन जू का लोकार्पण करते हुये

माननीय वनमंत्री जी द्वारा जंगल सफारी का निरीक्षण

विभागीय वनरोपणी में पौधा तैयारी

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्री	:	**श्री मोहम्मद अकबर**

सचिवालय

प्रमुख सचिव	:	**श्री मनोज कुमार पिंगुआ**
सचिव	:	**श्री जयसिंह म्हस्के**

विभागाध्यक्ष

प्रधान मुख्य वन संरक्षक	:	**श्री राकेश चतुर्वेदी**
अध्यक्ष छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड	:	**श्री राकेश चतुर्वेदी**
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक)	:	**श्री अतुल कुमार शुक्ल**
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	:	**श्री राजेश गोवर्धन**
प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	:	**श्री संजय शुक्ला**
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	:	**श्री पी.व्ही. नरसिंग राव**
संचालक छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	:	**श्री पी.सी. पाण्डेय**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड	:	**श्री जे.ए.सी.एस. राव**

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्र.
1	मंत्रालय / विभागाध्यक्ष कार्यालय की जानकारी	
	भाग - एक	
2	विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय	1–6
3	विभाग के दायित्व	7
4	विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएं, महत्वपूर्ण सांख्यिकी एवं छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम – 2011	7–13
5	छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति – 2001	14
6	विकास एवं योजना	15–22
7	कैम्पा	23–43
8	संरक्षण	44–47
9	संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण	48–62
10	बांस मिशन	63–66
11	भू–प्रबंध	67
12	उत्पादन	68–69
13	अनुसंधान एवं विस्तार	70–76
14	मानव संसाधन विकास	77–79
15	सूचना प्रौद्योगिकी	80–81
16	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली	82–83
17	सतर्कता एवं शिकायत	84–85
18	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	86–91
19	कार्य आयोजना	92
20	वित्त–बजट	93
21	राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	94–103
	भाग - दो	
22	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण	104–120
	भाग - तीन	
23	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित	121–128
	भाग - चार	
24	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित	129–145
	भाग - पांच	
25	छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड	146–153
	भाग - छः	
26	छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड	154–156

भाग – एक

2. विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय

वन विभाग के समस्त प्रशासकीय एवं तकनीकी कार्यालयों का संचालन प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से होता है। मुख्यालय स्तर पर प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है :–

2.1 वन मुख्यालय (अरण्य भवन) नवा रायपुर अटल नगर में पदस्थ/प्रभारी अधिकारियों का विवरण

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री राकेश चतुर्वेदी (1985)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ रायपुर	26.02.2019	
2	श्री अतुल कुमार शुक्ल (1986)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), छत्तीसगढ़ रायपुर	26.08.2019	
3	श्री पी.व्ही.नरसिंग राव (1987)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना), छत्तीसगढ़ रायपुर	06.02.2020	
4	श्री देबाशीष दास (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) छत्तीसगढ़ रायपुर	15.09.2016	
5	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़ रायपुर	23.08.2019	
6	श्री के. मुरूगन (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं नीति विश्लेषण), छत्तीसगढ़ रायपुर	11.05.2018	
7	श्री एस.के.सिंह (1987)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ रायपुर	11.02.2020	
8	श्री सुधीर कुमार अग्रवाल (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम) छत्तीसगढ़ रायपुर	26.02.2019	
9	श्री यूनुस अली (1988)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन विकास/सूचना प्रौद्योगिकी) छ.ग. रायपुर	26.02.2019	
10	श्री तपेश कुमार झा (1989)	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक (विकास योजना), छ.ग. रायपुर	26.02.2019	
11	श्री व्ही. श्रीनिवास राव (1990)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) छत्तीसगढ़ रायपुर	27.08.2018	
12	श्रीमती अनिता नंदी (1991)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.), छत्तीसगढ़ रायपुर	06.10.2018	
13	श्री कौशलेन्द्र कुमार (1992)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुश्रवण/मूल्यांकन) छत्तीसगढ़ रायपुर	07.02.2020	
14	श्री अरुण कुमार पाण्डेय् (1994)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ रायपुर	07.02.2020	
15	श्री सुनील कुमार मिश्रा (1994)	प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छत्तीसगढ़ रायपुर	23.08.2019	
16	श्री प्रेम कुमार (1994)	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता शिकायत) छत्तीसगढ़ रायपुर	23.08.2019	
17	श्री ओम प्रकाश यादव (1995)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) छत्तीसगढ़ रायपुर	08.10.2018	

क्रं.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
19	श्री अनुराग श्रीवास्तव (2003)	वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	10.10.2019	
20	श्री नावेद शुजाउद्दीन (2004)	वन संरक्षक (विकास/योजना), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	23.08.2019	
21	श्री एस. जगदीशन (2005)	वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	13.12.2019	
22	श्री एस. जगदीशन अति. प्रभार में	वन संरक्षक (उत्पादन), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	06.02.2020	
23	श्री एस. वेंकटाचलम (2005)	वन संरक्षक, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. रायपुर	13.12.2019	
24	श्री राजु अगसिमनि (2006)	वन संरक्षक सह उप वन संरक्षक, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल, कार्या. प्र.मु.व.सं., छ.ग. रायपुर	06.10.2018	
25	श्री विश्वेस कुमार झा (2007)	उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), नवा रायपुर अटल नगर	15.10.2018	
	अध्ययन अवकाश पर			
26	श्रीमती प्रणीता पाल (2001)	मुख्य वन संरक्षक (अध्ययन अवकाश पर)		
27	श्री राजेश कल्लाजे (2001)	मुख्य वन संरक्षक (अध्ययन अवकाश पर)		
28	श्री अभिषेक कुमार सिंह (2009)	उप वन संरक्षक (अध्ययन अवकाश पर)		

वन मुख्यालय (अरण्य भवन) रायपुर में पदस्थ सहायक वन संरक्षक अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	श्री आर.ए. पाठक	उप वन संरक्षक (रोकड़), कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	23.08.2019	
2	श्री चंद्रभान अग्रवाल	सहायक जनसूचना अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	19.03.2018	
3	श्री सुबीर चंद्र तिवारी	संपदा अधिकारी, कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	23.08.2019	
4	श्री डी.के.एस. मौर्य	सहायक वन संरक्षक (कैम्पा) कार्या. प्र.मु.व.सं. छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर	06.11.2019	

छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री पी.सी. पाण्डेय् (1987)	संचालक छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	05.02.2020	
2	श्री बी. विवेकानंद रेड्डी (2009)	प्रभारी वन संरक्षक एवं अपर संचालक (राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान) रायपुर	23.08.2019	
3	श्रीमती निर्मला खेस	सहायक वन संरक्षक (छ.ग. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान)	13.09.2017	

छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री जे.ए.सी.एस. राव (1987)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. राज्य वनौषधि पादप बोर्ड, रायपुर	06.02.2020	

छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड, नया रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	पदनाम	अधिकारी का नाम	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर रायपुर	श्री एम.टी. नंदी (1991)	23.08.2019	—
2	उप वन संरक्षक छ.ग. राज्य जैव विविधता बोर्ड, अटल नगर रायपुर	श्री पंकज राजपूत (2014)	23.08.2019	

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	पदस्थिति दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री संजय शुक्ला (1987)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	30.11.2019	
2	श्री बी. आनंद बाबू (1992)	अपर प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर	04.02.2020	

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर में पदस्थ अधिकारियों की सूची

अनु क्र.	अधिकारी का नाम	पदस्थापना	अवधि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री आर.के. गोवर्धन (1986)	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, रायपुर	26.08.2019	
2	श्री अनुप कुमार बिश्वास (1994)	कार्यकारी संचालक, छ.ग.राज्य वन विकास निगम, नवा रायपुर अटल नगर	07.02.2020	
3	डॉ. सोमा दास (2002)	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	02.01.2017	
4	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू (2013)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	23.08.2019	
5	श्री जे.आर. राठिया (2014)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	23.08.2019	
6	श्री रंगनाधा रामाकृष्णा वाय. (2015)	उप वन संरक्षक एवं संभागीय प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, रायपुर	23.08.2019	

2.2 स्वीकृत एवं कार्यरत् अधिकारियों का विवरण

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संवर्गीय पदों की संख्या	कार्यरत् पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	03	01
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	14	12	02
3	मुख्य वन संरक्षक	14	11 + 02 (अध्ययन अवकाश पर)	03
4	वन संरक्षक	22	10	12
5	उप वन संरक्षक	42	37 + 01(अध्ययन अवकाश पर) + 06 (प्रशिक्षण पर)	05
6	सहायक वन संरक्षक	189	147	42
7	संचालक, बजट	01	01	—
8	प्रशासनिक अधिकारी	02	00	02
9	स्टाफ आफिसर	01	00	01
10	लेखा अधिकारी	03	00	03
11	सांख्यिकी सहायक	03	—	03
12	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	02	01	01

2.3 वर्तमान में कार्यरत कार्यपालिक एवं लिपिकीय अमला

कार्यपालिका एवं लिपिकीय अमला

वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अमला निम्नानुसार है :-

क्रं.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वनक्षेत्रपाल	6	1	5	485	280	205
2	उप वनक्षेत्रपाल	0	0	0	650	537	113
3	वनपाल	0	0	0	1668	1557	111
4	वनरक्षक	5	4	1	4856	3995	861
	योग :-	**11**	**5**	**6**	**7659**	**6369**	**1290**
1	कार्यालय अधीक्षक	6	7	-1	7	6	1
2	लेखा अधीक्षक	10	8	2	7	6	1
3	मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड – 1	26	23	3	52	38	14
4	लेखापाल/सहायक ग्रेड – 2	52	35	17	521	470	51
5	सहायक ग्रेड – 3	58	49	9	709	587	122
6	वरिष्ठ निज सहायक	3	3	0	0	0	0
7	निज सहायक	16	14	2	14	14	0
8	शीघ्र लेखक	16	7	9	46	24	22
9	मानचित्रकार	7	4	3	90	44	46
10	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0
11	सहायक प्रोग्रामर	3	3	0	7	6	1
12	डाटा एन्ट्री आपरेटर	34	21	13	73	59	14

क्रं.	पदनाम	मुख्यालयीन अमला			मैदानी अमला		
		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6	7	8
13	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	0	0	0	2	0	2
14	सहायक निरीक्षक (प्रतिनियुक्ति पर)	0	0	0	7	0	7
15	सांख्यिकी सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)	2	0	2	0	0	0
16	पुलिस कांस्टेबल (प्रतिनियुक्ति पर)	0	0	0	28	0	28
17	वाहन चालक (संविदा)	0	0	0	28	0	28
18	लेखापाल (एस.ए.एस.) (प्रतिनियुक्ति पर)	3	2	1	0	0	0
19	सहायक लाईब्रेरियन	1	0	1	0	0	0
20	तकनीकी सहायक (वानिकी अनुसंधान)	3	3	0	0	0	0
21	लैब टेक्नीशियन (वानिकी अनुसंधान)	2	2	0	0	0	0
22	सांख्यिकी सहायक अधिकारी	1	0	1	0	0	0
23	अनुसंधान सहायक	6	0	6	0	0	0
24	स्टेनो टायपिस्ट	1	0	1	0	0	0
25	हल्का वाहन चालक	30	20	10	137	110	27
26	भारी वाहन चालक	1	0	1	132	83	49
27	शीघ्रलेखक (अंग्रेजी)	1	0	1	0	0	0
28	पी. टी. आई	0	0	0	3	2	1
29	पशु चिकित्सा कम्पाण्उण्डर	0	0	0	1	1	0
30	सुरपरवाईजर	2	2	0	0	0	0
	योग :-	**285**	**203**	**82**	**1864**	**1450**	**414**
1	कोटवार (दैनिक दर पर कार्यरत)	0	0	0	85	0	85
2	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर	0	0	0	35	31	4
3	भृत्य/चौकीदार/अर्दली	35	35	0	453	443	10
4	दफ्तरी	4	4	0	0	2	.2
5	जमादार	2	0	2	0	0	0
6	वन्यजीव परिचारक	0	0	0	4	0	4
7	ट्रक एवं ट्रैक्टर क्लीनर (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	123	13	110
8	स्वीपर (जिलाध्यक्ष दर पर)	5	0	5	55	7	48
9	चौकीदार (जिलाध्यक्ष दर पर)	0	0	0	407	28	379
	योग :-	**46**	**39**	**7**	**1162**	**524**	**638**
	कुल योग :-	**342**	**247**	**95**	**10685**	**8343**	**2342**
सांख्येत्तर							
1	वनरक्षक	0	0	0	350	187	0
2	वन चौकीदार	0	0	0	492	249	0
3	वायरलेस आपरेटर	0	0	0	161	142	0
4	भृत्य/चौकीदार	0	0	0	1412	844	0
	योग :-	**0**	**0**	**0**	**2415**	**1422**	**0**
	महायोग :-	**342**	**247**	**95**	**13100**	**9765**	**2342**

वन विभग की मैदानी ईकाइयाँ

क्षेत्रीय वन वृत्त

वन वृत्त रायपुर
- वन मंडल (5)
  1. रायपुर
  2. बलौदाबाजार
  3. गरियाबंद
  4. महासमुंद
  5. धमतरी

वन वृत्त दुर्ग
- वन मंडल (5)
  1. दुर्ग
  2. बालोद
  3. कवर्धा
  4. राजनांदगांव
  5. खैरागढ़

वन वृत्त बिलासपुर
- वन मंडल (9)
  1. बिलासपुर
  2. मुंगेली
  3. मरवाही
  4. कोरबा
  5. कटघोरा
  6. रायगढ़
  7. धरमजयगढ़
  8. जांजगीर-चांपा
  9. अनु. एवं विस्तार वनमंडल, बिलासपुर

वन वृत्त सरगुजा
- वन मंडल (6)
  1. सरगुजा
  2. सूरजपुर
  3. बलरामपुर
  4. कोरिया
  5. मनेंद्रगढ़
  6. जशपुर

वन वृत्त कांकेर
- वन मंडल (6)
  1. कांकेर
  2. पूर्व भानुप्रतापपुर
  3. प. भानुप्रतापपुर
  4. केशकाल
  5. दक्षिण कोण्डागांव
  6. नारायणपुर

वन वृत्त जगदलपुर
- वन मंडल (5)
  1. बसतर
  2. बीजापुर
  3. सुकमा
  4. दंतेवाड़ा
  5. अनु. एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर

कार्य आयोजना वृत्त

वन वृत्त कार्य आयोजना बिलासपुर एवं रायपुर
- वन मंडल (6)
  1. रायपुर
  2. बिलासपुर
  3. दुर्ग
  4. सरगुजा
  5. कांकेर
  6. जगदलपुर

3. वन विभाग के दायित्व

विभाग के प्रमुख दायित्व निम्नानुसार है :-

- राज्य की समृद्ध जैव–सांस्कृतिक विविधता एवं विरासतों का संरक्षण।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से राज्य के वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं समेकित विकास करना।
- वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु संरक्षित क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास।
- वनों से कार्य आयोजना के अनुसार इमारती काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बाँस का उत्पादन एवं निवर्तन।
- अकाष्ठीय वन उत्पादों का संग्रहण, भंडारण, मूल्य संवर्धन एवं निवर्तन कर संग्राहकों को अधिकाधिक लाभ दिलाना।
- वनों पर आश्रित समुदायों की आवश्यकताओं की उपलब्धतानुसार निस्तार पूर्ति।
- गैर वानिकी क्षेत्रों में वानिकी का विस्तार।
- वनाश्रित समुदायों के आर्थिक उत्थान के कार्य करना।

4. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी, विशेषताएँ, महत्वपूर्ण सांख्यिकी

4.1 सामान्य जानकारी

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के क्षेत्रफल का 4.11 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

छत्तीसगढ़ राज्य के वन - एक दृष्टि में

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
अ. वैधानिक स्थिति		
आरक्षित	25782.17	43.13
संरक्षित	24036.10	40.22
अवर्गीकृत	9954.13	16.65
योग	**59772.40**	**100.00**

वन वर्गीकरण	वन क्षेत्र (वर्ग कि.मी. में)	प्रतिशत
ब. वनों के प्रकार		
साल	24244.88	40.56
सागौन	5633.13	9.42
मिश्रित	26018.38	43.52
कार्य अयोग्य	3876.01	6.50
योग	**59772.40**	**100.00**
स. वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र		
राष्ट्रीय उद्यान – 2 टायगर रिजर्व – 3 वन्यप्राणी अभ्यारण्य– 8 बायोस्फियर रिजर्व – 1	11310.977	18.92

4.2 राज्य के वन एवं उनका महत्व

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार 17°46′ से 24°06′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°51′ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियों क्रमशः महानदी, गोदावरी, नर्मदा और वैनगंगा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियॉ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

राज्य के वनों को दो प्रमुख वर्गो में विभाजित किया गया है, यथा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपातीय वन एवं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीय वन। राज्य की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियॉ साल (शोरिया रोबस्टा) तथा सागौन (टेक्टोना ग्रान्डिस) हैं। इसके अतिरिक्त शीर्ष वितान में बीजा (टेरोकार्पस मार्सूपियम), साजा (टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा), धावड़ा (एनागाईसिस लैटिफोलिया), महुआ (मधुका इंडिका), तेन्दू (डायोस्पाईरस मेलैनौजाईलान) प्रजातियाँ हैं। मध्य वितान में आंवला (एम्बलिका ऑफिसिनेलिश), कर्रा (क्लीस्टेन्थस कोलाइनस) तथा बांस (डेन्ड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस) आदि महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं। भूतल भाग में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं जो पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही वे वन–वासियों के आजीविका का प्रमुख साधन भी हैं।

जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य डेकन जैव क्षेत्र में शामिल हैं, तथा मध्य भारत की प्रतिनिधि वन्य प्राणी जैसे शेर (पेन्थरा टाईग्रिस), तेन्दुआ (पेन्थरा पार्डस), गौर (बॉस गौरस), सांभर (सेरवस यूनिकलर), चीतल (एक्सेस एक्सेस), नील गाय (बोसेलाफस ट्रेगोकेमेलस) एवं जंगली सुअर (सस स्क्रोफा)

से परिपूर्ण है। दुर्लभ वन्य प्राणी जैसे वन भैंसा (बूबैलस बूबैलिस) तथा पहाड़ी मैना (ग्रैकुला इंडिका) इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हैं जिन्हें क्रमशः राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित किया गया है। साल वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया गया है।

यह राज्य, कोयला, लोहा, बॉक्साईट, चूना, कोरंडम, हीरा, स्वर्ण, टीन इत्यादि खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है, जो मुख्यतः वन क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं।

राज्य के लगभग 50 प्रतिशत गांव वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर आते हैं, जहां के निवासी मुख्यतः आदिवासी हैं एवं आर्थिक रुप से पिछड़े हैं जो जीविकोपार्जन हेतु मुख्यतः वनों पर निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में गैर आदिवासी, भूमिहीन एंव आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समुदाय भी वनों पर आश्रित हैं। वानिकी कार्यों से प्रतिवर्ष लगभग 07 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है। वनों से ग्रामीणों को लगभग 2000 करोड़ रुपये का लघु वनोपज एवं अन्य निस्तार सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के संवहनीय एवं सर्वांगीण विकास परिदृश्य में वनों का विशिष्ट स्थान है।

4.3 छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3–1/2011/1/6, दिनांक 12.12.2011 द्वारा प्रवृत्त हो गया है। अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील तथा परिव्यय का भुगतान) नियम, 2011 बनाये गये हैं जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 को किया गया है। उक्त नियम दिनांक 14 दिसम्बर, 2011 से प्रभावशील हो गए हैं।

अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा दिनांक 16.12.2011 को अधिसूचना जारी कर, वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी, सक्षम अधिकारी, एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित किया गया है :–

अनुसूची

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	मालिक मकबूजा काष्ठ का भुगतान (डिपो में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत)	45 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
2	कार्यालय काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना–शासकीय काष्ठागार हेतु	7 कार्य दिवस	काष्ठागार अधिकारी/ परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
3	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना काष्ठ के पंजीकृत व्यापारी /विनिर्माता हेतु	7 कार्य दिवस	परिक्षेत्रा अधिकारी	संबंधित उपवनमण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी
4	कार्यालय उप वन मण्डलाधिकारी	काष्ठ के परिवहन का अनुज्ञा पत्र प्रदान करना भूमि स्वामी की काष्ठ हेतु	30 कार्य दिवस	उप वन मण्डल अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
5	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	शासकीय काष्ठ के परिवहन का भुगतान (काष्ठ के काष्ठागार पहुंचने तथा बिल जमा करने के पश्चात्)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
6	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	आरामिल अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण/निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
7	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट इमारती लकड़ी के विनिर्माताओं, व्यापारियों, बढ़ई तथा उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)
8	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	विनिर्दिष्ट वन उपज के फुटकर विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी अथवा निराकरण (पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से)	30 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
9	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी	बसोड़ बही बनाने के आवेदन का निराकरण	20 कार्य दिवस	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
10	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा की गई फसल/सम्पत्ति को क्षति का क्षतिपूर्ति भुगतान(बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
11	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा जनहानि/ जनघायल प्रकरण में मुआवजा भुगतान (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की स्थिति में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
12	कार्यालय परिक्षेत्राधिकारी	वन्यप्राणी द्वारा पशुहानि का क्षतिपूर्ति भुगतान निराकरण (बजट उपलब्ध होने एवं ट्रेजरी में बिल एक सप्ताह के अंदर पास होने की तिथि में)	40 कार्य दिवस	संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी	संबंधित वनमण्डल अधिकारी	संबंधित मुख्य वन संरक्षक
13	छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर	तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समूह बीमा एवं जनश्री बीमा योजना अंतर्गत दावा के पूर्ण प्रकरण प्राप्त होने पर तैयार कर प्रबंध संचालक जिला यूनियन कार्यालय भेजना (पूर्ण आवेदन प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति कार्यालय में प्राप्त होने की तिथि)	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्रा अधिकारी	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन
14	कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेन्दूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के पूर्ण प्रकरण परीक्षण कर जिला यूनियन कार्यालय से जीवन बीमा निगम रायपुर को भेजना	30 कार्य दिवस	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक	कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
15	कार्यालय उप प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	तेंदूपत्ता संग्राहकों की समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा वनोपज सहकारी समितियों को पहुंचाना (जीवन बीमा निगम से चेक जिला यूनियन कार्यालय में प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	उप प्रबंध संचालक जिला यूनियन	प्रबंध संचालक, जिला यूनियन	मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक
16	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	जिला यूनियन से प्राप्त समूह बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना के चेक को प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा हितग्राही को वितरित करना।	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
17	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेंदूपत्ता संग्राहकों के पुत्र /पुत्रियों को जनश्री बीमा योजना अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा छात्रवृत्ति के चेक का वि तरण (जिला यूनियन से राशि प्राप्त होने पर)	35 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
18	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज के प्रोत्साहन परिश्रमिक (बोनस) वितरण	30 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
19	कार्यालय पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	तेन्दूपत्ता व सालबीज के संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान	30 कार्य दिवस	पोषक अधिकारी, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन
20	कार्यालय प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	लघु वनोपज संग्राहक परिवार को चरण पादुका वितरण (जिला यूनियन में पूर्ण चरण पादुका प्राप्त होने पर)	45 कार्य दिवस	प्रबंधक, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति	परिक्षेत्र अधिकारी	प्रबंध संचालक जिला यूनियन

स. क्र.	कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है।	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
21	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन ठेकों की स्वीकृति	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
22	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	परिवहन बिलों का भुगतान	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
23	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	विक्रित वनोपज का स्वीकृति आदेश	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
24	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज निर्वर्तन हेतु कार्य आदेश	7 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
25	कार्यालय सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	असफल बोलीदार की सत्यंकार राशि की वापसी	7 कार्य दिवस	सत्यांकार अधिकारी/उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
26	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	कार्योपरांत जमानत राशि की वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
27	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	खुली दरों पर परिवहन आवेदन का निराकरण	15 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक
28	कार्या. मंडल प्रबंधक/ क्षेत्रीय महा प्रबंधक/ प्रबंधक (प्रशासन)	क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन	7 कार्य दिवस	सहायक प्रबंधक/उप प्रबंधक	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक
29	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	डिपों से वनोपज के परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करना	1 कार्य दिवस	परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी	उप मंडल प्रबंधक	मंडल प्रबंधक
30	कार्यालय मंडल प्रबंधक वन विकास निगम	वनोपज ठेकेदारों को राजस्व वापसी	30 कार्य दिवस	मंडल प्रबंधक	क्षेत्रीय महाप्रबंधक	अपर प्रबंध संचालक

5. छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001

छत्तीसगढ़ राज्य ने जनोन्मुखी वन नीति बनाई है, जिसने वन प्रबंधन को एक नई दिशा देने में ठोस पहल की है। नीति में वन संसाधन के सतत् एवं टिकाऊ प्रबंधन से समाज के आदिवासी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगो की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है।

वन नीति के मूलभूत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए गये हैं एवं इनका सभी स्तरों पर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण किया जा रहा है।

5.1 वन नीति-2001 के मूल उद्देश्य

- संवहनीय आधार पर राज्य के विपुल वन संसाधन को खुली–पहुंच–संसाधन (ओपन एक्सेस रिसोर्स) से समुदाय द्वारा नियंत्रित संसाधन के रूप में, प्राथमिकता निर्धारित करते हुए, संरक्षित एवं प्रबन्धित संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हुये स्थानीय निवासियों के दीर्घ कल्याण हेतु उपलब्ध कराना।
- प्रमुख वनोपज (काष्ठ) से लघुवनोपज, एकल स्तरीय से बहुस्तरीय वन प्रबंधन तथा प्रमुख वन्य प्राणियों के समस्त छोटे बड़े घटकों को समानुपातिक महत्व दिया जाना।
- राज्य के वनों को संरक्षित एवं संवर्धित कर, पर्यावरणीय स्थायित्व तथा पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना।
- जैविक रूप से सम्पन्न प्राकृतिक वन, जो आदिवासी जन जीवन के प्रमुख सांस्कृतिक आधार हैं, को सुरक्षित रखकर राज्य की जैव सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना।
- नदियों एवं जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में होने वाले भू–क्षरण एवं वन आवरण कमी को नियंत्रित करना ताकि बाढ़ एवं सूखे की स्थिति उत्पन्न न हो। निरंतर गिर रहे भू–जल स्तर को सर्वोत्कृष्ट उपयोग स्तर पर लाना और जलाशयों में गाद (सिल्ट) जमा होने की गति में कमी लाना।
- कम वन क्षेत्र वाले जिलों में वृक्ष रहित, अनुत्पादक भूमि पर कृषि वानिकी एवं वृक्ष खेती जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि करना।
- वनों की धारक क्षमता को ध्यान में रखकर ग्रामीण एवं आदिवासी जनता की जलाऊ, छोटी ईमारती लकड़ी, चारा एवं लघु वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- वनों को केवल आर्थिक लाभ का स्त्रोत न मानते हुए राज्य के पर्यावरणीय स्थायित्व एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समुचित नीति एवं वैधानिक संरचना सृजित करना।

6. विकास/योजना

6.1 बिगड़े वनों का सुधार

आबादी से घिरे तथा अत्यधिक चराई एवं निस्तार आपूर्ति का दबाव सहते हुए ऐसे वन क्षेत्र जिसका घनत्व कम हो गया है, उसे सामान्यतः बिगड़े वनो के रुप में वर्गीकृत किया जाता हैं। इन विरल वनक्षेत्रों को पुनः सघन क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए, इन क्षेत्रों में उपलब्ध जल भंडार तथा रिक्त क्षेत्रों में उपलब्ध जड़ भण्डार का उपचार कर वृक्षारोपण द्वारा वन आवरण को पुनः स्थापित करने का प्रयास इस योजना में किया जाता है। साथ ही यह प्रयास भी किया जाता है कि क्षेत्र में मृदा एवं जल का संरक्षण करते हुए इन क्षेत्रों की उत्पादकता को बढाया जाता है । ऐसे कार्यो की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब स्थानीय निवासियों का सहयोग क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी कार्यो में प्राप्त किया जायें। इस योजना में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाता है और सुधार कार्य के प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली वनोपज को समितियों को प्रदान किया जाता है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बिगड़े वनों के सुधार की योजना में निर्धारित राशि इन समितियों को प्रदान की जाती है।

राज्य के विभिन्न वनमंडलों की कार्य योजनाओं के अनुसार बिगड़े वनों का सुधार कार्य प्रबंधन वृत्त के अंतर्गत वर्षवार निम्नानुसार कार्य संपादित किया गया है :–

वित्तीय वर्ष	रोपण/रोपण सहित कार्य (हे.में)	पुराने रोपण क्षेत्रों का रखरखाव (हे.में)
2017–18	37606	151683
2018–19	47135	128650
2019–20 (दिसम्बर)	40987	120277

6.2 बिगड़े बांस वनो का सुधार :

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बांस वनों का चयन किया जाकर कार्य आयोजना में उनके उपचार का प्रावधान किया जाता है जिसमें बांस के भिर्रे जीर्ण–शीर्ण हो गए है अथवा अत्यधिक गुंथ गए है और जिसके फलस्वरुप उनकी उत्पादकता प्रभावित हो रही है । इन चिन्हांकित बांस क्षेत्रों में मुख्यतः गुथे हुए बांस भिर्रो की सफाई, भिर्रो की परिधि में मृदा कार्य तथा विरल बांस के क्षेत्रों में बांस पौध से रोपण का कार्य किया जाता है। बांस भिर्रो की सफाई एवं मृदा संबंधी कार्य से अविकसित भिर्रो को विकसित होने के लिए अनुकूल

वातावरण प्राप्त होता है जिनसे नये बांसों के करले निकलते है तथा उनकी गुणवत्ता एवं संख्या में सुधार होता है।

वर्षवार बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	प्रथम वर्ष का सर्वे सीमांकन एवं आर.डी.बी.एफ. कार्य (हे. में)
2017—18	29557
2018—19	28870
2019—20 (दिसम्बर)	29287

6.3 पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं पर्यावरण पार्क आदि के विकास का कार्य लिया जाता है जिससे कि, शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण में

सुधार हो तथा प्रदूषण की रोकथाम प्रभावी तौर पर हो सके एवं स्थानीय निवासियों में पर्यावरण चेतना विकसित हो। इस योजना में मुख्यतः पथ वृक्षारोपण, ऑक्सीजोन निर्माण आदि कार्य लिए जाते है। विगत् वर्षो में इस योजना में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	कार्य
2017–18	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, लखनी देवी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन चेतना केन्द्र मनगट्टा, नारायण विहार, वीर वाटिका सोनाखान, वन महोत्सव कार्यक्रम,
2018–19	रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन महोत्सव कार्यक्रम, मोहरेंगा में विकास कार्य, गंगरेल पार्क में विकास कार्य, पखांजूर तालाब एवं राम वाटिका पार्क विकास, गमना तराई पार्क पक्षी विकास विकास, 900 हे. में रखरखाव कार्य
2019–20 (दिसम्बर)	वन चेतना केन्द्र मुड़ीपार, राजीव स्मृति वन, सोनडोंगरी, कानन पेण्डारी, खूटाघाट, हनुमानगड़ी, इंदरा उद्यान रायगढ़, ईशानवन, लमनी पार्क बस्तर, वन महोत्सव कार्यक्रम, मोहरेंगा में विकास कार्य, रामानुजगंज, संजय वाटिका, आसना पार्क, रामटेकरी, बिलासाताल, मदकू द्विप, इंदिरा उद्यान पेण्ड्रा, डोगरीगुडा, गंगरेल पार्क में विकास कार्य, पखांजूर तालाब एवं राम वाटिका पार्क विकास, गमना तराई पार्क पक्षी विकास विकास

6.4 पौधा प्रदाय योजना

इस योजना के तहत् निजी भूमि में पौध रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए ''पौधा प्रदाय योजना'' के नाम से एक योजना संचालित है। इस योजना में निजी भू–स्वामी को उसके स्वतत्व की भूमि पर पौधा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विभाग द्वारा 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर प्रति भू–स्वामी 1000 पौधे की अधिकतम सीमा तक पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

वर्ष 2018–19 में 11 लाख पौधों की तैयारी एवं वितरण का कार्य किया गया। वर्ष 2019–20 में 15.10 लाख पौधा तैयारी एवं वितरण कार्य किया गया है।

6.5 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों को भू–क्षरण से रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को सतत् बनाये रखने के उद्देश्य से ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' विभाग में संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में 710 हे. तैयारी, 402 हे. रोपण तथा 960 हे. पुराने रोपण क्षेत्र में रखरखाव का कार्य किया गया। वर्ष 2019–20 में 490 हे. तैयारी, 1190 हे. रोपण तथा 3280 हे. रखरखाव कार्य किया गया है।

6.6 पथ वृक्षारोपण -

पथ रोपण, 5 कि.मी. तोकापाल से डिलमिली, सामाजिक वानिकी वनमंडल, जगदलपुर 2008

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्गों, जिला मुख्य मार्गों तथा ग्रामीण मार्गों के किनारे वृक्षारोपण कार्य इस योजना में किया जाता है। वर्ष 2018–19 में 50 कि.मी. सड़क के किनारे वृक्षारोपण एवं 125 कि.मी. पूर्व वर्षो के वृक्षारोपण क्षेत्र का रख–रखाव कार्य किया गया। वर्ष 2019–20 में 69 कि.मी. तैयारी, 58.50 कि.मी. रोपण एवं 81 कि.मी. में रखरखाव कार्य किया गया है।

6.7 वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण

इस योजना में वनक्षेत्रों से गुजरने वाले वनमार्गों पर रपटा/पुलिया निर्माण किया जाता है जिससे दूरस्त अंचलों में निवासरत् वनवासियों/ग्रामवासियों को बारहमासी आवागमन तथा वनोपज निकासी में सुविधा हो सके। वर्ष 2018–19 में 307 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया गया। इस वर्ष 2019–20 में 164 रपटा/पुलिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

6.8 कार्य आयोजनाओं के अनुसार कूपों में कार्य

राज्य के जिन वनमंडलों की कार्य आयोजनाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उन कार्य आयोजनाओं में बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों के सुधार कार्य प्रबंधन वृत्तों के अलावा अन्य प्रबंधन कार्य वृत्तों के प्रावधानित क्षेत्र में निम्नानुसार कार्य विगत् वर्षो में किया गया –

वर्ष 2017-18

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	44615
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	400
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	11891
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	9727

वर्ष 2018-19

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	59750
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1370
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	13517
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	2568
ए.एन.आर. कार्य	6601

वर्ष 2019-20

कार्य वृत्त	उपलब्धि (हे. में)
भू एवं जल संरक्षण/वाटरशेड मैनेजमेंट वर्किंग सर्किल (सर्वे सीमांकन एवं उपचारण)	42878
तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	1190
एस.सी.आई. कूपों में छठवें वर्ष का वन वर्धनिक कार्य	19874
पुराने बांस वृक्षारोपण क्षेत्र में छठवें वर्ष का वनवर्धनिक कार्य	4632
ए.एन.आर. कार्य	5292

6.4 वृक्षारोपण

भारत सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न वनमंडलों की अनुमोदित कार्य आयोजना के अनुसार ऐसे वनक्षेत्र जिनमें वृक्षारोपण किए जाने का प्रावधान रखा गया है, में उपयुक्त प्रजातियों के पौधों का रोपण विगत् तीन वर्षो में किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

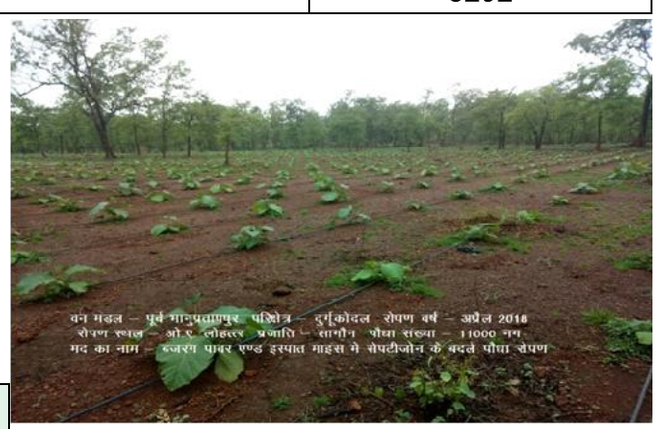

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या (पौधें लाखों में)
2017–18	546.94
2018–19	563.38
2019–20	291.21

6.10 सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य

राज्य के सामान्य क्षेत्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विभागीय प्रशासनिक इकाईयों के सुदृढीकरण के लिए कार्यालय भवनों का निर्माण, अधिकारी/कर्मचारियों के आवासीय भवनों का निर्माण, अभिलेखित वनमार्गो के उन्नयन का कार्य भी विगत् वर्षो में कराया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	भवनों की संख्या
2017–18	58 परिक्षेत्र अधिकारी आवास 08 वनरक्षक आवास 01 वनमंडलाधिकारी आवास 58.49 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन
2018–19	16 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. कार्यालय 15 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. आवास 58 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन
2019–20 (दिसम्बर)	09 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. कार्यालय 11 परिक्षेत्र अधिकारी/उप व.मं.अ. आवास 43 कि.मी. वनमार्ग उन्नयन

6.11 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :-

भारत सरकार द्वारा पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के प्रावधान अंतर्गत केन्द्र शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत् समस्त ग्रामीण परिवारों के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिन का रोजगार प्राप्त करने की पात्रता दी गई है । छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना प्रारंभ की गई है।

वन विभाग द्वारा इस योजनांतर्गत बिगड़े वनों का सुधार, बिगड़े बांस वनों का सुधार, पथ वृक्षारोपण, मिश्रित वृक्षारोपण, बांस वृक्षारोपण, आवागमन सुविधा हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण/उन्नयन, जल संवर्धन एवं संरक्षण कार्य और अन्य रोजगार मूलक कार्य किए जा रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों का वर्षवार दिसम्बर 2019 की स्थिति में विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

वर्ष	योजनांतर्गत				स्वीकृत कार्यों की प्रगति		निरस्त कार्यों की संख्या	रोजगार मानव दिवस	लाभान्वितों की संख्या
	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि	व्यय राशि	पूर्ण	प्रगति पर			
2015–16	1800	14569.906	10210.884	9088.091	1189	579	32	4055736	434411
2016–17	1015	6457.344	4026.305	3621.315	597	407	11	1185952	137455
2017–18	2344	9794.083	5811.491	5614.636	1188	1151	5	1480286	212975
2018–19	566	5310.230	2778.517	1210.192	123	438	5	398584	73345
2019–20 (दिसंबर 2019 की स्थिति में)	13973	7384.231	554.613	168.053	16	13957	0	74362	10403
योग :-	**19698**	**43515.794**	**23381.810**	**19702.287**	**3113**	**16532**	**53**	**7194920**	**868589**

6.12 आयोजना - बजट प्रावधान एवं व्यय राशि (योजनावार)

वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 की स्थिति में)

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4
1	(2723) – प्रशासन सुदृढ़ीकरण	120.50	36.13
2	(1859) – वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	428.96	227.96
3	(1859)–राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना (भवन निर्माण)	75.00	–
4	(6025) – वन संसाधनों का सर्वेक्षण और उपयोग	25.00	1.05
5	(2536) – पर्यावरण वानिकी	1454.20	344.60
6	(2965, 2962) – बिगड़े वनों का सुधार	16000.00	6941.44
7	(5089) – राज्य में वानिकी अनुसंधान	161.10	86.23
8	(6723) – संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	694.55	280.12
9	(6827) – भू एवं जल संरक्षण कार्य	2330.00	1831.71
10	(1004) – नदी तट वृक्षारोपण योजना	931.00	339.71
11	(1902) – तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण (बांस रोपण सहित)	1461.00	878.13
12	(2533) – हरियाली प्रसार योजना	5300.00	938.92
13	(2534) – पौधा प्रदाय योजना	124.00	297.48
14	(6724) – बांस वनों का पुनरोद्धार	4069.00	2489.50
15	(7930) – मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	1200.00	12.75
16	(6828) – पथ वृक्षारोपण	781.00	316.99
17	(7563) – अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण	486.00	280.03
18	(5420) – राज्य औषधि वनस्पति मंडल की स्थापना	880.00	352.00
19	(6792) – लघुवनोपज संग्राहक की सामूहिक बीमा योजना	1330.00	–
20	(792) – कर्मचारी कल्याण योजना	280.00	26.90
21	(4342) – सड़कें तथा मकान निर्माण कार्य	1197.00	227.26
22	(6886) – वन मार्गो पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	1038.00	225.90
23	(6516) – ग्राम वन समितियों के माध्यम से ल.वनो./औषधी रोपण	897.00	333.87
24	(4475) – सामाजिक वानिकी	358.00	–
25	(5091) – लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	291.50	55.30
26	(6854) – लाख विकास योजना	250.00	–
27	(7292) – छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेशन सोसायटी	22.00	22.00
28	(6992) – वन अधिकारों की मान्यता	60.00	–
29	(7322) – बांस प्रसंस्करण इकाई	77.00	12.35
30	(6699) – वन विकास उपकर निधि से व्यय	1000.00	230.42

क्र.	बजट मद व योजना का नाम	प्रावधान	व्यय
1	2	3	4
31	(7959) – विभागीय नर्सरी में पौध तैयारी	2000.00	–
	केन्द्र प्रवर्तित योजना		
32	(7732) – छ.ग. स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट योजना	100.00	–
33	(7261) – राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	3500.00	1369ण06
34	(7856) – ग्रीन इंडिया मिशन	539.00	–
35	(7857) – पारिस्थिकीय सेवा विकास परियोजना	864.00	864ण00
36	(5538) – एकीकृत वन सुरक्षा योजना	1000.00	–
37	(5231) – लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1.00	–
	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना		
38	(5231) – लघु वन उपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	5097.00	–
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		
39	(7351) – त्वरित वनक्षेत्र पुनरोत्पादन/पुनरोद्धार कार्यक्रम	1.00	–
	महायोग :- 10 + 41 + 64	**56424.81**	**19021.81**

7. छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

एड्हॉक कैम्पा - वर्ष 2009 से 2018

(छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2009 द्वारा गठित राज्य कैम्पा)

7.1 **राज्य कैम्पा का गठन** :- भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार विभिन्न संस्थानों द्वारा जमा की गई राशि के योजनाबद्ध उपयोग हेतु राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण, कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) (Compensatory Afforestation Fund Management & Planning Authority-CAMPA) का गठन 24 जुलाई 2009 में किया गया है।

7.2 **उद्देश्य** :- क्षतिपूर्ति वनीकरण, वनों के संरक्षण, सुरक्षा एवं संवर्धन, वानिकी विस्तार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, वन्य प्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण, विभागीय अधोसंरचना विकास, वन सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विकास करना।

7.3 **एड्हॉक कैम्पा से प्राप्त राशि** :- एड्हॉक कैम्पा नई दिल्ली से राज्य कैम्पा को ए.पी.ओ. 2009–10 से 2015–16 तक कुल रू.1293.24 करोड़ की राशि विमुक्त की गयी।

7.4 **वित्तीय उपलब्धि** :- ए.पी.ओ. वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक प्राप्त राशि को वर्ष 2018 तक पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया गया है।

7.5 वृक्षारोपण एवं वन संवर्धन कार्य :-

(i) **क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण** :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विभिन्न संस्थानों को हस्तांतरित वन भूमि के बदले में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है। वर्ष 1980 से अद्यतन स्थिति तक कुल 64446 हे. क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 51922 हे. क्षेत्रा में (वर्ष 1980 से 2010 तक 23430 हे. तथा 2010 से 2018 तक 28492 हे.) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया गया है।

(ii) **ए.एन.आर.** :- कैम्पा मद से 2.17 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में प्राकृतिक वनों के पुनरोत्पादन (ANR) कार्य संपन्न किया गया।

(iii) **वृक्षारोपण** :- वर्ष 2009–10 से वर्ष 2017–18 तक कुल 22160 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण (सिंचित वृक्षारोपण, विशेष प्रजाति वृक्षारोपण, ग्राम वन, मितव्ययी एवं बांस वृक्षारोपण आदि) संपन्न किये गये इसके साथ ही विभिन्न मार्गों में 898 किलोमीटर लंबाई में सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य किया गया है।

(iv) **आक्सीवन** :- शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु आक्सीवन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 87 नगरों में कुल 1301 हे. क्षेत्र में ऑक्सीवन की स्थापना हेतु वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

(v) **नदी तट वृक्षारोपण** :- प्रदेश की नदियों के तटों में 3855 हेक्टर क्षेत्र में नदी तटबंध रोपण कार्य कराया गया है।

7.6 अधोसंरचना विकास कार्य :- क्षेत्रीय अमले हेतु कुल 968 आवासीय एवं 104 कार्यालयीन भवनों का निर्माण तथा वनोपज परिवहन हेतु 66 ट्रकों, 10 ट्रेक्टर, 06 बस, 05 प्रचार वाहन एवं सिंचाई कार्य हेतु 11 नग वाटर टेंकर की व्यवस्था।

7.7 वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्य:-

(अ) संरक्षित क्षेत्र एवं वनक्षेत्र - वन्यप्राणी प्रभाग अमलों हेतु 110 आवासीय भवनों का निर्माण, वन्यप्राणियों के रहवास सुधार हेतु 944 हे. वनक्षेत्र में चारागाह विकास कार्य, 73 तालाब/एनिकट निर्माण किये गये तथा 15 सोलर पंप की स्थापना की गयी है।

(ब) वनग्रामों का विस्थापन :- बारनवापारा अभ्यारण्य रामपुर, लाटादादर एवं नवापारा ग्रामों को विस्थापित कर कुल 401 परिवारों के विस्थापन में कुल 3503.00 लाख का व्यय किया गया।

(स) गजराज परियोजना :- जंगली हाथियों के विचरण क्षेत्रों में रहवास सुधार हेतु 680 हेक्टेयर क्षेत्र में चारागाह विकास, जल स्त्रोंतों के विकास हेतु 88 नग तालाब, स्टापडेम, एनीकट 2 ग्रामों में हाई मास्ट लाईट, 26 हाथी सहायता केन्द्र के निर्माण कार्य एवं जागरूकता अभियान आदि कराये जा रहे हैं। जंगली हाथियों द्वारा फसल एवं जनहानि करने पर कैम्पा निधि से रू. 23.00 करोड़ की राशि मुआवजा वितरण हेतु स्वीकृति दी गयी।

(द) जामवंत परियोजना :- जंगली भालुओं की अधिकता वाले क्षेत्रों में लागू जामवंत परियोजना के तहत 310 हेक्टेयर क्षेत्र में फलदार वृक्षारोपण एवं 31 जलप्रपात विकास, तालाब एवं स्टापडेम निर्मित किए गए हैं।

7.8 वन्यप्राणी प्रबंधन फंड :-

वन्यप्राणी प्रबंधन मद के अंतर्गत रू. 23.00 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल में दल्लीराजहरा–रावघाट रेल परियोजना बजरंग मेटाबोलिक लौह अयस्क खनन एवं परसा केते बासेन कोल माईन के तहत अब तक रू. 819.13 लाख की लागत से वन्यप्राणी रहवास सुधार एवं उनके प्रबंधन संबंधी कार्य किए गए।

7.9 अधोसंरचना विकास एवं प्रशिक्षण कार्य :-

(a) वनीकरण के साथ–साथ उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों के उत्पादन हेतु नर्सरी निर्माण एवं नर्सरियों के उन्नयन के कार्य किए गए। वन सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विस्तार, प्रशिक्षण, वन औषधीय पौधों का विकास, अधोसंरचना विकास के कार्य किये गये हैं।

7.10 विशेष कार्य :-

(a) **प्रधान मंत्री उज्जवला योजना** :- संचालन समिति की बैठक 11.05.2016 में लिए गए निर्णय अनुसार ब्याज निधि से इस योजना हेतु रू. 4762.00 लाख के विरूद्ध रू. 4747.58 लाख स्वीकृत।

(b) **जंगल सफारी** :- नया रायपुर में जंगल सफारी के विकास हेतु रू 93.30 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है।

© **बॉटनिकल गार्डन** :- नया रायपुर में एक बॉटनिकल गार्डन की स्थापना हेतु रू. 13.56 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति दी गयी।

(d) **कंबल वितरण योजना** :- 56136 विशिष्ट पिछड़ी जनजाति परिवारों को दो–दो कंबल के मान से कुल 112272 नग कंबलों का वितरण किया गया है।

(e) **पेय जल व्यवस्था** :- इस योजना में 222 सोलर ट्यूब वेल स्थापना हेतु रू 1142.06 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है।

(f) **नल-जल योजना** :- कवर्धा जिल में 50 नग तथा राजनांदगांव जिले में 19 स्थलों पर सोलर पंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु क्रमशः रू. 245.00 लाख एवं रू. 231.98 लाख कुल रू. 476.98 लाख स्वीकृति दी गयी।

(g) **कोसा कुकून संग्रहण** :- कोसा कुकून संग्रहण हेतु वर्ष 2016–17 में रू. 425.00 लाख का व्यय किया गया है तथा वर्ष 2017–18 में रू. 1135.00 लाख की स्वीकृति दी गयी।

(h) **सुजला योजना** :- सुजला योजना के अंतर्गत सुकमा, नारायणपुर, बस्तर जिलों में सिंचाई सुविधा हेतु 3470.00 लाख की लागत से 835 सोलर वाटर पंप की स्वीकृति दी गयी।

उपरोक्त विशेष कार्यों के अतिरिक्त कैम्पा निधि से निम्नलिखित कार्यों हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है :–

अ.क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
1.	संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों को वन सुरक्षा हेतु 87500 सोलर एल .ई.डी. लाईट एवं 97000 सोलर लैपों का वितरण (2013–14)	1000.00
2.	प्राचीन देववनों के संरक्षण एवं विकास कार्य (इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 200.00 लाख का प्रावधान)	450.00
3.	हाईटेक रोपणी नया रायपुर की स्थापना (2016–17)	800.00
4.	वर्ष 2017–18 में राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर एवं सूरजपुर में हाईटेक रोपणी की स्थापना (वर्ष 2017–18 में प्रावधानित)	3400.00
5.	महाराजबंध वेटलैड कन्जरवेशन, रायपुर वनमंडल (2016–17 एवं 2017–18)	742.00
6.	ग्राम फरफौद में वेटलैंड कन्जरवेशन कार्य, रायपुर वन मंडल (2017–18)	41.845
7.	वन क्षेत्रों में मुनारा निर्माण (2013–14)	563.48
8.	बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण (2014–15)	267.40
9.	भारत स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 900 नग शौचालय निर्माण (2015–16)	350.00

अ.क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
10.	वन ग्राम से राजस्व ग्रामों में परिवर्तित 100 ग्रामों में मूलभूत सुविधा का विकास कार्य (वर्ष 2017–18 में प्रावधानित) अद्यतन स्थिति में सुकमा वन मंडल के 10 एवं बलौदाबाजार वन मंडल के 20 ग्रामों हेतु रू. 300.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।	1000.00
11.	टिशू कल्चर रोपणी गोढ़ी रायपुर वन मंडल की क्षमता विस्तार कार्य (2017–18)	100.00
12.	वन क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा कार्य (2009–10 से 2017)	2068.00

7.11 वनक्षेत्रों में बायोडायवर्सिटी एवं ईको विकास कार्य :-

अ.क्र.	कार्य का विवरण	स्वीकृत राशि (लाख रू. में)
1.	माँ जतमई एवं घटारानी वन क्षेत्र का विकास, गरियाबंद वन मंडल (2015–16)	216.77
2.	वन चेतना केन्द्र मनगट्टा का विकास, राजनांदगांव वन मंडल (2015–16 एवं 2016–17)	180.05
3.	नारायणपुर वनमण्डल में जंगल ट्रेल का निर्माण (2016–17)	31.94
4.	गड़िया पहाड़ का सौन्यदर्यीकरण, कांकेर वन मंडल (2016–17)	50.00
5.	राजाराव पठार का विकास, बालौद वन मंडल (2015–16 से नवंबर 2019)	158.76
6.	प्राकृतिक झरण स्त्रोत तोंगकोंगेरा का संरक्षण संवर्धन (2016–17)	202.50
7.	पर्यावरण वाटिका डोंगरीगुड़ा का विकास (अर्जित ब्याज) (2014–15)	144.00
8.	पर्यावरण जैव संस्कृति बड़ें डोंगर का विकास (अर्जित ब्याज) (2015–16)	115.00
9.	मैनपाट वन क्षेत्र में विकास कार्य (2014–15 एवं 2016–17)	890.00
10.	डोंगरगढ़ पहाड़ी में संरक्षण/संवर्धन	34.00

(नवीन राज्य प्राधिकरण)

7. छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण

Chhattisgarh Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)

7.1 राज्य प्राधिकरण का गठन

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र दिनांक 03 अगस्त 2016 में The Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 प्रकाशित किया गया। उपरोक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों के लिए प्रत्यावर्तन के एवज् में उपभोक्ता संस्थान से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, दांडिक क्षतिपूर्ति, समग्र प्रत्याशा मूल्य एवं केंद्र सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन स्वीकृति प्रदान करते समय नियत की गई शर्तों के परिपालन में जमा की गई राशियों के योजनाबद्ध उपयोग हेतु भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 10 अगस्त 2018 में प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि नियम 2018 प्रकाशित किया गया। उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत निहित प्रावधान अनुसार भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 14/09/2018 में दिनांक 30/09/2018 से ''छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण'' (राज्य प्राधिकरण) का गठन किया गया है तथा नवगठित राज्य प्राधिकरण के विभिन्न क्रियाकलापों एवं वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग आदि के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण अधिनियम 2016 की धारा 10 एवं 11 के अनुसार निम्नानुसार समितियों का प्रावधान किया गया है :–

1. शासी निकाय (Governing Body)
2. संचालन समिति (Steering Committee)
3. क्रियान्वयन समिति (Executive Committee)

उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र. 5–23/2004/10–2, दिनांक 23.11.2019 द्वारा समितियों का गठन किया गया है।

7.2 राज्य प्राधिकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्य

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में उपयोगकर्ता संस्थाओं से वसूल की गयी क्षतिपूर्ति एवं एन.पी.व्ही. की राशि का योजनाबद्ध उपयोग हेतु छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य अनिवार्य कार्य तथा एन.पी.व्ही. मद की राशि से वन क्षेत्रों में प्राकृतिक पुनरोत्पादन, वृक्षारोपण, वन वर्द्धनिक कार्य, वन सुरक्षा, वन्यप्राणी सुरक्षा एवं प्रबंधन, अधोसंरचना विकास आदि कार्यों को कराया जाना है।

7.3 राज्य प्राधिकरण के कार्य

(i) उप नियम (2) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में निवल वर्तमान मूल्य (Net Present Value) 80 प्रतिशत धनराशि राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यो के लिए उपयोग में लाई

जाएगी :–

(a) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरूज्जीवन (ए.एन.आर.)

(b) कृत्रिम पुनरूज्जीवन (रोपण द्वारा)

(c) वनों में वन–वर्धन संबंधी कार्यकलाप

(d) रोपणों और वनों का संरक्षण

(e) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण

(f) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप

(g) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य

(h) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को अन्यत्र बसाया जाना

(i) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन योजना/कार्यकारी योजना में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार

(j) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेत्तर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरूज्जीवन

(k) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, अभिचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पशु उपचार सुविधाएं

(l) वन की सीमा के निकटतम गांव में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर यथानिर्दिष्ट काष्ठ और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति।

(m) जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन।

(ii) **उपनियम (3) एक वित्त वर्ष में निवल वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की 20 प्रतिशत धनराशि का उपयोग निम्नानुसार कार्यों में किया जाना है :-**

(a) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए आधुनिक पौध शालाओं एवं अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण

(b) पर्यासंवर्धन के परीक्षण, भूमि पशुओं और सूक्ष्मजीवों की लोक विविधता और विशिष्ट विकसित किस्मों, पालतू पशुधन और नस्लों का संरक्षण और जैव विविधता से संबंधित ज्ञान के इतिवृत्त लेखन सहित जैवीय विविधता का संरक्षण, वहनीय उपयोग और प्रलेखन

(c) वन और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संसूचना तथा प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपस्करों या उपकरणों की खरीद और अनुरक्षण

(d) निरीक्षण मार्गों, वन क्षेत्रों में सड़कों, अग्नि रेखाओं, निगरानी टावरों, चैक पोस्टों और ईमारती लकड़ी के डिपो का संनिर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण

(e) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण

(f) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यों के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारी वृंद की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को अनियमित लगाया जाना

(g) प्रतिकरात्मक वनरोपण कार्यों, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण

(h) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्ष निगरानी सहित कार्यों की समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन

(i) राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य निधि से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों का प्रचार–सह जागरुकता कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी

(j) राज्य सरकार द्वारा सवंर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सहायकी वाले मूल्य पर प्रमाणिक नर्सरी के माध्यम से गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण।

(k) वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकास

(iii) **प्रतिबंधित कार्य** :-

उपनियम (4) उपनियम 1 में निर्दिष्ट रकम का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा :–

(a) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान

(b) विदेशी दौरे करना

(c) अधिकरणों अथवा न्यायालयों में दर्ज किए गए मामलों, जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के संबंधित नहीं है, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान

(d) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के लिए भारी वाहनों और मशीनों और अधिकारियों के लिए वाहनों अथवा स्टॉफ कार की खरीद

(e) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से उच्च अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयीन भवनों का निर्माण

(f) वनीकरण प्रयोजनार्थ भूमि को लीज़ पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने

(g) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जनरेटर्स सेटों सहित

फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्सचर्स की खरीद

(h) कार्य योजना निर्धारण के तहत राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य योजना के अनुसार अनिवार्य वनीकरण

(i) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ सरकार की अन्य स्कीमों के तहत किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए

(j) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।

(k) विद्यमान वन निगमों, बोर्डों आदि को नए वन निगमों, बोर्डों आदि को अनुदान या साम्या के जरिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना

(iv) **ब्याज राशि का उपयोग :-**

नियम 6 में ब्याज राशि के उपयोग हेतु निम्नानुसार क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है:–

(क) एक वित्त वर्ष में अर्जित ब्याज की 60 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास हेतु निम्नानुसार कार्य कराये जाने का प्रावधान किया गया है:–

I. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण और दांडिक प्रतिपूर्ति वनीकरण की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना

II. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्र उपचार योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना

III. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन योजना की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना

IV. राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों, नियमित और संविदात्मक, दोनों को वेतन और भत्तों के संवितरण के लिये

V. राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्यों को बैठक फीस और भत्तों के संवितरण के लिये

VI. नियम 5 के उप–नियम (2)और (3) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप

(ख) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 40% और राज्य निधि में उपलब्ध रकम पर उपार्जित ब्याज राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय किया जावेगा :–

i. कार्यालय स्थापना का प्रबंधन

ii. राज्य प्राधिकरण के लिये कम्प्यूटरों और पेरिफेरल और उनके अनुरक्षण सहित कार्यालय उपकरण

iii. राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और पदाधिकारियों के उपयोग के लिय स्टाफ कार किराये पर लेना

iv. राज्य प्राधिकरण के कार्यालय स्थापना और आवासों के लिये पट्टे पर भवन किराये पर लेना

v. राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति के अनुमोदन से राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अन्य आकस्मिक व्यय

vi. राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति और वार्षिक प्रचालन स्कीम के पूर्व अनुमोदन से वनों और वन्यजीवों के प्रबंधन के लिये कोई अन्य क्रियाकलाप जिनका उल्लेख उप नियम (2) और (3) में नहीं किया गया है।

7.4 राज्य प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan of Operation)

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक कार्य योजना को प्रारूप 12 में तैयार किया जावेगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत सरकार के पत्र क्रमांक/15–2(0)/2018–कैम्पा, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 द्वारा वर्ष 2018–19 का ए.पी.ओ. नवीन दिशा निर्देशों के अधीन तैयार कर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही कैम्पा के पूर्व ए.पी.ओ. (वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक) की अवशेष राशि का वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपयोग हेतु वार्षिक कार्य योजना संचालन समिति से स्वीकृत कराकर उपयोग हेतु निर्देशित किया गया था। अतः भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में कैम्पा मद के उपयोग हेतु दो ए.पी.ओ. क्रमशः मुख्य ए.पी.ओ. 2018–19 एवं अतिरिक्त ए.पी.ओ. 2018–19 संचालन समिति से स्वीकृति प्राप्त की गयी। दोनों ए.पी.ओ. में स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैं :–

7.5 मुख्य ए.पी.ओ. (Main APO) 2018-19 -

(अ) क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं अनिवार्य कार्य रु. 236.49 करोड़ (100 प्रतिशत)

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4951.94	66.64
2.	द्वितीय वर्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	2327.00	16.32
3.	तृतीय वर्ष से 10वें वर्ष के पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव	26171.00	21.70
4.	अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	265.19	4.47
5.	पीनल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	30.80	0.50
6	ट्रांस्मीशन लाईन के नीचे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	218.85	5.40
7.	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना	–	96.64
8.	सेफ्टी जोन	108.54	1.17
9	केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान	–	0.00
10	भू–जल संरक्षण कार्य	–	16.27
11	एवी फौना डेव्लपमेंट	–	2.74
12	अन्य कार्य (भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन)	–	4.64
	योग :-		**236.49**

(ब) शेष राशि एन.पी.व्ही. कार्य हेतु :– रू. 151.00 करोड़

(i) 80 प्रतिशत राशि :– रू.121.00 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	**वृक्षारोपण कार्य :-**		
	सिंचित रोपण	445.00	7.19
	बांस (सिंचित)	65.00	0.66
	असिंचित बांस रोपण	712.00	2.85
	नदी तट रोपण	315.00	3.54
	मिश्रित वृक्षारोपण	3419.16	26.94
	औषधीय रोपण	1207.42	9.75
	विशेष प्रजाति रोपण	2545.00	19.86
	आक्सीवन	415.00	10.80
	योग प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	**9123.58**	**81.59**
2.	**द्वितीय वर्ष एवं पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव**		39.63
	योग :-		**121.22**

(ii) 20 प्रतिशत राशि रू. 30.00 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित राशि
1	नर्सरी निर्माण/नर्सरी उन्नयन/रखरखाव	14.77
2	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	5.50
3	पुनरीक्षण वन सर्वे सीमांकन एवं अन्य कार्य	6.54
4	वर्कशाप/प्रशिक्षण	3.00
	योग -	**29.81**

गोशवारा	
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य अनिवार्य कार्य	236.49
एन.पी.व्ही. कार्य (80 प्रतिशत)	121.22
एन.पी.व्ही.कार्य (20 प्रतिशत)	29.81
योग :-	**387.52**

7.6 अतिरिक्त ए.पी.ओ. (Aditional APO) 2018-19

(अ) 80 प्रतिशत राशि रु. 408.00 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1	पुनरोत्पादन कार्य (पुराने बांस रोपणों में आर. डी. बी. एफ. कार्य)	11.91
2	औषधीय वृक्षारोपण	5.89
3	मल्टीटायर वृक्षारोपण	5.14
4	अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण	0.57
5	बीज संग्रहण प्रबंधन एवं उत्पादन केंन्द्र	4.25
6	कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार सिल्वीकल्चर कार्य	34.88
7	वन संरक्षण	106.71
8	वनों में बिमारियों का नियंत्रण	1.00
9	वनक्षेत्र में अग्नि सुरक्षा कार्य	16.66
10	भू–जल संरक्षण कार्य	76.96
11	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण (सामान्य)	32.71
12	गजराज परियोजना	19.61
13	जामवंत परियोजना	10.68
14	वनग्राम विस्थापन (डी.जी.पी. सर्वे)	0.45
15	वन्यप्राणी रेस्क्यू/ केयर सेंटर	10.86
16	बायोडायवर्सिटी संरक्षण/ प्रबंधन	36.33
	योग :-	**374.61**
17	अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु राशि	50.00
	कुल योग :-	**424.61**

(ब) 20 प्रतिशत राशि रु. 102.00 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	प्रस्तावित राशि
1	हाईटेक रोपणी की स्थापना एवं रखरखाव	42.88
2	आफिस आटोमेशन (office automation)	2.38
3	वनक्षेत्रों में मार्ग, पुल–पुलिया, बेरियर, काष्ठागारों का उन्नयन आदि	51.03
4	अधोसंरचना विकास (परिक्षेत्राधिकारी स्तर से निम्न स्तर के कर्मचारियों हेतु आवास/मूलभूत सुविधाओं का विकास)	37.04
5	प्रशिक्षण/कार्यशाला	8.00
	योग :-	**141.33**

गोशवारा (ADDL. APO-2018-19)	
एन.पी.व्ही. कार्य (80 प्रतिशत)	424.61
एन.पी.व्ही. कार्य (20 प्रतिशत)	141.33
योग :-	**565.94**

7.7 उपरोक्त ए.पी.ओ. में स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत अद्यतन स्थिति तक निम्नानुसार कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

7.7.1 Main APO 2018-19 - Mandatory Works

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे.में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे.में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4951.94	66.64	2240.061	31.19
2.	द्वितीय वर्ष क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	2327	16.32	2327	16.32
3.	तृतीय वर्ष से 10 वें वर्ष के पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव	26171	21.70	26171	21.70
4.	अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	265.19	4.47	184.860	1.47
5.	पीनल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	30.8	0.50	0	0.00
6.	ट्रांस्मीशन लाईन के नीचे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	218.85	5.40	59.170	1.76
7.	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना	–	96.64	–	47.87
8.	सेफ्टी जोन	108.54	1.17	98.543	0.81
9.	केचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान	–	0.00	–	–
10.	भू–जल संरक्षण कार्य	–	16.27	–	7.73
11.	एवी फौना डेव्लपमेंट	–	2.74	2.74	0.46
12.	अन्य कार्य (भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन)	–	4.64	–	1.15
	योग :-	**34073.32**	**236.49**	**31080.634**	**130.45**

7.7.2 Main APO 2018-19 - Plantation Works (80%)

अ. क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1.	**वृक्षारोपण कार्य :-**				
	सिंचित रोपण	445	7.19	220.00	4.764
	बांस (सिंचित)	65	0.66	15.00	0.152
	असिंचित बांस रोपण	712	2.85	365.00	1.459
	नदी तट रोपण	315	3.54	300.00	3.37
	मिश्रित वृक्षारोपण	3419.16	26.94	2957.96	23.31
	औषधीय रोपण	1207.42	9.75	220.64	1.74
	विशेष प्रजाति रोपण	2545	19.86	1371.00	13.22
	ऑक्सीवन	415	10.8	170.00	5.08
	योग प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी	**9123.58**	**81.59**	**5619.593**	**53.09**
2.	**द्वितीय वर्ष एवं पुराने वृक्षारोपण का रखरखाव**		39.63	160972.37	39.63
	योग :-		**121.22**	**166591.963**	**92.72**

7.7.3 Main APO 2018-19 - Other Works (20%)

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1	नर्सरी निर्माण/नर्सरी उन्नयन/ रखरखाव	LS	14.77	–	7.36
2	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	LS	5.50	–	3.02
3	पुनरीक्षण वन सर्वे सीमांकन एवं अन्य कार्य	60 No.	6.54	–	0.00
4	वर्कशाप/प्रशिक्षण	LS	3.00	–	0.00
	योग :-		**29.81**	**0.00**	**10.38**

Main APO 2018-19-ABSTRACT

विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य अनिवार्य कार्य	236.49		130.45
एन.पी.व्ही. कार्य (80 प्रतिशत)	121.22		92.72
एन.पी.व्ही.कार्य (20 प्रतिशत)	29.81		10.38
योग :-	**387.52**		**233.55**

7.7.4 Addl. APO 2018-19 - (80%)

अ. क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1.	पुनरोत्पादन कार्य (पुराने बांस रोपणों में आर.डी.बी.एफ.कार्य)	15000 ha.	11.91	5626.56 ha.	4.46
2.	औषधीय वृक्षारोपण	748 ha.	5.89	0.00	0.00
3.	मल्टीटायर वृक्षारोपण	451.17 ha.	5.14	484 ha.	2.88
4.	अन्य प्रजातियों का वृक्षारोपण	252 ha.	0.57	2 ha.	
5.	बीज संग्रहण प्रबंधन एवं उत्पादन केंन्द्र	409 ha.	4.25	324.36 ha.	301
6.	नगर वन योजना रखरखाव कार्य		1.92	–	0.00
7.	कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार सिल्वीकल्चर कार्य	52143 ha.	34.89	36463.76 ha.	29.17
8.	वन संरक्षण	–	109.71	LS	38.26
9.	वनों में बीमारियों का नियंत्रण	–	1.00	LS	1.00
10.	वनक्षेत्रा में अग्नि सुरक्षा कार्य	–	11.74	3393 watchers	11.05
11.	भू–जल संरक्षण कार्य	–	76.96	472 nos.	60.93
12.	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण (सामान्य)	–	32.97	चारागाह 3071 हे. तालाब/ स्टॉपडेम आदि 85 नग	17.62

अ. क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
13.	गजराज परियोजना	–	19.34	चारागाह 1840 हे. तालाब/स्टॉपडेम आदि 64 नग	18.63
14.	जामवंत परियोजना	–	10.68	फलदार वृक्षारोपण 196 हे. तालाब/मिट्टी बांध आदि 41 नग	4.52
15.	वनग्राम विस्थापन (डी.जी.पी. सर्वे)	–	0.45	–	0.00
16.	वन्यप्राणी रेस्क्यू/केयर सेंटर	–	10.86	LS	7.73
17.	बायोडायवर्सिटी संरक्षण/प्रबंधन	–	36.33	LS	12.61
	योगः-		**374.61**		**211.89**
18.	अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु राशि	–	50.00		6.76
	कुल योग :-		**424.61**		**218.65**

7.7.5 **Addl. APO 2018-19 - (20%)**

अ. क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
1.	हाईटेक रोपणी की स्थापना एवं रखरखाव	स्थापना – 04 नं. रखरखाव LS	42.88	LS	7.00
2.	डिजीटल सेक्रेट्रिएट	01 No.	2.38	LS	0.22
3.	वनक्षेत्रों में मार्ग, पुल–पुलिया, बेरियर, काष्ठागारों का उन्नयन आदि	मार्ग, रखरखाव एवं पुल पुलिया–LS	51.87	LS	35.67
4.	अधोसंरचना विकास (परिक्षेत्राधिकारी स्तर से निम्न स्तर के कर्मचारियों हेतु आवास/मूलभूत सुविधाओं का विकास)	273 भवन	36.20	195 भवन	23.54
5.	प्रशिक्षण/कार्यशाला	LS	8.00	LS	0.92
	योग :-		**141.33**		**67.34**

Addl. APO 2018-19-ABSTRACT

विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
एन.पी.व्ही. कार्य (80 प्रतिशत)	424.61		218.65
एन.पी.व्ही.कार्य (20 प्रतिशत)	141.33		67.34
योग :-	**565.94**	**0**	**285.99**

APO 2018-19 - ABSTRACT (Target and Sanctioned Details)

विवरण	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)	क्षेत्रफल (हे. में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रू. में)
मुख्य ए.पी.ओ.	387.52		233.55
अतिरिक्त ए.पी.ओ.	565.94		285.99
योग :-	**953.46**	**0**	**519.54**

7.8 ए.पी.ओ. 2019-20 -

ए.पी.ओ. 2019-20

(i) क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं अनिवार्य कार्य रु. 230.87 करोड़ (100 प्रतिशत)

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4968.129	83.75
2.	अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	3.33	0.82
3.	पीनल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	5.08	0.09
4.	ट्रांस्मीशन लाईन के नीचे क्षतिपूति वृक्षारोपण	428.188	7.00
5.	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान	LS	3.50
6.	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना	LS	61.02
7.	सेफ्टी जोन	LS	0.45
8.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	2.98
9.	एवी फौना डेव्लपमेंट	LS	0.79
10.	अन्य कार्य (भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन)	LS	3.05
11.	पुराने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रखरखाव एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के रखरखाव कार्य	LS	67.43
	योग :-		**230.87**

(ii) 80 प्रतिशत राशि :- रु. 208.94 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (हे. में)	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	153.93
2.	पुराने वर्षो के वृक्षारोपण के रखरखाव एवं अन्य रखरखाव कार्य	LS	55.00
	योग :-		**208.93**

(iii) 20 प्रतिशत राशि रु. 56.57 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	भौतिक	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1	वन संपदाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव कार्य (डब्ल्यू.बी.एम.मार्ग)	LS	36.57
2	वन कर्मियों के कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं	LS	20.00
	योग :-		**56.57**

(iv) अर्जित ब्याज निधि के 60 प्रतिशत राशि रु. 347.79 करोड़

अ. क्र.	कार्य का विवरण	भौतिक	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	नर्सरी उन्नयन कार्य	LS	14.17
2.	प्राकृतिक पुर्नत्पादन (कृत्रिम उत्थान कार्य)	LS	4.75
3.	वृक्षारोपण कार्य (नदीतट रोपण)	LS	5.68
4.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	7.02
5.	बीज संग्रहण प्रबंधन एवं उत्पादन केंन्द्र	LS	2.70
6.	कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार सिल्वीकल्चर कार्य	LS	82.08
7.	वन संरक्षण अंतर्गत कार्य	LS	29.00
8.	संरक्षण संबंधी अन्य कार्य	LS	116.72
9.	वनों में बिमारियों का नियंत्रण	LS	3.11
10.	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण	LS	8.72
11.	वन्यप्राणी रेस्क्यू/केयर सेंटर	LS	1.50
12.	बायोलॉजिकल डायवर्सिटी प्रबंधन	LS	26.35
13.	वन संपदा निर्माण एवं रखरखाव	LS	11.97
14.	वनकर्मियों के आवास भवन निर्माण	LS	12.53
15.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	LS	3.50
16.	प्रशिक्षण/कार्यशाला	LS	8.00
17.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के बढ़े हुए लागत को पूर्ण करने हेतु	LS	1000
	योग :-		**347.79**

(v) अर्जित ब्याज निधि के 40 प्रतिशत राशि रु. 4.35 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	भौतिक	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	कैम्पा प्रबंधन कार्य	LS	4.35
	योग :-		**4.35**

गोशवारा ए.पी.ओ. 2019-20	
मुख्य ए.पी.ओ.	230.87
80 प्रतिशत राशि	208.93
20 प्रतिशत राशि	56.57
अर्जित ब्याज निधि के 60 प्रतिशत राशि	347.79
अर्जित ब्याज निधि के 40 प्रतिशत राशि	4.35
कुल योग :-	**848.51**

7.9 उपरोक्त ए.पी.ओ. 2019-20 में स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत नवम्बर 2019 तक स्वीकृत कार्य/व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

ए.पी.ओ. 2019-20

(i) क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं अनिवार्य कार्य रु. 230.87 करोड़ (100 प्रतिशत)

अ.क्र.	कार्य का विवरण	ए.पी.ओ. में प्रस्तावित		स्वीकृत	
		भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4968.129	83.75	1210.77 ha.	19.83
2.	अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	3.33	0.82		
3.	पीनल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	5.08	0.09		
4.	ट्रांस्मीशन लाईन के नीचे क्षतिपूति वृक्षारोपण	428.188	7.00	20.48 ha.	0.61
5.	कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान	LS	3.50		
6.	वन्यप्राणी प्रबंधन योजना	LS	61.02	LS	11.11
7.	सेफ्टी जोन	LS	0.45		
8.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	2.98	303.41	0.19
9.	एवी फौना डेव्लपमेंट	LS	0.79		
10.	अन्य कार्य (भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो के पालन)	LS	3.05		
11.	पुराने क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के रखरखाव एवं वन्यप्राणी प्रबंधन के रखरखाव कार्य	LS	67.43	26790 ha.	47.43
	योग :-		**230.87**		**79.17**

(ii) 80 प्रतिशत राशि :- रु. 208.94 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	ए.पी.ओ. में प्रस्तावित		स्वीकृत	
		भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)
1.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	153.93	LS	27.10
2.	पुराने वर्षो के वृक्षारोपण के रखरखाव एवं अन्य रखरखाव कार्य	LS	55.00	LS	55.00
	योग :-		**208.93**		**82.10**

(iii) 20 प्रतिशत राशि रु. 56.57 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	ए.पी.ओ. में प्रस्तावित		स्वीकृत	
		भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)
1	वन संपदाओं के क्रियान्वयन एवं रखरखाव कार्य (डब्ल्यू.बी.एम.मार्ग)	LS	36.57	78 km WBM 6 Nos. Rapta/ Puliya	12.07
2	वन कर्मियों के कॉलोनी में मूलभूत सुविधाऐ	LS	20.00	LS	1.25
	योग		**56.57**		**13.32**

(iv) अर्जित ब्याज निधि के 60 प्रतिशत राशि रु. 347.79 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	ए.पी.ओ. में प्रस्तावित		स्वीकृत	
		राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक
1.	नर्सरी उन्नयन कार्य	LS	14.17		
2.	प्राकृतिक पुर्नत्पादन (कृत्रिम उत्थान कार्य)	LS	4.75	1170 ha.	0.77
3.	वृक्षारोपण कार्य (नदीतट रोपण)	LS	5.68		
4.	भू–जल संरक्षण कार्य	LS	7.02		
5.	बीज संग्रहण प्रबंधन एवं उत्पादन केंन्द्र	LS	2.70	LS	3.76
6.	कार्य आयोजना में दिये गये प्रावधान अनुसार सिल्वीकल्चर कार्य	LS	82.08	49367 ha.	52.14
7.	वन संरक्षण अंतर्गत कार्य	LS	29.00		6.98
8.	संरक्षण संबंधी अन्य कार्य	LS	116.72		19.64
9.	वनों में बीमारियों का नियंत्रण	LS	3.11		0.13
10.	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण	LS	8.72	655 ha.	1.25
11.	वन्यप्राणी रेस्क्यू/केयर सेंटर	LS	1.50		

अ.क्र.	कार्य का विवरण	ए.पी.ओ. में प्रस्तावित		स्वीकृत	
		राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक	राशि (करोड़ रू. में)	भौतिक
1.	बायोलॉजिकल डायवर्सिटी प्रबंधन	LS	26.35		
2.	वन संपदा निर्माण एवं रखरखाव	LS	11.97	7 Nos.	2.15
3.	वनकर्मियों के आवास भवन निर्माण	LS	12.53	18 Nos.	1.54
4.	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	LS	3.50		
5.	प्रशिक्षण/कार्यशाला	LS	8.00		2.76
6.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यो के बढ़े हुए लागत को पूर्ण करने हेतु	LS	10.00		
	योग :-		**347.79**		**91.12**

(v) अर्जित ब्याज निधि के 40 प्रतिशत राशि रु. 4.35 करोड़

अ.क्र.	कार्य का विवरण	भौतिक	प्रस्तावित राशि (करोड़ रू. में)
1.	कैम्पा प्रबंधन कार्य	LS	4.35
	योग :-		**4.35**

गोशवारा ए.पी.ओ. 2019-20	प्रस्तावित राशि	स्वीकृत राशि
	(करोड़ रू. में)	
मुख्य ए.पी.ओ.	230.87	79.17
80 प्रतिशत राशि	208.93	82.10
20 प्रतिशत राशि	56.57	13.32
अर्जित ब्याज निधि के 60 प्रतिशत राशि	347.79	91.12
अर्जित ब्याज निधि के 40 प्रतिशत राशि	4.35	0.00
कुल योग :-	**848.51**	**265.71**

7.10 लेखा प्रक्रिया :- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के नियम 37 में राज्य प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गयी है :–

(i) छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र दिनांक 29 सितम्बर 2018 (परिशिष्ट 20/8) द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप धारा (1) में प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 22 को उक्त के साथ पढ़ते हुए छत्तीसगढ़ शासन, इस अधिनियम के उपयोगार्थ, छत्तीसगढ़ के लोक–लेखा के ब्याज उपचित करने वाले खंड के अंतर्गत मुख्य–शीर्ष 8121–साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियों के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129–छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अंतर्गत एक विशेष निधि के रुप में संदर्भित ''छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि'' का गठन किया गया है।

(ii) मासिक लेखा विवरण प्रारूप–7 में तैयार किया जावेगा।

(iii) राज्य प्राधिकरण की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संबंधी मासिक विवरण प्रारूप–8 में तैयार किया जावेगा।

(iv) राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण प्रारूप–9 में तैयार किया जावेगा।

(v) राज्य प्राधिकरण प्रारूप 10 में अपने अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।

7.11 अंकेक्षण एवं वार्षिक प्रतिवेदन

(i) प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के लेखा का अंकेक्षण महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक को सौंपा गया है।

(ii) **सामाजिक अंकेक्षण** :- ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण संबंधित ग्राम सभा के माध्यम से कराया जायेगा।

(iii) **वार्षिक प्रतिवेदन** :- प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम 2018 के नियम 38 के अनुसार राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा प्रारूप–11 में तैयार किया जावेगा।

7.12 अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा

1. राज्य को उपलब्ध कराये गये कोष के प्रभावी एवं उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु, आबंटन से किये गये कार्यों की लगातार समीक्षा एवं मूल्यांकन राज्य प्राधिकरण की क्रियान्वयन समिति द्वारा की जावेगी।

2. राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कार्यों का आंतरिक मूल्यांकन विभागीय प्रक्रियाओं के अनुसार निरंतर कराया जावेगा।

3. कैम्पा नियमानुसार कैम्पा कार्यों के स्वतंत्र अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तृतीय पक्षकार (External Monitoring) से कराए जाने का प्रावधान है। जिसके तहत APO वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 से कराए गए कार्यों का बाह्य मूल्यांकन IIFM (Indian Institute of Forest Management) Bhopal तथा APO 2011–12 से 2014–15 के कार्यों का बाह्य मूल्यांकन TFRI (Tropical Forest Research Institute) Jabalpur से कराया गया है।

4. राज्य प्राधिकरण (कैम्पा) द्वारा कराए जा रहे कार्यों की Monitoring हेतु राष्ट्रीय कैम्पा द्वारा Monitoring Group का गठन किया जावेगा, उनके द्वारा समय–समय पर Monitoring की जावेगी।

5. **क्षेत्रीय कार्यो की वेब बेस्ड मॉनिटरिंग** :- कैम्पा निधि से संपादित कार्यों के वेब बेस्ड मॉनिटरिंग के लिये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकसित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल में राज्य प्राधिकरण द्वारा कैम्पा मद से स्वीकृत समस्त कार्यों के डाटा अपलोड किये जावेंगे। इस पोर्टल में वन भूमि हस्तांतरण के समस्त प्रकरणों को भी अपलोड किया जाना है। पोर्टल में अपलोड डाटा का निरीक्षण एवं परीक्षण का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून को सौंपा गया है।

6. कैम्पा कार्यों के सामाजिक अंकेक्षण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1096, दिनांक 04.09.2012 एवं क्रमांक 183 दिनांक 11.02.2013 द्वारा प्रक्रिया स्थापित की गयी है, जिसके तहत समय–समय पर कैम्पा मद से कराए जा रहे कार्यों के संबंधित ग्राम सभाओं द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराया जाना है।

8. संरक्षण

8.1 वन सुरक्षा -

वनों की सुरक्षा विभाग का प्राथमिक दायित्व है एवं इसके लिए सतत् प्रयास किये जा रहे है। इस हेतु विभागीय अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, क्षेत्रीय अमले की क्षमता विकास, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, वनवासी ग्रामीणों के वन सुरक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, वन सुरक्षा गस्ती व्यवस्था को मजबूत करना आदि कार्य सतत् किये जा रहे हैं। विभाग की नियामक प्रणाली को मजबूत करने के साथ–साथ संयुक्त वन प्रबंधन की रणनीति के तहत ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य के वन संपदा की सुरक्षा हेतु गठित 7887 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां वन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

8.2 अवैध वन कटाई एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु व्यवस्था -

वन क्षेत्रों में अवैध कटाई एवं वनोपजों के अवैध परिवहन एवं अन्य वन अपराधों की रोकथाम के लिए वनक्षेत्रों को वनमंडल, परिक्षेत्र एवं बीटों में विभाजित किया गया है। वनमंडलाधिकारी, उप–वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्राधिकारी, परिक्षेत्र सहायक एवं वन रक्षक (बीट गार्ड) को वन सुरक्षा एवं निगरानी हेतु तैनात किये गये हैं। वनमंडल स्तर पर बीट निरीक्षण हेतु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं। इसके तहत् वनमंडलाधिकारी से लेकर बीट गार्ड तक हर एक अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिमाह बीट निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। वन सुरक्षा के प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग हेतु वन मुख्यालय स्तर पर कारगर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 (अक्टूबर 2019 की स्थिति में) में प्रदेश में वन अपराध की रोकथाम के तहत् की गई कार्यवाही के अनुक्रम में दर्ज प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार हैः–

अनु. क्र.	वर्ष	वन अपराध के दर्ज प्रकरणों की संख्या	जप्त वनोपज का मूल्य (लाख रू. में)	वसूल किया गया मावजा/महसूल की राशि (लाख रू. में)	जप्त वाहन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2017	22594	462.49	95.78	304
2	2018	19163	507.46	103.417	283
3	2019 (अक्टूबर 2019 की स्थिति में)	18969	523.79	79.647	358

8.3 वनोपज जांच नाका -

अवैध वनोपजों की निकासी की रोकथाम हेतु राज्य के अंदर 247 एवं अंतर्राज्यीय 31 वनोपज जांच नाके स्थापित हैं। इन जांच नाकों पर वाहनों की सघन जांच की जा रही है तथा वनोपज परिवहन कर रहे वाहनों की समस्त जानकारियां अभिलेखित की जा रही है।

8.4 वन सुरक्षा गश्त -

वनों में अवैध कटाई, वनोपज के अवैध निकासी एवं वन्यप्राणियों के शिकार की रोकथाम हेतु राज्य के वनवृत्तों में 06, वनमंडलों में 34, एवं वन परिक्षेत्र स्तर पर 212 स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं। इन स्ट्राईक फोर्स को वाहन एवं वन सुरक्षा बल उपलब्ध कराये गये हैं। वन सुरक्षा गश्त हेतु क्षेत्रीय ईकाईयों को संरक्षण प्रभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। क्षेत्रीय अमलों द्वारा की जा रही वन सुरक्षा गश्ती एवं कार्यवाही का वन मुख्यालय स्तर से सतत् मॉनिटरिंग की जा रही है।

8.5 आकस्मिक रात्रि गश्त -

अवैध कटाई, अवैध निकासी, अवैध शिकार पर सतत् नियंत्रण रखने हेतु संपूर्ण राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित तिथि जो कि साप्ताहिक एवं माह में एक दिवस संपूर्ण प्रदेश में आकस्मिक रात्रि गश्त आयोजित की जाती है। जिसके अंतर्गत पूरे राज्य में वन रक्षक से मुख्य वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारियों का विभिन्न संवेदनशील वनक्षेत्रों एवं निकासी मार्गों पर रात्रि गश्त करते हैं। रात्रि गश्ती के दौरान वाहनों की चेकिंग की जाकर अवैध वनोपज पाये जाने पर सुसंगत कार्यवाही की जाती है।

8.6 वन अपराध प्रकरणों का अनुश्रवण -

वन सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरूस्त रखने के उद्देश्य से वन मुख्यालय द्वारा वन अपराध प्रकरणों की निरंतर समीक्षा एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। इस हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत् 15 प्रपत्रों में वनमंडलों से प्रतिवेदन प्राप्त की जा कर नियमित समीक्षा की जाती है। इसके आधार पर वन सुरक्षा एवं प्रबंधन के सम्यक उपाय किये जा रहे हैं।

8.7 राज्य में आरामशीनों की स्थिति -

वर्ष 1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संसूचित 1430 आरामशीनों की वन वृत्तवार जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वृत्त का नाम	आरा मशीनों की संख्या	संचालित आरामशीनों की संख्या	बंद आरा मशीनों की संख्या	सी.ई.सी. द्वारा 19.01.2009 को नियमित की गई आरा मशीनों की संख्या	कुल योग
1	रायपुर	523	500	23	0	523
2	दुर्ग	399	385	14	7	406
3	कांकेर	18	17	1	0	18
4	जगदलपुर	61	41	20	0	61
5	बिलासपुर	354	299	55	2	356
6	सरगुजा	65	57	8	1	66
योग		**1420**	**1299**	**121**	**10**	**1430**

आरामशीनों के नियमित निरीक्षण हेतु वनमंडल स्तर पर निरीक्षण रोस्टर तैयार किए गये हैं। क्षेत्रीय अमला रोस्टर अनुसार आरामशीनों का नियमित निरीक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम 1984 एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत आरामशीनों पर नियंत्रण की कार्यवाही की जाती है। इसका अनुश्रवण वन मुख्यालय द्वारा भी की जा रही है।

रिट याचिका क्रमांक– 202/1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05/10/2015 में आरामशीनों के संबंध में दिये गये निर्देश के अनुपालन में राज्य में वर्ष 1997 के पश्चात् किसी भी नई आरामशीन की अनुज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। आरामशीनों के नामांतरण, स्थल परिवर्तन एवं विक्रय के उपरान्त नामांतरण/स्थल परिवर्तन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरणों का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है।

8.8 केन्द्र प्रवर्तित गहन वन प्रबंधन योजना -

राज्य में वन सुरक्षा के लिए अधोसंरचना विकास हेतु भारत सरकार से अधिक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये गये है। विगत 03 वर्षों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन(केन्द्रांश/राज्यांश की जानकारी वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20) एवं व्यय राशि निम्नानुसार है :–

राशि लाखों में

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि			व्यय राशि	समर्पित राशि
	केन्द्रांश 60%	राज्यांश 40%	योग		
1	2	3	4	5	6
2017–18	168.00	112.00	280.00	225.26	54.74
2018–19	329.54	162.00	491.54	344.56	146.98
2019–20 (अक्टूबर 2019 की स्थिति में)	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
योग :-	**497.54**	**274.00**	**771.54**	**569.82**	**201.72**

वर्ष 2019–20 में वन सीमाओं को सुरक्षित हेतु बजट मद 3877 योजना के अंतर्गत 14,112 मुनारा निर्माण एवं 14200.00 कि.मी. सीमा रेखाओं के रख–रखाव कार्य के लिए बजट मद 001 डिमार्केशन में राशि रूपये 481.50 लाख आबंटित की गई है।

कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2019–20 में प्राप्त राशि से वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए 3506 अग्नि सुरक्षा श्रमिक 04 माह (15 फरवरी 2020 से 16 जून 2020 तक)के लिए तैनात करने की कार्यवाही की जा रही है।

8.9 वनों की अग्नि सुरक्षा -

वनों की अग्नि से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस हेतु सभी 3506 बीटों में एक–एक अग्नि रक्षक संपूर्ण अग्नि काल (15 फरवरी से 16 जून तक) के लिए तैनात किये जा रहा हैं। वनों की अग्नि से

सुरक्षा की सतत् निगरानी व सहायता हेतु वनमंडल स्तरीय एवं परिक्षेत्र स्तरीय स्ट्राईक फोर्स कार्यरत हैं।

राज्य में उपग्रह आधारित फायर अलार्म सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वनमंडल(एफ.एम.आई.एस.) रायपुर द्वारा उपग्रह से प्राप्त डाटा के आधार पर अग्नि स्थल की सूचना क्षेत्रीय अधिकारियों को एस.एम.एस. एवं ई–मेल के माध्यम से संसूचित की जाती है। उक्त सूचना के आधार पर अधीनस्थ अमले द्वारा मौके पर पहुंचकर अग्निशमन करने के उपरान्त इसकी सूचना संबंधित वनमंडलाधिकारी एवं एफ.एम.आई.एस. वनमंडल, रायपुर को दी जा रही है। उपग्रह आधारित प्रणाली एवं त्वरित संचार व्यवस्था के लागू होने के उपरान्त वनों में अग्नि प्रकरणों पर कारगर नियंत्रण हो सका है तथा अग्नि प्रभावित क्षेत्र में नुकसानी में भी काफी कमी आई है।

9. संयुक्त वन प्रबंधन

छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन को प्रदेश में वन प्रबंधन का मुख्य आधार बनाया गया है एवं वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वन सुरक्षा में जन सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया गया है।

प्रदेश के कुल 19720 ग्रामों में से वनक्षेत्र की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर लगभग 11185 ग्राम स्थित हैं। उक्त के अंतर्गत वन सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में कुल 7887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। राज्य में गठित कुल समितियों की संख्या, उन्हें आबंटित वन क्षेत्र तथा सदस्यों का विवरण निम्नानुसार हैः–

वनों के संवर्धन में कार्यरत वन प्रबंधन समितियों की महिला

वन प्रबंधन समितियों की संख्या	:	7887
सं.व.प्र. को आबंटित वन क्षेत्र	:	33190 व. कि.मी
कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत	:	55.52 प्रतिशत
कुल समिति सदस्यों की संख्या	:	27.63 लाख
महिला	:	14.36 लाख
पुरूष	:	13.27 लाख
अनुसूचित जन जाति	:	15.21 लाख
अनुसूचित जाति	:	4.71 लाख
अन्य	:	7.71 लाख

9.1 संयुक्त वन प्रबंधन पर राज्य शासन का संकल्प :-

राज्य शासन द्वारा पारित संयुक्त वन प्रबंधन के संशोधित संकल्प अक्टूबर 2002 के अनुसार संयुक्त वन प्रबंधन को आबंटित वन क्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुरूप बाँस या काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 15 प्रतिशत राशि अथवा 15 प्रतिशत मूल्य तक का वनोत्पाद वन प्रबंधन समितियो को प्रदाय किया जाता था।

वन सीमा से 5 कि.मी. की परिधी में निवासरत वनश्रितों द्वारा वनों में लघुवनोपज संग्रहण

उपरोक्त प्रावधान को शासन के संकल्प क्रमांक एफ 7–36/ 2001/10–2 दिनांक 5 अगस्त 2013 के द्वारा संशोधित करते हुयें काष्ठ कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 20 प्रतिशत राशि एवं बॉस कूप के मुख्य पातन/वन वर्धनिक विरलन से प्राप्त होने वाले वनोत्पाद की स्थल पर कुल कीमत की 100 प्रतिशत राशि समिति को लाभांश के रूप में प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

इस योजना के तहत् वन प्रबंधन समितियों को लाभांश के रूप में राज्य गठन के उपरान्त से मार्च, 2019 तक कुल रू. 372.70 करोड़ की राशि प्रदाय की जा चुकी है।

9.2 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये कार्य :-

9.2.1 वानिकी कार्य

9.2.1.1 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/औषधी रोपण

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वनो के विकास के साथ–साथ वन प्रबंधन समिति सदस्यों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये गये है। इसके तहत समिति क्षेत्रों मे लघुवनोपज एवं औषधि पौधों का रोपण को बढावा दिया गया है। लघु वनोपज /औषधीय रोपण की योजना के अंतर्गत आवंला, हर्रा, बहेड़ा एवं औषधी प्रजातियों का रोपण वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 890 हे. क्षेत्र में आंवला, हर्रा, बहेड़ा एवं महुआ प्रजातियों का 356000 पौधो का रोपण किया गया है। ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज/औषधी रोपण योजना के तहत 5 वर्षो में किये गये रोपण का विवरण निम्नानुसार है :–

आँवला, हर्रा, बहेड़ा वृक्षारोपण : मरवाही वनमंडल

क्र.	वर्ष	रोपण क्षेत्र (हे.)
1	2015–16	700
2	2016–17	850
3	2017–18	1119
4	2018–19	780
5	2019–20	890

9.2.1.2 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम :

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत सागौन रोपण : कटघोरा वनमंडल

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वनों के सतत् विकास हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार राज्य के वन विकास अभिकरणो के संघ के रूप में State Forest Development Agency (SFDA) का गठन किया जाकर वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत सागौन रोपण : कटघोरा वनमंडल

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य में वर्ष 2001–02 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन सहभागी तरीके के अंतर्गत द्विस्तरीय व्यवस्था ''वन विकास अभिकरण'' एवं ''संयुक्त वन प्रबंधन समितियों'' को सम्मिलित कर किया गया है। उपरोक्तानुसार वर्ष 2001–02 से प्रारंभ इस परियोजना में छ.ग. राज्य के अंतर्गत अब तक 133077 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण का कार्य किया जा चुका है। 5 वर्षो में किये गये रोपण एवं स्वीकृत राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वर्ष	रोपित क्षेत्र (हे .)	स्वीकृत राशि (रू. लाख)
1	2015–16	4519	1968.86
2	2016–17	4475	876.38
3	2017–18	केवल रख रखाव कार्य	1541.85
4	2018–19	2055	707.65
5	2019–20	5500 हे.तैयारी एवं रख रखाव	952.28

9.2.1.3 ग्रीन इंडिया मिशन :- कृषकों की निजी भूमि में रोपण : मरवाही वनमंडल

कृषकों की निजी भूमि में रोपण : मरवाही वनमंडल

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जलवायु परिवर्तन पर आधारित ग्रीन इंडिया मिशन योजना का क्रियान्वयन राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत लैण्डस्केप का चयन कर किया जा रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत वृक्षारोपण, वैकल्पिक ऊर्जा का विकास, अनुसंधान एवं आयमूलक कार्य

कराये गये है। इस हेतु राज्य के 11 वनमण्डलों के अंतर्गत क्लस्टर आधार पर कुल 80 वन प्रबंधन समितियों/ग्रामों में कार्यो का क्रियान्वयन किया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आम रोपण : मरवाही वनमंडल

योजना के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं आर्थिक लक्ष्य के अनुसार कुल 19128 हे. क्षेत्रा में रोपण कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिसका तृतीय वर्ष के रख–रखाव के कार्य वर्ष 2019–20 में कराये गये है।

ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आम रोपण : मरवारही वनमंडल

9.2.2 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से प्रदेश के वनमण्डलों में लोक संरक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला का विकास किया जा रहा है। लोक संरक्षित क्षेत्रा की अवधारणा, एक ऐसी जन–केन्द्रित व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है ताकि यह क्षेत्र गरीब जनता के संसाधन निर्मित होकर, गरीबी उन्मूलन तथा अच्छे जीवन की रूप–रेखा बना सके। जिसमें मुख्यतः वनक्षेत्र में उपलब्ध औषधीय एवं लघु वनोपज प्रजाति के वनस्पतियों की सुरक्षा एवं संवर्धन, उपलब्ध वनोपजों विनाश विहीन विदोहन, भू–जल संरक्षण, एवं अग्नि सुरक्षा इत्यादि के कार्य हैं। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र के बड़े विस्तार एवं संपादित किये जाने वाले कार्यों पर व्यय की न्यूनता के कारण लोक संरक्षित क्षेत्रों के परियोजनाओं में अपेक्षित एवं बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है। विगत वर्षों के इन्ही अनुभवों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 से योजना के प्रारूप में निम्नानुसार आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं :–

अंतः स्थलीय संवर्धन : कटघोरा वनमंडल

- लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना हेतु 200 हेक्टेयर से 500 हेक्टेयर तका उपयुक्त क्षेत्रों का चयन किया जावेगा । चयनित किये जाने वाले वनक्षेत्र में वन घनत्व 0.5 एवं इससे अधिक होना चाहिये ।
- अंतः स्थलीय संवर्धन : कटघोरा वनमंडल
- लोक संरक्षित क्षेत्रों के चयन में लघु वनोपज/औषधीय प्रजाति के महत्वपूर्ण वानस्पतिक प्रजाति यथा – चिरौंजी, बेल, ऑवला, कुल्लू, माहुल पत्ता, शतावर इत्यादि जो विलुप्त होती जा रही हैं, को केंद्रित करते हुए क्षेत्रों का चयन किया जावेगा।

- चूँकि योजना के उद्देश्य अनुसार चयनित क्षेत्रों को पूर्व की भांति पुनः स्थापित किया जाना भी है, अतः क्षेत्र के ग्रामीण/संग्राहकों को सूचीबद्ध कर इस कार्यक्रम से जोड़ा जाना है ताकि क्षेत्र की सुरक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो। उन संग्राहकों को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया जा रहा है जो उस लघु वनोपज (जैसे–चिरौंजी, गुठली, ऑवला आदि) का संग्रहण करते हैं, जिस पर लोक संरक्षित क्षेत्र केन्द्रित है एवं उक्त संग्राहकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
- स्थापना हेतु चयनित किये गये वन क्षेत्र के आस–पास के स्थानीय निवासियों के लिए वनो की सुरक्षा एवं विकास, संवर्धन, विनाश विहीन विदोहन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन में आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहे है।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 600 हे. एवं वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 में 200–200 हे. क्षेत्र में नवीन अंतः स्थलीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। वर्ष 2019–20 में 12720 हे. क्षेत्र में रख–रखाव का कार्य भी किया गया है। 5 वर्षो में स्थापित अंतः स्थलीय क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	वर्ष	अंतः स्थलीय क्षेत्रों की स्थापना (हे.)
1	2015–16	18264
2	2016–17	16120
3	2017–18	600
4	2018–19	200
5	2019–20	200

9.2.3 पारिस्थिकीय विकास सेवा परियोजना (ESIP) :

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एनएईबी, नई दिल्ली, द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विश्व बैंक के समन्वय से छत्तीसगढ़ राज्य में Ecosystem Services Improvement Project (ESIP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना का क्रियान्वयन देश के मात्र दो राज्य छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य मे पायलट आधार पर किया जा रहा है। ESIP Project के अंतर्गत पारिस्थितकीय तन्त्र/पर्यावरण सेवाओं का विकास तथा वनों का विकास एवं संरक्षण, क्षमता विकास कार्यक्रम एवं जीवकोपार्जन की गतिविधियों पर आधारित छः वर्षीय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना हेतु आवश्यक धनराशि विश्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य को उपलब्ध कराई जावेगी।

पारिस्थितिकीय विकास हेतु रोपण : मरवाही वनमंडल

पारिस्थितिकीय विकास हेतु रोपण : मरवाही वनमंडल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार,

विश्व बैंक एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जा चुका है तथा विश्व बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु इस योजना के अन्तर्गत रू. 49.27 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना अंतर्गत निम्नानुसार 4 मुख्य कार्य घटकों के आधार पर कार्यो का क्रियान्वयन किया जा रहा है :–

पारिस्थितिकीय विकास रोपण : बलरामपुर वनमंडल

1. वानिकी और भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शासकीय संस्थानों का क्षमता विकास।
2. चयनित लैंडस्केप में वनों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु निवेश।
3. चयनित लैंडस्केप में सतत् भू एवं पारिस्थितिकीय प्रबंधन विकास।
4. परियोजना प्रबंधन।

विषयांकित परियोजना हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चयनित लैण्डस्केप में ही किया जाना है। उक्त के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 04 वनमंडलों क्रमशः बलरामपुर, कवर्धा, मरवाही एवं कटघोरा वनमंडल में ESIP Project क्रियान्वित किये जा रहे है। वन क्षेत्रों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुये सतत् पारिस्थितिकीय विकास एवं कार्बन संग्रहण के उद्देश्य से परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये गये है। इसके अंतर्गत बिगड़े वन क्षेत्रों के सुधार हेतु वृक्षारोपण एवं गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण कराये गये है। परियोजना कार्य से पूर्व क्षेत्र की जैवविविधता एवं वनस्पत्तियों का आधारभूत सर्वेक्षण किया गया है। परियोजना अवधि पूर्ण होने के पश्चात आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़ों से तुलनात्मक विश्लेषण किया जावेगा। साथ ही क्षेत्र की जैवविविधता में परिवर्तन एवं कार्बन संग्रहण की मात्रा का आंकलन किया जावेगा। परियोजना अंतर्गत वर्ष 2019–20 में निम्नानुसार क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है :–

क्र.	वनमंडल	रोपण क्षेत्र (हे .)	रोपित पौधों की संख्या
1	कवर्धा	720	288000
2	कटघोरा	750	35000
3	मरवाही	1173	484376
4	बलरामपुर	575	198000
योग :-		**3218**	**1005376**

9.2.4 रोजगार मूलक एवं अधोसंरचना विकास कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण तथा विभिन्न आय वृद्धि मूलक कार्य कराये गये है।

वन विभाग के प्रयास से दूरस्थ वन क्षेत्रों में स्थित वन प्रबंधन समितियां वन एवं गैर वन आधारित आय वर्धक गतिविधियो के प्रति भी आकर्षित हुई है तथा लाख, शहद, कोसा, जैविक खाद उत्पादन, बास प्रसस्करण, हस्तशिल्प कला, सबई रस्सी निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, लाख की चूड़ी एवं आभूषण निर्माण, जैविक कृषि, दोना पत्तल निर्माण, लघु वनोपज सग्रहण एवं प्रसस्करण, रोपणियों का संचालन, उचित मुल्य की दुकान, पर्यटन विकास, एवं परिवहन विकास जैसे कार्यो का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। इन गतिविधियों से आय में वृद्धि के साथ–साथ वनों में अग्नि, चराई तथा अतिक्रमण जैसे जैविक दबावो में कमी आने से वनो की पुनरूत्पादन क्षमता में भी आशातीत वृद्धि हुई है। विभिन्न योजनाओं के तहत् कराये गये प्रशिक्षण एवं रोजगार मूलक कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

9.2.4.1 क्षमता विकास/प्रशिक्षण - वन प्रबंधन समितियों के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। इसमें 04 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्धारण किया गया है। जिसमें 3 दिवस विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे एवं चौथे दिवस में प्रशिक्षणार्थियों को भ्रमण कराया जाता है। इसके अन्तर्गत राज्य के 6 वन वृत्तों में विगत 4 वर्ष में कुल 387 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम औसतन 40 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों हेतु आयोजित किया जाता है। इस प्रकार 6 वन वृत्तों से कुल 387 प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15480 वन प्रबंधन समिति अध्यक्ष/सदस्यों को प्रशिक्षित गया है। प्रशिक्षणार्थियों में 30 प्रतिशत महिलाओं को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य है।

वन प्रबंधन समिति सदस्यों की बैठक : बलरामपुर वनमंडल

लाख चुड़ी एवं आभूषण प्रशिक्षण : बलरामपुर वनमंडल

संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं में राज्य के वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास का प्रावधान रखा गया है ताकि संसाधनों के उचित प्रबंधन से स्थानीय समुदायों की वनों से निर्भरता कम करते हुये उन्हें सतत् लाभ प्राप्त हो सके। इस हेतु अनेक चरणों में प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन समय–समय पर किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में आयोजित मुख्य प्रशिक्षणों एवं कार्यशाला का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	प्रशिक्षण विषय	प्रतिभागियों की संख्या
1	Brainstroming Workshop on ESIP	69
2	जैवविविधता मापन पर प्रशिक्षण	65
3	कार्बन मापन पर प्रशिक्षण	65
4	Participatory Rural Appraisal Training	65
5	जैवविविधता एवं कार्बन मापन प्रशिक्षण	65
6	Use of Step Module by Registered users & Training for likely new users	32
7	Assessment of Forest Carbon Stock	46
8	दोना पत्तल निर्माण	53
9	जैविक खाद उत्पादन	90
10	लाख पालन तकनीक	414
11	लाख से चूड़ी एवं आभूषण निर्माण	88
12	बाँस शिल्प कला	24
13	एकीकृत फार्म विकास	200
14	मछली पालन	102
15	पशुपालन	75
16	मुर्गी पालन	130
17	बाँस प्रसंस्करण	20
18	सिलाई प्रशिक्षण	35

जैविक खाद निर्माण प्रशिक्षण - मरवाही वनमंडल

मछली पालन प्रशिक्षण - कटघोरा वनमंडल

जैविविविधता एवं कार्बन मापन प्रशिक्षण - कटघोरा

सिलाई प्रशिक्षण - कटघोरा वनमंडल

9.4.2.2 वन प्रबंधन समितियों में कराये गये रोजगार मूलक कार्य

संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों की वनों पर निर्भरता कम करते हुए अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समिति क्षेत्रों में विभिन्न आय मूलक कार्य कराये गये है। संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वन प्रबंधन समितियों में निम्नानुसार रोजगार मूलक कार्य कराये गये है, जिससे समिति सदस्यो को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकें।

9.4.2.3 लाख से चूड़ी एवं आभूषण निर्माण :- लाख से चूड़ी निर्माण करते समिति सदस्य–मरवाही वनमंडल मरवाही वनमंडल के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति दानीकुंडी एवं अमेराटिकरा की महिलाओं द्वारा स्व–सहायता समूह का निर्माण कर लाख से चूड़ी एवं आभूषण निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्व–सहायता समूह दानीकुंडी एवं अमेराटिकरा में क्रमशः 12 एवं 13 महिलाओं का समूह गठित है। उक्त दोनो समूहों द्वारा प्रति महीने कुल लगभग 1.00 लाख से 1.50 लाख तक की अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। उक्त समूहों की 25 महिलायें आज स्वावलंबन की डगर पर चल निकली है। एक महिला प्रतिदिन 4 से 6 सेट चुडी तैयार कर देती है। एक सेट चुड़ी की कीमत लगभग 150 से 200 रू. निर्धारित है। इस प्रकार प्रत्येक महिला को कच्चे माल की कीमत घटाकर लगभग 200 रू तक आमदनी प्रतिदिन प्राप्त हो जाती है।

लाख से चुडी निर्माण करते समिति सदस्य - मरवाही

लाख से निर्मित चुडियां - मरवाही वनमंडल

मरवाही वनमंडल द्वारा ESIP परियोजना के अंतर्गत इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। समूहों द्वारा निर्मित चूडियों की बिक्री हेतु बिलासपुर शहर के छ.ग. माल के बिहान बाजार एवं रायपुर के मेगनेटों माल में जगह उपलब्ध कराते हुये बाजार व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इन महिलाओं द्वारा निर्मित चुडियों को राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भी सराहा गया है एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनके निवास स्थल पर लाख की चुडियों का स्टाल लगाया गया है।

9.4.2.4 जैविक चावल का उत्पादन :- कटघोरा वनमंडल के पाली परिक्षेत्र में वन प्रबंधन समिति कर्रा नवाडीह में जय मां शारदा स्व–सहायता समूह द्वारा चीनी शक्कर नामक धान की जैविक खेती की जा रही है। इस समूह में लगभग 12 सदस्य सम्मिलित है। चीनी शक्कर प्रजाति के धान की विशेषता यह है कि इसके उत्पादन में

किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद अथवा कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। धान से चांवल निकालने हेतु भी किसी मशीन का उपयोग अथवा पालीस नहीं किया जाता है। किसानों द्वारा उत्पादित धान से चांवल "ढेंकी" द्वारा कुटकर निकाला जाता है। ढेंकी चांवल निकालने की एक पारंपरिक पद्धति है जिसमें एक गढ्ढे में धान को डालकर ढेंकी से कुटते हुये चांवल निकाला जाता है। एक क्विंटल धान से लगभग 70 किलो चांवल निकाला जाता है एवं इस चावल को 100 रू. प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जाता है। धान उत्पादन से लेकर चावल निकालने तक लगभग प्रति किलो 80 रू. का खर्च आता है इस प्रकार प्रति किलो रू. 20 की शुद्ध आमदनी समूह को प्राप्त होती है।

ढेंकी से चावल निकालते हुये समूह के सदस्य-कटघोरा वनमंडल

चीनी शक्कर प्रजाति का यह धान स्वाद में उत्तम तो है ही साथ ही रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग न होने के कारण यह स्वास्थ्यवर्द्धक भी है। ग्रामीणों के अनुसार डायबिटीज के मरीजों हेतु इस चावल का उपयोग उत्तम माना गया है।

9.4.2.5 चाय की खेती :-

जशपुर वनमंडल के अंतर्गत वन प्रबंधन समिति सारूडीह में सफलता पूर्वक चाय की खेती की जा रही है। इस हेतु महिला स्व–सहायता समूह गठित कर 20 एकड़ भूमि में चाय बगान विकसित किया गया है।

उक्त चाय बगान में 8 माह में लगभग 10 क्विंटल हरे चाय की पत्ती का उत्पादन होता है। औसतन 5 किलो हरी पत्ती से 1 किलो चाय बनती है। समूह द्वारा सामान्य चाय पत्ती के अलावा ग्रीन टी का निर्माण भी किया जाता है। समान्य चाय की दर 400 रू. प्रति किलो एवं ग्रीन टी 2000 रू. प्रति किलो की दर से विक्रय की जा रही है। सारूडीह में चाय की खेती की सफलता को देखकर अन्य समितियों में भी इसका विस्तार किया गया है साथ ही जशपुर वनमंडल में इस वर्ष से काफी की खेती भी प्रारंभ की गई है।

चाय बगान का दृश्य-जशपुर वनमंडल

चाय विक्रय केन्द्र - जशपुर वनमंडल

9.4.2.6 पशुपालन एवं डेयरी विकास :-

वन प्रबंधन समितियों की वनों से निर्भरता कम करने के दृष्टिकोण से कराये जा रहे आयमूलक गतिविधियों के अंतर्गत अनेक वनमंडलों में डेयरी विकास का कार्य कराया गया है। इसी के अंतर्गत महासमुन्द वनमंडल में मुढीपार के 13 ग्रामों के 1 क्लस्टर में आर्थिक उन्नयन हेतु डेयरी विकास किया गया है।

डेयरी विकास - महासमुन्द वनमंडल

बल्क मिल्क कूलर - महासमुन्द्र वनमंडल

इस डेयरी विकास केन्द्र के अंतर्गत कुल 248 गायें रखी गई है जिससे प्रतिदिन लगभग 5200 लीटर दूध का उत्पादन होता है। उक्त दूध के संग्रहण हेतु मिल्क कूलर स्थापित किया गया है जहां दूध अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता हैं। संग्रहित दूध के परिवहन हेतु टैंकर की व्यवस्था है जिसके द्वारा दूध परिवहन किया जाता हैं। उक्त डेयरी केन्द्र द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3.75 करोड़ का व्यापार किया जा रहा है। इस डेयरी केन्द्र से लगभग 65 सदस्यों को लगातार रोजगार प्राप्त हो रहा है।

9.4.2.7 वन प्रबंधन समितियों में जैविक खाद उत्पादन को बढ़ावा

वन विभाग द्वारा वनक्षेत्रों में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु जैविक खाद के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। जैविक खाद उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से जैविक खाद उत्पादन का कार्य कराया जा रहा है। इससे एक ओर वृक्षारोपण क्षेत्रों हेतु जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है वहीं दूसरी ओर समिति सदस्यों को रोजगार के साथ–साथ अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। राज्य की 675 वन प्रबंधन समितियों में लगभग 807 जैविक खाद निर्माण केन्द्रों की स्थापना की गई है। इससे लगभग 13720 समिति सदस्यों को सतत् रोजगार की प्राप्ति हुई है।

जैविक खाद उत्पादन केन्द्र : दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल

उपरोक्तानुसार जैविक खाद उत्पादन से समिति सदस्यों को रू. 7.50 करोड़ की अतिरिक्त आय की प्राप्ति हुई है। वन प्रबंधन समितियों में जैविक खाद उत्पादन को और बढ़ावा दिये जाने हेतु समिति सदस्यों

को प्रोत्साहित किया जा रहा है इस हेतु समिति स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

9.4.2.8 वन आधारित अन्य लघु उद्योग :-

संयुक्त वन प्रबंधन वनों के विकास का मुख्य आधार है तथा वनों के प्रबंधन में शत–प्रतिशत जनभागीदारी प्राप्त की जा रही है। इस हेतु राज्य में कुल 7887 वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। वैसे तो राज्य के वनक्षेत्रों की 5 किमी. परिधि की सीमा में लगभग 11185 ग्राम स्थित है यहां के समस्त ग्रामीण अपनी जीविका हेतु पूर्णतः वनों पर निर्भर है। इनके जीवन का मुख्य आधार लघु वनोपज संग्रहण, विपणन एवं अत्यंत ही सीमित मात्रा लघु उद्योगों द्वारा आय अर्जन है।

शहद उत्पादन : सुरजपुर वनमंडल

मशरूम उत्पादन : बलरामपुर वनमंडल

छत्तीसगढ़ राज्य की जैव विविधता अत्यंत ही समृद्ध है तथा यहां अत्यधिक अकाष्ठीय लघु वनोपज की उपलब्धता है, जिसका उपयोग लघु उद्योगों की स्थापना हेतु किया जा रहा है, इस हेतु प्रशिक्षण एवं समुचित ज्ञान तथा जागरूकता के द्वारा वन क्षेत्रों में वन आधारित लघु उद्योगों की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर अंतः स्थलीय संवर्धन कार्य किये गये है तथा औषधीय पौधों तथा अन्य लघु वनोपज की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उनके संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये गये है। प्रशिक्षण का यह कार्य स्थानीय वैद्यराज तथा बाह्य

स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री : मरवाही

कोसा पालन : सुरजपुर वनमंडल

विषय विशेषज्ञों द्वारा वनस्पतिक संसाधनों की सुरक्षा, संवर्धन, विनाश विहिन विदोहन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इत्यादि के संबंध में दिया जाता है।

अकाष्ठीय वनोपज की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, वन आधारित लघु उद्योगों स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन क्षेत्रों से प्रतिवर्ष दो करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन होता है, जो वनों से प्राप्त कुल रोजगार का लगभग आधा है। संयुक्त वन प्रबंधन गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न वनमंडलों में स्थापित अन्य लघु उद्योग एवं कराये गये रोजगार मूलक कार्य निम्नानुसार है :–

क्र.	वनमण्डल का नाम	समिति का नाम	कार्य का नाम
1	महासमुन्द	मुढ़ीपार	डेयरी विकास, मशरूम उत्पादन
2	धमतरी	प्रसंस्करण केन्द्र दुगली	माहूल पत्ता एवं औषधी प्रसंस्करण
3	कोरिया	बाँस प्रसंस्करण केन्द्र उदयपुर	बाँस प्रसंस्करण कार्य
4	कटघोरा		जैविक चांवल
5	मरवाही	दानीकुंडी महिला स्व–सहायता समूह	लाख चुडी निर्माण, धूप कंडा निर्माण, सुगंधित चावल, दोना पत्तल निर्माण
		नर्मदा स्व–सहायता समूह केंवची	औषधी प्रसंस्करण
6	बस्तर	महिला नर्सरी संचालन एवं मां दंतेश्वरी ओशो पुरूष स्व–सहायता समूह	नर्सरी संचालन एवं तैलीय बीज प्रसंस्करण
		जैव विविधता संरक्षण समिति जीरागांव	लामनी पार्क का संचालन एवं शहद प्रसंस्करण
7	बीजापुर	महिला स्वसहायता समूह भैरमगढ़	मशरूम उत्पादन
8	सुकमा	वन प्रबंधन समिति मुरतोण्डा	पर्यटन स्थल टोंगलडेम का संचालन
9	धरमजयगढ़	भारत माता महिला स्वसहायता समूह	माहूल पत्ता प्रसंस्करण
10	दक्षिण कोण्डागांव	हस्तशिल्प कला विकास – कोण्डागांव	बेलमेटल, आयरन राड एवं टेराकोटा हस्तशिल्प कार्य
11	सूरजपुर	वन प्रबंधन समिति करौंदामूड़ा	कोसापालन
		वन प्रबंधन समिति महेशपुर	मुर्गी एवं कोसापालन
12	जशपुर	वन प्रबंधन समिति सारूडीह एवं मनोरा	चाय उद्योग

महिला स्व-सहायता समूह द्वारा सब्जी उत्पादन : मरवाही वनमंडल

9.4.2.9 वन प्रबंधन समितियों में हस्त शिल्प कला विकास :

(बेलमेटल आर्ट, लौह शिल्प, टेराकोटा शिल्प, काष्ठ शिल्पकला)

शिल्पकारो के बिचौलियों द्वारा किये जा रहे शोषण को समाप्त करने, उनके सशक्तिकरण एवं उनकी कला में नवीन तकनीकों को शामिल करने के दृष्टिकोण से विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत कोण्डागांव, रायगढ़ एवं बस्तर वनमण्डल

झिटकु-मिटकी एम्पोरियम : कोण्डागांव

में बेलमेटल, टेराकोटा एवं लौह शिल्प कला हेतु परियोजना तैयार कर जमीनी स्तर पर कार्य किया गया , जिसमें शिल्पकारों को आर्थिक रूप सुदृढ़ करने में सफलता मिली है । इस कार्य हेतु विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी एवं कोयले के विकल्प के रूप में गैंस भट्ठी, बायोब्रेकटस, आवश्यक उपकरण एवं चक्रीय राशि उपलब्ध कराई गई। इस कला के निर्माण कार्य हेतु कोण्डागांव से बेलमेटल के 5 समूह, रॉट आयरन के 2 समूह, टेराकोटा के 1 समूह निर्माण कर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसमें प्रत्येक समूह में 12 से 15 तक शिल्पकार परिवार है। हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देते हुए विभिन्न वनमण्डलों में समूह का गठन कर उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ स्तर पर कुल 120 समूह का गठन किया गया है, जिसमें 1341 शिल्पकार परिवार कार्यरत है।

10. बाँस मिशन

10.1 बाँस मिशन प्रभाग का उद्देश्य :-

- वन एवं वनेत्तर क्षेत्रों में बाँस रोपण को बढ़ावा देने हेतु बॉस के पौधों की उपलब्धता किसानों को सुनिश्चित कराया जाना एवं किसानों को बॉस रोपण हेतु प्रोत्साहित करना।
- हितग्राहियों की कृषि आय में वृद्धि करने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण में योगदान सुनिश्चित करना।
- बाँस आधारित कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना एवं उनका विकास सुनिश्चित करना।
- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों को पुर्नजीवित करना एवं सुचारू रूप से संचालित करना।
- बाँस उत्पादों के बाजार की पहचान कर शिल्पकारों को बाजार दिलाने हेतु समुचित समन्वय सुनिश्चित करना।

10.2 प्रभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाएँ :-

10.2.1 राज्य पोषित योजना :-

- मुख्यमंत्री बाँस विकास योजना
- बाँस प्रसंस्करण इकाई योजना

10.2.2 केन्द्र प्रायोजित योजना :-

- पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन

10.3 मुख्यमंत्री बाँस विकास योजना :-

- कृषकों की बाड़ी तथा कृषि भूमि पर रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के आधार पर, उनकी मांग अनुसार बाँस की विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता एवं तेजी से बढ़ने वाले यथा संभव टिश्यु कल्चर के बाँस पौधों का रोपण कर हस्तांतरित किया जावेगा।
- रोपण वर्ष में प्रथम वर्ष रोपण कार्य हेतु रू. 53.20 का व्यय किया जावेगा, जिसमें गड़ढ़ा खुदाई, खाद, कीटनाशक, प्रचार–प्रसार, रोपण, दो बार निंदाई, गुड़ाई, थाला बनाई, खाद, कीटनाशक की कीमत आदि सम्मिलित है।
- रोपण पश्चात् आगामी दो वर्षों हेतु पौधों के रख–रखाव हेतु 5/– प्रति पौधें की दर से अनुदान दिया जावेगा।

10.4 रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियाँ :-

- Bambusa balcooa, Bambusa tulda, Bambusa nutans, Bambusa vulgaris (green), Dednrocalamus longispathus, Dendrocalamus stocksii, Dendrocalamus brandisii, Dendrocalamus strictus एवं कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों के आधार पर अन्य उपयुक्त बाँस प्रजातियाँ।
- मुख्यमंत्री बाँस विकास योजनान्तर्गत विगत वर्षों में रोपित पौधों का विवरण :–

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
मुख्यमंत्री बाँस विकास योजना	2016–17	2016	2.62	6521
	2017–18	2017	3.43	6186
	2018–19	2018	1.10	1728
	2019–20	2019	–	–
योग :-			**7.15**	**14435**

10.5 बाँस प्रसंस्करण इकाई योजना :-

- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बाँस कारीगरों हेतु आजिविका संवर्धन सुनिश्चित करना है।
- बसोड़ एवं बाँस से जुड़े परम्परागत समुदाय तथा बाँस शिल्पकारों को उन्नत डिज़ाईन विकसित करने, कौशल उन्नयन एवं निरंतर रोजगार प्रदान किया जा रहा है।
- स्थापित बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों के सुचारू रूप से संचालन, बाँस उत्पाद निर्माण, शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु केन्द्रों को राशि प्रदाय की जाती है।
- प्रदेश में वर्ष 2007–08 से 2009–10 तक कुल 28 बाँस प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गई है।
- बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायपुर में बाँस विपणन एवं विक्रय हेतु बैम्बू एम्पोरियम केन्द्र की स्थापना 02 नवम्बर, 2010 में की गयी है।

10.6 पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन योजना :-

- बाँस रोपण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर वनक्षेत्र राजस्व भूमि, गैर वनक्षेत्र – कृषक की भूमि, बाड़ी, सामुदायिक भूमि, कृषियोग्य बंजर भूमि एवं नहरों व जलाशयों के किनारे बाँस रोपण किया जावेगा।
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार करना।

- उत्पाद विकास को बढ़ावा देने के लिए बाजार मांग का अध्ययन करने हेतु अनुसंधान एवं विकास से सहायता, सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमियों व व्यापारिक दृष्टिकोण से सहायता।
- देश में बाँस आधारित इकाईयों की स्थापना को बढ़ावा, विद्यमान औद्योगिक इकाईयों को आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना।
- योजनान्तर्गत कौशल विकास, क्षमता निर्माण कर जागरूक करना।
- बाँस और बाँस उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने हेतु प्रयास करना।

10.7 राष्ट्रीय बाँस मिशन योजनान्तर्गत वर्ष 2006-07 से 2015-16 तक किये गये कार्यों का विवरण :-

- वर्ष 2006 से 2016 तक राज्य के 32 वन विकास अभिकरणों में वन क्षेत्र में 15,708 हे. बाँस रोपण, किसानों की पड़त, निजी भूमि में 5,631 हे. बाँस रोपण एवं 13,258.5 हे. क्षेत्र में बिगड़े बाँस वनों/गैर वन क्षेत्र में भिर्रों का सुधार कार्य किया गया है।
- 28 बाँस केन्द्रों के सशक्तीकरण व उन्नयन का कार्य, किसानों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु 29 महिला रोपणी एवं 28 किसान रोपणी की स्थापना की गई है तथा 38 केन्द्रीय रोपणी विभिन्न वन विकास अभिकरणों में स्थापित की गई है।
- वर्ष 2007 से 2016 तक 2,427 कृषकों को राज्य के भीतर तथा 73 को राज्य के बाहर, 1,561 क्षेत्रीय अमला को प्रशिक्षण एवं 412 बाँस शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- वर्ष 2007 से 2012 तक 03 राज्य स्तरीय एवं 33 जिला स्तरीय कार्यशाला/सेमीनार आयोजित किये गये है।
- बाँस प्रसंस्करण केन्द्रों में कार्यरत शिल्पकारों द्वारा वर्ष 2006–07 से अब तक 57 राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर के मेलों में 352 बाँस शिल्पकारों द्वारा भाग लिया जा कर रूपये 44.00 लाख मूल्य की बाँस सामग्री का विक्रय किया गया है।

10.8 बाँस मिशन प्रभाग हेतु वर्ष 2019-20 में प्राप्त/ समर्पण बजट का विवरण :-

योजना का नाम	मांग संख्या	प्राप्त बजट	समर्पण बजट
1	2	3	4
मुख्यमंत्री बाँस विकास योजना	10–2406 (7930)	600.00	360.00
	41–2406 (7930)	456.00	273.60
	64–2406 (7930)	144.00	86.40
	योग :-	**1200.00**	**720.00**
प्रसंस्करण इकाई योजना	10–2406 (7322)	7.00	–
	41–2406 (7322)	70.00	–
	योग :-	**77.00**	**-**
राष्ट्रीय बाँस मिशन	13–2401 (7947)	127.08	76.50
	41–2401 (7947)	72.62	34.62
	64–2401 (7947)	27.23	–
	योग :-	**226.43**	**111.12**

11. भू-प्रबंध

11.1 प्रस्तावना :

- भू–प्रबंध प्रभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रकरणों के पंजीयन, प्रसंस्करण, क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाता है।
- असीमांकित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु अधिसूचना प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जाता है।
- अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत वन विभाग द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु नोडल के रूप में कार्य किया जाता है।
- नारंगी क्षेत्रों तथा वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वन अधिकार पत्र वितरित क्षेत्रों के सीमांकन व मुनारे निर्माण कार्य।

11.2 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अन्तर्गत व्यपवर्तन प्रकरण

राज्य निर्माण उपरांत अब तक कुल 358 (सिंचाई 70, खनिज 67, विद्युत 83, एवं विविध 138 प्रकरणों) परियोजनाओं की राज्य शासन एवं भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर एवं नई दिल्ली (GoI, MoEF) से स्वीकृति प्राप्त हुई है। श्रेणीवार स्वीकृत प्रकरणों की सूची निम्नानुसार है :–

व्यपवर्तन प्रकरणों की श्रेणी	राज्य निर्माण पूर्व		छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण पश्चात		योग	
	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)	संख्या	रकबा (हे.)
सिंचाई	80	2212.582	70	4021.482	150	6234.064
विविध	13	24.682	138	1776.434	151	1801.116
विद्युत	41	8397.463	83	4155.804	124	12553.267
खनिज	11	1209.217	67	12938.094	78	14147.311
योग	**145**	**11843.944**	**358**	**22891.814**	**503**	**34735.758**

12. उत्पादन

12.1 विदोहन -

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न वनमंडलों के स्वीकृत कार्य आयोजना के प्रावधान अनुसार वार्षिक काष्ठ एवं बाँस कूपो के विदोहन से वर्ष 2018–19 में वनवृत्त वार निम्नानुसार वनोपज उत्पादन हुआ :–

वर्ष 2018-19 में काष्ठ का उत्पादन

वृत्त	इमारती काष्ठ (घ.मी)	बल्ली		डेंगरी		जलाऊ चट्टा (नग)
		नग	घ.मी	नग	घ.मी	
रायपुर	16098	217683	3927	208450	2677	27376
बिलासपुर	14809	113427	2658	37596	1188	26073
दुर्ग	8865	73420	1373	59760	506	11662
सरगुजा	12133	37687	1178	38601	1130	9921
कांकेर	6854	39056	856	2408	28	7592
जगदलपुर	5613	14173	322	1064	10	1443
योग	**64372**	**495446**	**10314**	**347879**	**5539**	**84067**

वर्ष 2018-19 में बाँस का उत्पादन

वृत्त का नाम	व्यापारिक बाँस (नो.टन)	औद्योगिक बाँस (नो.टन)	योग
बिलासपुर	363	192	555
दुर्ग	4815	7249	12064
सरगुजा	16	0	16
कांकेर	43	9	52
जगदलपुर	147	64	211
योग	**7221**	**8846**	**16067**

काष्ठ एवं बाँस के निर्वतन हेतु प्रदेश के विभन्न वनमंडलों में 27 काष्ठागार एवं 15 बाँसागार स्थापित है। इन अगारों में काष्ठ/बाँस का निर्वतन घोष विक्रय द्वारा किया जाता है, जबकि औद्योगिक बाँस का निर्वतन अग्रिम निविदा आमंत्रित कर किया जाता है।

12.2 निस्तार व्यवस्था -

प्रदेश में निस्तार नीति अंतर्गत वन क्षेत्र की 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर स्थित ग्रामवासियों को निस्तार दर पर वनोपज उपलब्ध कराया जाता है। 5 किलोमीटर परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को बाजार दर पर वनोपज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नीति के अंर्तगत कैलेण्डर वर्ष 2019 में निस्तारियों को निस्तार सीजन में वृत्तवार निम्नानुसार वनोपज उपलब्ध एवं प्रदाय किया गया है।

वृत्त	निस्तार डिपो की संख्या	बाँस (नग)		बल्ली (नग)		जलाऊ चट्टे	
		डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा	डिपो में उपलब्ध करायी गई मात्रा	प्रदाय की गई मात्रा
रायपुर	94	149811	93006	15679	6505	19654	15443
बिलासपुर	92	60598	10901	6359	1861	1884	676
दुर्ग	88	334941	307497	2844	1153	1120	805
सरगुजा	178	70165	24527	12467	6595	4189	2063
कांकेर	149	20378	7586	2542	340	1048	805
जगदलपुर	106	8372	1977	2140	154	1620	954
योग	**707**	**644265**	**445494**	**42031**	**16608**	**29515**	**20746**

12.3 बंसोड़ो को बाँस प्रदाय -

शासन द्वारा बंसोड़ो को प्रति वर्ष 1500 नग रॉयल्टी मुक्त बाँस प्रदान किये जाने का प्रावधान है। कैलेण्डर वर्ष 2019 में 4518 पंजीकृत बंसोड़ो को कुल 13.57 लाख नग बाँस प्रदाय किया गया है।

13. अनुसंधन एवं विस्तार प्रभाग

13.1 उद्देश्य

- देश के विभिन्न वन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा किये गये अनुसंधानों को विभिन्न क्षेत्रीय वनमंडलों में प्रचारित एवं प्रसारित करने हेतु कार्य करना।
- विभागीय वनक्षेत्रों एवं कृषकों/अन्य की निजी भूमि पर रोपण किये जाने हेतु महत्वपूर्ण प्रजातियों के उन्नत पौधों का उत्पादन एवं वितरण।
- क्षेत्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को विभिन्न प्रजातियों की रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराना।
- राज्य में निजी क्षेत्र में वानिकी को बढ़ावा दिये जाने हेतु कृषकों को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना।

13.2 अनुसंधान एवं विस्तार संस्थागत संरचना

वन एवं वनेत्तर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने एवं इस हेतु वन अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य के 03 मुख्य एग्रोक्लाइमैटिक जोन्स में अधोसंरचना तथा सुविधा का विकास करते हुए निम्नानुसार 03 अनुसंधान एवं विस्तार सेवा केन्द्रों की स्थापना की गई :–

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)

वनमण्डलाधिकारी रायपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु. एवं वि.) बिलासपुर	वनमण्डलाधिकारी (अनु. एवं वि.) जगदलपुर
परिक्षेत्र	परिक्षेत्र	परिक्षेत्र
1. राजिम विस्तार इकाई	1. बिल्हा विस्तार इकाई	1. गीदम विस्तार इकाई
2. रायपुर विस्तार इकाई	2. कोटा विस्तार इकाई	2. बीजापुर विस्तार इकाई
3. महासंमुद विस्तार इकाई	3. कोरबा विस्तार इकाई	3. बस्तर विस्तार इकाई
4. सराईपाली विस्तार इकाई	4. पेंड्रा विस्तार इकाई	4. तोकापाल विस्तार इकाई
5. कसडोल विस्तार इकाई	5. पटिया विस्तार इकाई	5. कोण्टा विस्तार इकाई
6. रायपुर- अनुसंधान इकाई	6. अकलतरा विस्तार इकाई	6. जगदलपुर विस्तार इकाई

13.3 हरियाली प्रसार योजना (2533) के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में (30 नवम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल प्राप्त बजट आबंटन (लाख में)	वृत्त का नाम	मद का नाम हरियाली प्रसार योजना (2533)	आबंटित राशि (लाख में)
1	2	3	4
5300	जगदलपुर	41—2406	592.78
	कांकेर	41—2406	489.46
	सरगुजा	41—2406	194.51
		64—2406	39.50
		योग सरगुजा :-	**234.01**
	दुर्ग	64—2406	171.75
		41—2406	205.67
		योग दुर्ग :-	**377.42**
	बिलासपुर	64—2406	614.05
	रायपुर	10—2406	620.00
		64—2406	169.98
		योग रायपुर :-	**789.98**
5300	**महायोग**		**3097.70**

13.4 (5089) राज्य में वानिकी अनुसंधान योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में (30 नवम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

बजट प्रावधान	वर्तमान में प्राप्त आबंटन	मद का नाम 5089 राज्य में वानिकी अनुसंधान	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या 10-2406 (5089)						
90.00	90.00	# 02 मजदूरी	37.67	22.57	23.76	84.00
50.00	50.00	# 25 सामग्री और पूर्तियां 006 अन्य व्यय	20.78	12.32	12.9	46.00
140.00	**140.00**	**योग :-**	**58.45**	**34.89**	**36.66**	**130.00**
मांग संख्या 10-4406 (5089)						
1.10	1.10	# 28 मशीन और उपकरण 006 अन्य व्यय	0.38	0.34	0.38	1.10
1.10	**1.10**	**योग :-**	**0.38**	**0.34**	**0.38**	**1.10**
141.10	**141.10**	**महायोग :-**	**58.83**	**35.23**	**37.04**	**131.10**

13.5 मांग संख्या 41-2406 (4475) सामाजिक वानिकी आयोजना मद के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में (30 नवम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

विकास/योजना शाखा से प्राप्त आबंटन	क्षेत्रीय अधिकारियों को आबंटित राशि (लाख में)			
	रायपुर	जगदलपुर	कांकेर	योग
1	2	3	4	5
358.00 लाख	7.16	168.58	13.7	189.44
	4.78	126.1	9.12	140.00
योग :-	**11.94**	**294.68**	**22.82**	**329.44**

13.6 (4475) सामाजिक वानिकी योजना आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत वर्ष_2019-20 में (30 नवम्बर की स्थिति में) आबंटित राशि

मद का नाम	बजट प्रावधान	वित्त/बजट से प्राप्त कुल राशि	कुल आबंटित राशि (लाख में)			
			रायपुर	बिलासपुर	जगदलपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7
(4475) - सामाजिक वानिकी						
#02 मजदूरी	3.70	3.70	1.23	1.23	1.24	3.70
#009 विज्ञापन एवं प्रचार	2.00	2.00	0.65	0.65	0.7	2.00
# 24 अनुरक्षण कार्य						
001 मोटर गाड़ी,	3.30	3.30	1.09	1.09	1.12	3.30
002 मशीन उपकरण,	2.60	2.60	0.86	0.86	0.88	2.60
012 अन्य अनुरक्षण कार्य	2.00	2.00	0.66	0.66	0.68	2.00
# 25 सामाग्री और पूर्तियां						
006 अन्य व्यय	11.80	11.80	3.92	3.92	3.96	11.80
योग योजना-(4475)	**25.40**	**25.40**	**8.41**	**8.41**	**8.58**	**25.40**

13.7 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पृ.क्र./1886/1969/2015/10-2/बजट, दिनांक 03.07.15 के द्वारा हरियाली प्रसार योजना वर्ष 2015-16 के संबंध में जारी मार्गदर्शी निर्देश निम्नानुसार है-

• **योजना का संक्षिप्त विवरण :-**	योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समस्त वर्ग हेतु इच्छुक कृषकों को उनकी इच्छित प्रजाति के न्यूनतम 50 पौधे तथा अधिकतम 5000 पौधे प्रति कृषक रोपित कर हस्तांतरित किये जायेंगे। जहां तक ग्राफ्टेड फलदार पौधे के रोपण का प्रश्न है, प्रति कृषक अधिकतम 50 पौधे का रोपण किया जायेगा।
	(2) इस रोपण में प्रति पौधा 22 रूपये सामान्य पौधों के लिये, 23.25 रुपये क्लोनल पौधों के लिये तथा 43.25 ग्राफ्टेड फलदार पौधों के लिये व्यय आंकलित है जिसमें प्रथम वर्ष में पौधा तैयारी, पौधा परिवहन, रोपण, 2 बार निदाई एवं खाद / कीटनाशक तथा द्वितीय व तृतीय वर्ष में खाद / कीटनाशक व जीवित पौधों पर अनुदान का व्यय शामिल हैं।
• **रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां :-**	खम्हार, बाँस, सागौन, आंवला, कटहल, अमरूद, नींबू नीलगिरी, सिरस, मुनगा, शीशू, तथा शरीफा इत्यादि।
• **योजना के क्षेत्र :-**	योजना राज्य के सभी जिलों में लागू की जायेगी। कम वन क्षेत्र वाले जिलों दुर्ग, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, महासमुंद, रायपुर, बेमेतरा, बालोद तथा आदिवासी बहुल जिलों में मांग के अनुसार अधिक लक्ष्य दिया जावेगा।
• **योजना लागत :-**	बजट उपलब्धता के आधार पर प्रतिवर्ष वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जावेगा।
• **योजना से लाभ :-**	➢ वामपंथ उग्रवाद एवं अन्य पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन ➢ प्रति वर्ष लगभग 20 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन। ➢ पड़त भूमि का विकास। ➢ आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गो के आय में वृद्धि। ➢ पर्यावरण में सुधार। ➢ वनोपज के उत्पादन में वृद्धि। ➢ गैर वनभूमि में वानिकी विस्तार।

13.7.1 योजना के अंतर्गत 03 वर्षो में किये जाने वाले व्यय का नॉर्म्स निम्नानुसार है

क्र.	पौधों का प्रकार	अधिकतम प्रति पौधा व्यय 03 वर्षो में
1	साधारण पौधा	22 / –
2	क्लोनल पौधा	23.25 / –
3	फलदार ग्राफ्टेड पौधा	43.25 / –

13.7.2 योजना के अंतर्गत मदवार व्यय का नॉर्म्स निम्नानुसार है

वर्ष	कार्य का विवरण	साधारण पौधा	क्लोनल पौधा	फलदार पौधा
प्रथम वर्ष	पौधे का मूल्य	7.25 रू.	8.50 रू.	28.50 रू.
	परिवहन	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	स्टैकिंग, जुताई एवं रोपण	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जुताई तथा निंदाई, गुढ़ाई	2.75 रू.	2.75 रू.	2.75 रू.
	कीटनाशक एवं खाद्	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	प्रथम वर्ष का योग	16 रू.	17.25 रू.	37.25 रू.
द्वितीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/ कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	द्वितीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
तृतीय वर्ष	जीवित पौधों हेतु रखरखाव/ कीटनाशक एवं दवा	2.00 रू.	2.00 रू.	2.00 रू.
	जीवित पौधों हेतु हितग्राही को रखरखाव हेतु अनुदान	1.00 रू.	1.00 रू.	1.00 रू.
	तृतीय वर्ष का योग	3.00 रू.	3.00 रू.	3.00 रू.
महायोग		**22.00 रू.**	**23.25 रू.**	**43.25 रू.**

13.7.3 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रोपण का वृत्तवार विवरण

क्र.	वृत्त का नाम	वर्षा ऋतु 2019 में रोपित किये गये पौधों की संख्या			हितग्राहियों की कुल संख्या
		साधारण	ग्राफ्टेड	योग	
1	2	3	4	5	6
1	कांकेर	558950	250000	808950	8667
2	सरगुजा	480500	51900	532400	1146
3	बिलासपुर	514800		514800	684
4	रायपुर			0	
5	जगदलपुर			0	
6	दुर्ग			0	
योग		**1554250**	**1554250**	**1856150**	**10497**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत प्रथम 05 वर्षों (2005–06 से 2009–10) में वर्ष 2005–06 में 27.03 लाख, वर्ष 2006–07 में 31.08 लाख, वर्ष 2007–08 में 17.45 लाख, वर्ष 2008–09 में 79.92 लाख एवं वर्ष 2009–10 में 03 लाख पौधे का रोपण कार्य कराया गया। इस प्रकार प्रथम 05 वर्षों में 158.48 लाख पौधे रोपित किये गये।

13.7.4 हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत विगत 10 वर्षों में रोपित पौधों का विवरण

योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	वर्षाऋतु	रोपित पौधों की संख्या (लाख में)	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
हरियाली प्रसार योजना (2533)	2010–11	2010	65.56	19414
	2011–12	2011	33.50	9985
	2012–13	2012	44.27	7542
	2013–14	2013	44.21	6235
	2014–15	2014	98.18	9319
	2015–16	2015	255.10	46120
	2016–17	2016	288.81	28993
	2017–18	2017	296.85	21397
	2018–19	2018	293.67	19727
	2019–20	2019	18.56	10497
योग			**1438.71**	**179229**

- हरियाली प्रसार योजना के अंतगर्त प्रारंभ से अब तक कुल 15 वर्षो में 15.97 करोड़ पौधों का रोपण कृषकों की भूमि पर किया गया है।

13.7.5 राज्य में उत्तम गुणवत्ता के बीजों के संग्रहण हेतु निर्मित बीजोद्यान क्षेत्रों का विवरण निम्नानुसार है :

वनमंडल का नाम	SSO		CSO		SPA		प्रदर्शन क्षेत्र		कलिंग ऑर्चर्ड	
	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में	संख्या	क्षेत्रफल हे. में
अनु. एवं वि. बिलासपुर	4	60.0	5	45.0	10	255.86	1	10.00	0	0.00
रायपुर	5	65.0	6	65.0	12	169.90	1	10.00	0	0.00
अनु. एवं वि. जगदलपुर	3	80.5	3	55.0	3	120.00	2	20.00	1	7.00
योग :-	**12**	**205.5**	**14**	**165.0**	**25**	**545.76**	**4**	**40.00**	**1**	**7.00**

हरियाली प्रसार योजना

14. मानव संसाधन विकास

मानव संसाधन विकास प्रभाग द्वारा मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यो का संयोजन/नोडल कार्य किया जाता है।

- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित विभिन्न अनिवार्य प्रशिक्षणों में जनवरी–2019 से दिसम्बर–2019 तक 99 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- राज्य वन सेवा के अधिकारियों हेतु देश के विभिन्न केन्द्रीय अकादमी जैसे :– देहरादून, बर्नीहाट, कोयम्बटूर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण में राज्य वन सेवा के संवर्ग के 16 अधिकारियों ने रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में वर्ष–2019 में आयोजित हुए आधारभूत प्रशिक्षण में निम्नानुसार नव नियुक्त अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किये है :–

  1. भारतीय वन सेवा (बैच–2016 एवं 2017) – 09
  2. सहायक वन संरक्षक (बैच–2019) – 09
  3. वनक्षेत्रपाल (बैच–2019) – 26
  4. वनक्षेत्रपाल (बैच–2017) – 19

- राज्य में जगदलपुर, महासमुंद एवं सक्ती में कुल 03 वन विद्यालय स्थापित है। वन विद्यालय जगदलुपर में वनरक्षकों एवं वनपालों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शेष 02 वन विद्यालय महासमुंद एवं सक्ती में वनरक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वनरक्षकों को 06 माह का एवं वनपालों को 45 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

14.1 वनपाल - कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम

वन विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
वन विद्यालय, जगदलुपर	01.01.2019 से 15.02.2019	45
	01.03.2019 से 20.04.2019	49
	01.05.2019 से 15.06.2019	47
	01.07.2019 से 15.08.2019	47
	01.09.2019 से 15.10.2019	55
	01.11.2019 से 15.12.2019	53
कुल :-		**296**

14.2 वनरक्षक - प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.	वन विद्यालय का नाम	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
01	वन विद्यालय, जगदलुपर	01.07.2018 से 31.12.2018	25
		01.03.2019 से 05.09.2019	70
		01.09.2019 से 29.02.2020	22 (प्रशिक्षणरत्)
02	वन विद्यालय, महासमुंद	01.05.2018 से 31.10.2018	49
		01.03.2019 से 31.08.2019	26
		01.09.2019 से 29.02.2020	38 (प्रशिक्षणरत्)
03	वन विद्यालय, सक्ती	01.03.2019 से 31.08.2019	59
		01.09.2019 से 29.02.2020	17 (प्रशिक्षणरत्)
कुल :-			**306**

- वनों में अग्नि नियंत्रण/बचाव हेतु विभाग के 29–क्षेत्रीय अमले/वनरक्षको को दिनांक 01 जून 2019 से 30 जून 2019 तक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ, प्रशिक्षण केन्द्र, परसदा, जिला–बिलासपुर से प्रशिक्षण कराया गया है।

14.3 JICA परियोजना :-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा जापान इंटरनेशनल को आपरेशन एजेंसी (JICA) से सहायता प्राप्त "Capacity Development Forest Management and Training of Personnel" के अंतर्गत वन विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास, मैदानी स्तर पर कार्यरत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के क्षमता विकास तथा वन विद्यालयों में उत्तम प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने देश के 10 राज्यों का चयन किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। उक्त परियोजना माह मार्च 2019 की स्थिति समाप्त हो चुकी है।

इस परियोजना अंतर्गत छ.ग. राज्य में निम्नानुसार कार्य किया गया :–

- भवन निर्माण/उन्नयन कार्य वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर अंतर्गत आबंटन एवं व्यय संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

वन विद्यालय का नाम	स्वीकृत राशि	आबंटित राशि 80%	व्यय राशि		
			वास्तविक व्यय	टैक्स राशि	कुल व्यय
महासमुन्द	508.35	487.73	482.01	19.91	501.92
जगदलपुर	499.09	456.47	453.27	23.78	477.05

- दोनो वन विद्यालय हेतु "Furniture & Training Equipment" क्रय हेतु कुल राशि रू. 132.17 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये राशि रू. 122.83 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। क्रय की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।
- दोनो वन विद्यालय हेतु "Procurement of Gymnasium Equipments" क्रय हेतु कुल राशि रू. 50.00 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुये राशि रू. 43.75 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। क्रय की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

Director Office

Class Room

15. सूचना प्रौद्योगिकी

विभागीय कार्यो की त्वरित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न ऑनलाईन एप्लीकेशन तैयार किये गये हैं। जिससे की कार्यो का प्रबंधन प्रभावी किया जा सके :–

15.1 विभागीय वेबसाईट (www.cgforest.nic.in) :- विभागीय वेबसाईट हिन्दी एवं अंग्रेजी में अपडेट की जाती है (शाखाओं से जानकारी प्राप्त होने पर)। मानव संसाधन विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा विभागीय वेबसाईट के अपडेशन हेतु कन्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है, जिसका उपयोग करते हुए वेबसाईट अपडेशन का कार्य किया जाता है।

15.2 eReceipt & Dispatch Software :- इस वेब आधारित साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालयीन पत्रों को विभाग के विभिन्न कार्यालयों के मध्य आदान–प्रदान किया जाता है। मुख्यालय के समस्त प्रभाग/समस्त वृत्त कार्यालय/समस्त वनमण्डलों को उक्त साफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया जाकर वर्तमान में इस साफ्टवेयर को विभाग के सभी कार्यालयों में लागू किया जा चुका है। आवक–जावक की परंपरागत पद्धति के स्थान पर यह नवीन, त्वरित एवं मितव्ययी व्यवस्था को विभाग में लागू किया गया है।

15.3 विभागीय Order :- Circular का वेबसाईट में अद्यतन रू. वर्ष 2010 से विभागीय Orders & Circulars को विभागीय वेबसाईट www.cgforest.nic.in में अद्यतन किया गया है, जो संदर्भ हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध है।

15.4 सुलभ Internet Connectivity :- नवीन मुख्यालय हेतु BSNL से 45 mbps इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है एवं वैकल्पिक इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु SWAN परियोजना के अंतर्गत मुख्यालय में इंटरनेट कनेक्शन लिया गया है। जिसे LAN एवं Wi-Fi के माध्यम से Internet सभी प्रभागों हेतु उपलब्ध कराया गया।

15.5 Human Resource Management :- छ.ग.वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के संपूर्ण बायोडेटा को संग्रहित करने एवं उसका उपयोग करने हेतु उक्त साफ्टवेयर को विकसित किया गया है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से भा.व.से./स.व.सं./वनक्षेत्रपाल एवं अन्य स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की प्रविष्टी की जाती है।

15.6 Regional Geomatic Centers :- वृत्त स्तर पर Regional Geomatic Centers esa Map Digitaization/ Printing तथा विभाग में संचालित DSS / Application की मॉनिटरिंग की जाती है।

15.7 Production DSS :- यह उत्पादन शाखा से सबंधित वेब आधारित साफ्टवेयर है, जिसमें उत्पादन (डिपो) से सबंधित समस्त कार्यो का समावेश किया गया है। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से गेट एन्ट्री, चालान स्टैकिंग, लाटिंग, नीलाम, परिणाम, अपसेट प्राईज का निर्धारण, विक्रय स्वीकृति, मटेरियल हटाने की अनुमति आदि से संबंधित प्रविष्टी का कार्य किया जाता है।

15.8 Protection DSS :- यह संरक्षण शाखा से संबंधित वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसमें वन अपराध प्रकरण (P.O.R.) की प्रविष्ठी एवं विभिन्न स्तरों पर मॉनीटरिंग का कार्य हेतु विकसित किया गया है।

15.9 Video Conferencing :- नवा रायपुर अटल नगर स्थित वन मुख्यालय, अरण्य भवन, सेक्टर–19 एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों रायपुर / दुर्ग / बिलासपुर / कांकेर / सरगुजा / जगदलपुर वृत्त) में Video Conferencing करने हेतु Complete Setup स्थापित किया जा चुका है तथा वर्तमान में 27 वनमण्डल स्तर के कार्यालयों को भी Video Conferencing के माध्यम से जोड़ा जा चुका है।

16. वन प्रबंधन सूचना प्रणाली

नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद वन प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरूआत की गयी। वर्तमान में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली को ऐसे समेकित (integrated) प्रबंध यंत्र के रूप में विकसित किया गया है जो सतत वानिकी प्रबंधन और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल ला सके। अभी यह छत्तीसगढ़ वन विभाग के लिए बहुद्देशीय प्रबंधन क्रियाओं में योजना के निर्माण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए सहायक के रूप में उपयोग होता है। इसका उपयोग प्रशासनिक इकाईयों एवं संगठन के अलग–अलग स्तरों पर रणनीति तैयार करना, कार्य योजना निर्माण करना, युक्तिपूर्ण (Tactical), क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण कार्य के उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) पूर्णतः समायोजित है।

16.1 वन प्रबंधन सूचना प्रणाली के उद्देश्य :-

राज्य में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (FMIS) को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

- Spatial & Non-spatial data collection
- Forest mapping
- Forest Management Planning
- Application Software Development
- Networking & Communication
- Training & Capacity building

अब तक निम्नानुसार एप्लीकेशन्स का निर्माण एवं रखरखाव किया जा रहा है :–

- PCCF Monitoring System
- Elephant Tracking System
- Wildlife Compensation System
- e-Green Watch Portal
- Working Plan DSS
- Time Limit Cases
- TP Online
- Fire MIS
- WP Document MIS
- Fund Drawal System
- GIS Based Plantation
- Forest Financial System
- Agro Forestry

16.2 वर्तमान में आरंभ किये गये कार्य निम्नानुसार है :-

- **सर्तकता एवं शिकायत (Vigilance & Complaint)** :- इस एप्लीकेशन के माध्यम से शाखावार शिकायत एवं सुझाव की एण्ट्री की जाती है तथा संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड हो जाती है तथा डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- **Photo Gallary** :- कार्यालय में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहे हैं किन्तु उनकी फोटो–विडियो प्राप्त होने में कठिनाई होती थी जिसका समाधान करते हुए विभिन्न आयोजनों की फोटो गैलेरी विकसित की गयी है जिससे किसी भी समय किसी भी आयोजनों की फोटो देख सकते हैं।
- **Chhattisgarh eProcurement System (CEPS)** :- इस सॉटवेयर के माध्यम से प्रत्येक वनमण्डल एवं वृत्तों में ऑनलाईन खरीदी का कार्य किया जाता है।
- **Toll Free call support System** :- बाहर से आये हुए शिकायत एवं सुझाव को सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित करने के लिए एप्लीकेशन तैयार किया जा रहा है जिसमें विभिन्न वृत्तवार, वनमण्डलवार एवं शाखावार शिकायतों/सुझावों को एप्लीकेशन में प्रविष्ठि किया जा सके जिससे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने या दुविधाओं को हल करने में आसानी होगी।
- **SPARROW online** :– इस सॉटवेयर में अधिकारियों के APR (Annual Performance Report) की ऑनलाईन प्रविष्ठि की जाती है।
- **wifi hotspot** :- मुख्यालय अरण्य भवन में समस्त स्थलों पर Wifi hotspot स्थापना की जा चुकी है एवं बाहर से आने वाले समस्त अधिकारी free wifi का उपयोग कर सकते हैं।

17. सतर्कता एवं शिकायत

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के सतर्कता एवं शिकायत प्रभाग द्वारा विभाग में प्राप्त शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। इस प्रभाग में मुख्यमंत्री निवास एवं सचिवालय से प्राप्त जनचौपाल, जनदर्शन, शासन, भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन, पी.जी.एन., लोक आयोग, आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो तथा शिकायतकर्ता से सीधे शिकायतें प्राप्त होती है। उपरोक्त माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदनों का परीक्षण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है जो शिकायतें जांच में निराधार पायी जाती है उन्हें नस्तीबद्ध किया जाता है तथा जिनमें सत्यता पाई जाती है उकने लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर जिम्मेदारी निर्धारण कर विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किये जाते हैं। शिकायतों के विभिन्न स्रोत निम्नानुसार है :–

17.1 मुख्यमंत्री निवास एवं सचिवालय से प्राप्त जनचौपाल एवं जनदर्शन प्रकरण, शासन से प्राप्त प्रकरण, पी.जी. एन. (Public Grievance Number) प्रकरण एवं विभाग को सीधे प्राप्त प्रकरण

17.2 लोक आयोग प्रकरण

वन विभाग से संबंधित शिकायतों को प्रकरण क्रमांक आबंटित कर माननीय लोक आयोग द्वारा छ.ग. शसान, वन विभाग अथवा सीधे प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को जांच हेतु प्रेषित किया जाता है। प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा करायी जाती है। जांच प्रतिवेदन एवं जांच के निष्कर्ष से माननीय लोक आयोग को अवगत कराया जाता है, जिस पर अंतिम निर्णय माननीय लोक आयोग द्वारा लिया जाता है।

17.3 राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण

राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त शिकायतों में से गम्भीर शिकायतों की जांच राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो द्वारा स्वयं की जाती है तथा शेष शिकायतों को जांच हेतु वन विभाग अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रेषित किया जाता है। छ.ग. राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से उपरोक्तानुसार प्राप्त शिकायतों की जांच इस प्रभाग द्वारा कराई जाती है तथा जांच उपरांत जांच प्रतिवेदन को अनुषांगिक अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य आर्थिक अपराध एवं अन्वेषण ब्यूरो को प्रेषित किया जाता है

17.4 भारत शासन की वेबपोर्टल CPGRAMS पर ऑनलाईन प्राप्त आवेदन

भारत शासन की वेबपोर्टल (CPGRAMS) में देश के नागरिकों द्वारा सरकारी संगठनों के प्रति शिकायतों को ऑनलाईन दर्ज कराने की व्यवस्था है। इस वेबपोर्टल में दर्ज शिकायतों की मॉनिटरिंग भारत

सरकार द्वारा की जाती है। वन विभाग से संबंधित विषयों के प्राप्त आवेदनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर, दिनांक अंकित कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निराकरण हेतु प्राप्त होता है तथा वेबपोर्टल से ऑनलाईन आवेदन भी प्राप्त की जाती है। वेबपोर्टल से प्राप्त आवेदनों का विवरण http://pgportal.gov.in (CPGRAMS) वेबसाईट पर उपलब्ध रहता है। प्राप्त आवेदनों का निराकरण इस प्रभाग द्वारा किया जाता है तथा निराकरण उपरांत निराकरण के निष्कर्ष के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को सूचित किया जाता है तथा इसे वेबसाईट पर अंकित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रथम अपील के माध्यम से प्राप्त अपील प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय तथा (क्षेत्रीय) छः मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के लिए मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) प्रथम अपीलीय अधिकारी है। इन कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम अपील आवेदन इस प्रभाग को प्रेषित होते हैं जिन पर सुनवाई कर अपील आवेदनों का निपटारा इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

18. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

वन विभाग मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्र./5136/10/2/86 दिनांक 15.10.1986 एवं मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक/1490 दिनांक 22.04.1994 के अनुसार तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ शासन रायपुर के पत्र क्रमांक/अनु./मूल्यां./निर्देश/23 दिनांक 12.03.2013 के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा संपादित वृक्षारोपणों का अंतर्वृत्तीय निरीक्षण वृक्षारोपण के 3 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् संपन्न किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार वर्ष 2011–12 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2015–16 में, वर्ष 2012–13 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2016–17 में, वर्ष 2013–14 में निर्मित वृक्षारोपण का 2017–18, वर्ष 2014–15 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2018–19 में , वर्ष 2015–16 में निर्मित वृक्षारोपण का वर्ष 2019–20 में मूल्यांकन हेतु कार्य आंबटित किया गया।

विभिन्न वनमंडलों के वृक्षारोपणों के आंशिक निरीक्षण हेतु चयनित सैम्पलों में वर्तमान तक किये गये निरीक्षण के आधार पर प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार औसत जीवित पौधों का प्रतिशत वनमंडलवार निम्नानुसार है :–

वर्ष 2011-12 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत जीवित प्रतिशत	अधिकारी जिन्हें निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	रायपुर	धमतरी	66.38%	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		अनु.विस्तार रायपुर	67.20%	
		गरियाबंद	67.82%	
		रायपुर	66.16%	
		महासमुंद	76%	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	75.19%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		मरवाही	68.15%	
		कोरबा	72.49%	
		मुंगेली	79.83%	
		कटघोरा	69.62%	
		धरमजयगढ़	62.78%	
		जांजगीर चांपा	67.40%	
		अनु.एवं विस्तार बिलासपुर	90.18%	
		रायगढ़	1.58%	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत जीवित प्रतिशत	अधिकारी जिन्हें निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
03	सरगुजा	बलरामपुर	84.30%	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		सरगुजा	54.41%	
		सूरजपुर	69%	
		मनेन्द्रगढ़	85.32%	
		जशपुर	57%	
04	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	43.92%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
		कांकेर	46.50%	
		नारायणपुर	42.39%	
		उत्तर कोण्डागांव	81.15%	
		द.कोण्डागांव	64.36%	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	80%	
05	जगदलपुर	सुकमा	46.95%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		बस्तर	69%	
		दंतेवाड़ा	60%	
		बीजापुर	61%	
		अनु./विस्तार	69%	
06	दुर्ग	बालोद	71.79%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		कवर्धा	65.38%	
		खैरागढ़	76%	
		राजनांदगांव	65.64%	

वर्ष 2012-13 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	रायपुर	बलौदाबाजर	82.40%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
		गरियाबंद	47%	
		महासमुंद	77.34%	
		रायपुर	81.34%	

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
02	बिलासपुर	बिलासपुर	82.59%	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		मरवाही	80%	
		कोरबा	70.78%	
		मुंगेली	65.77%	
		कटघोरा	74.14%	
		जांजगीर चांपा	63.17%	
		रायगढ़	74.92%	
		धरमजयगढ़	85%	
		अनु.एवं विस्तार बिलासपुर	78.11%	
03	सरगुजा	बलरामपुर	90%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		अंबिकापुर	62.68%	
		कोरिया	74.97%	
		जशपुर	54.48%	
		मनेन्द्रगढ़	62%	
		सूरजपुर	57.60%	
04	जगदलपुर	सुकमा	57.50%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		बीजापुर	63.39%	
		बस्तर	68%	
		दंतेवाड़ा	60.27%	
		अनु./विस्तार	58%	
05	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	49%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		कांकेर	61.60%	
		नारायणपुर	45%	
		द.कोण्डागांव	83%	
		पश्चिम भानुप्रतापपुर	80%	
06	दुर्ग	राजनांदगांव	65.65%	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		खैरागढ़	58.66%	

वर्ष 2013-14 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	84.36%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
		खैरागढ़	79.21%	
		बालोद	89.60%	
		कवर्धा	70.51%	
		राजनांदगांव	64%	
02	बिलासपुर	बिलासपुर	77%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		मरवाही	87%	
		कोरबा	58%	
		कटघोरा	47.09%	
		रायगढ़	73.41%	
		धरमजयगढ़	66.77%	
03	सरगुजा	बलरामपुर	75%	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		सरगुजा	79%	
		सूरजपुर	83.80%	
		जशपुर	86%	
		कोरिया	68%	
		मनेन्द्रगढ़	67.39%	
04	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	66.29%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		प. भानुप्रतापपुर	86%	
		द.कोण्डागांव	79%	
		उ.कोण्डागांव	72%	
05	रायपुर	रायपुर	67.16%	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		गरियाबंद	53%	
		बलौदाबाजार	72.30%	
		महासमुंद	67.75%	
06	जगदलपुर	सुकमा	54.50%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		बीजापुर	60.33%	
		दंतेवाड़ा	49.54%	
		बस्तर	69%	
		अनु./विस्तार	65.63%	

वर्ष 2014-15 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	73%	मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा
		राजनांदगांव	85.34%	
		खैरागढ़	63.42%	
		बालोद	83.79%	
		कवर्धा	72%	
02	बिलासपुर	जांजगीर–चांपा	64%	मुख्य वन संरक्षक, कांकेर
		मरवाही	87%	
		रायगढ़	74.28%	
		धरमजयगढ़	87%	
		मुंगेली	27.03%	
03	सरगुजा	जशपुर	74%	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		सरगुजा	79.12%	
		मनेन्द्रगढ़	73.49%	
		सूरजपुर	82.71%	
		बलरामपुर	85%	
		कोरिया	67.93%	
04	रायपुर	अनु./विस्तार	67.54%	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर
		गरियाबंद	70.62%	
		महासमुंद	53%	
		रायपुर	69%	
		धमतरी	52.49%	
05	कांकेर	पूर्व भानुप्रतापपुर	83.48%	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग
		प. भानुप्रतापपुर	71.17%	
		द.कोण्डागांव	86.51%	
		उ.कोण्डागांव	86.15%	
		नारायणपुर	70.74%	
		कांकेर	69.19%	
06	जगदलपुर	सुकमा	68.46%	मुख्य वन संरक्षक, रायपुर
		बीजापुर	67.27%	
		दंतेवाड़ा	60.86%	
		अनु./विस्तार	80.12%	
		बस्तर	71.21%	

वर्ष 2015-16 में किये गये वृक्षारोपणों की वनमंडलवार जानकारी

क्र.	वृत्त का नाम	वनमंडल का नाम	वनमंडल अंतर्गत औसत प्रतिशत	अधिकारी जिन्हे निरीक्षण कार्य आंबटित किया गया
1	2	3	4	5
01	दुर्ग	दुर्ग	91%	मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर
		बालोद	76%	

शेष वृक्षारोपण निरीक्षण कार्य प्रगति पर है।

18.1 जी.आई.एस. पद्धति से वृक्षारोपण की मॉनिटरिंग

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2–7/2013/10–2 बजट, दिनांक 18.02.2014 के अनुसार वन विभाग द्वारा संचालित समस्त वृक्षारोपण कार्य एवं उससे संबंधित कार्यो के अभिलेखन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु जी.आई.एस. पद्धति का उपयोग तत्काल प्रभाव से करने हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। तद्‌नुसार सभी वनमंडलों द्वारा वर्ष 2014–15 से 2019–20 के वृक्षारोपण के डेटाबेस की जानकारी KML File के माध्यम से FMIS portal पर प्रविष्टि की जा रही है।

शेष KML File का अपलोडिंग कार्य प्रगति पर है।

19. कार्य आयोजना

छत्तीसगढ़ राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र 1,35,191 वर्ग कि.मी. है। कुल वन क्षेत्र 59,772.40 वर्ग कि. मी. है, जिसमें आरक्षित वन 25,782.17 वर्ग कि.मी., संरक्षित वन 24,036.10 वर्ग कि.मी.एवं अवर्गीकृत वन 9,954.13 वर्ग कि.मी. है। छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44. 21 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य के वन क्षेत्र में 43.13 प्रतिशत आरक्षित वन, 40.22 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 16.65 अवर्गीकृत वन सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ राज्य वन आवरण की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर है।

वनमण्डल की कार्य आयोजना वरिष्ठ वन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर के अधिकारी) के द्वारा बनायी जाती है। कार्य आयोजना की अवधि 10 वर्ष की होती है। कार्य आयोजना का पुनरीक्षण, कार्य आयोजना समाप्ति के 3 वर्ष पूर्व प्रारंभ कर दिया जाता है, ताकि समय अवधि समाप्त होने के पश्चात वनमण्डल में नई कार्य आयोजना लागू की जा सके।

वनमण्डलों की कार्य आयोजना की वर्तमान स्थिति

कुल वनमण्डलों की संख्या - 34

क्रं.	स्थिति	वनमण्डल का नाम
1	स्वीकृत/प्रचलित वनमंडल की कार्य आयोजना।	रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, बिलासपुर (पार्ट), मरवाही, कोरबा, कटघोरा, जाजगीर–चांपा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, बस्तर, बीजापुर, दक्षिण कोण्डागांव, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ एवं मुंगेली। (कुल – 22 वनमंडल)
2	वनमंडलों की पुनरीक्षणरत कार्य आयोजना का प्रथम प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण संपन्न।	रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, कोरबा, कटघोरा, जांजगीर–चांपा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर एवं सरगुजा। (कुल–14 वनमंडल)
3	वनमंडलों की पुनरीक्षणरत कार्य आयोजना का द्वितीय प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण संपन्न।	गरियाबंद,बिलासपुर (पार्ट), रायगढ़ धरमजयगढ़, केशकाल, नारायणपुर, सूरजपुर एवं जशपुर। (कुल –08 वनमंडल)
4	आगामी कार्य आयोजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार को वनमंडलों की कार्य आयोजना स्वीकृति प्रेषित।	राजनांदगांव, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर। (कुल – 03 वनमंडल)

20. वित्त - बजट

वन विभाग का बजट (एक दृष्टि में)

(राशि करोड़ में)

वर्ष 2018-19		
मांग संख्या 10 - आयोजनेत्तर	**प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)**	**व्यय (रू. करोड़ में)**
मतदेय	719.79	536.01
भारित	28.48	26.01
योग - आयोजनेत्तर	**748.27**	**562.02**
राजस्व प्राप्ति		
0406 - राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	**लक्ष्य (रू. करोड़ में)**	**प्राप्तियॉ (रू. करोड़ में)**
-	**600.00**	**254.58**

वर्ष - 2019-20 (दिसम्बर, 2019 की स्थिति में)		
मांग संख्या 10 - आयोजनेत्तर	**प्राप्त बजट (रू. करोड़ में)**	**व्यय (रू. करोड़ में)**
मतदेय	731.29	433.13
भारित	15.73	0.06
योग - आयोजनेत्तर	**747.02**	**433.19**
राजस्व प्राप्तियाँ		
0406 - राजस्व का लक्ष्य एवं प्राप्तियाँ	**लक्ष्य (रू. करोड़ में)**	**प्राप्तियाँ (रू. करोड़ में)**
-	**600.00**	**192.33**

21. राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में वानिकी के विभिन्न विधाओं पर अनुसंधान करने एवं अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2007 में गठित राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कुल 63 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें मुख्य भवन का क्षेत्रफल 9544 वर्ग मीटर संस्थान 100 किलो वाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों (Solar Photovoltaic System) से सुसज्जित है।

छ.ग. वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के पूर्व स्वीकृत सेटअप तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जलवायु परिवर्तन) हेतु स्वीकृत सेटअप

स्वीकृत सेटअप			
वानिकी प्रोफेशनल्स पद			
स.क्र.	**पदनाम**	**पद संख्या**	**कार्यरत पद**
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक	1	1
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	1	1
3	अपर संचालक (वन संरक्षक)	1	—
4	संयुक्त संचालक (उप वन संरक्षक)	1	1
5	सहायक संचालक (सहायक वन	2	1
6	वनक्षेत्रपाल	2	—
7	वनपाल	2	1
8	वनरक्षक	5	5
	योग	**15**	**10**

वैज्ञानिक पद			
स.क्र.	**पदनाम**	**पद संख्या**	
1	वैज्ञानिक एस.सी.	3	–
2	वैज्ञानिक एस.बी.	6	–
	योग	**9**	–
तकनीकी पद			
1	अनुसंधान सहायक	6	–
2	तकनीकी सहायक	3	3
3	लैब टैक्निशियन	2	2
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	–
5	सहायक प्रोग्रामर	1	1
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	4	3
	योग	**17**	**9**
गैर तकनीकी पद			
1	सहायक संचालक वित्त प्रतिनियुक्ति	1	–
2	प्रशासकीय अधिकारी	1	–
3	निज सहायक	1	–
4	अधीक्षक	1	–
5	सहायक ग्रेड–1	2	–
6	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (अंग्रेजी)	1	–
7	शीघ्रलेखक वर्ग–03 (हिन्दी)	1	–
8	सहायक ग्रेड–2	4	–
9	सहायक ग्रेड–3	6	–
10	स्टेनोटायपिस्ट	1	–
11	हल्का वाहन चालक	5	–
12	भारी वाहन चालक	1	–
13	भृत्य/अर्दली	7	–
14	चौकीदार	3	–
	योग	**35**	**-**
	कुल योग	**76**	**-**

21.1 संस्थान के प्रभाग

संस्थान में निम्नानुसार प्रभाग हैं:–

1. जैवविविधता एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाग
   (Biodiversity & Climate Change Division)
2. जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग
   (Biotechnology Division)
3. वन वर्धन, वन मापिकी एवं वन वर्गीय प्रभाग
   (Silviculture, Mensuration & Forest Taxonomy Division)
   - वन वर्गीय (Forest Taxonomy)
   - वन वर्धन एवं वन मापिकी (Silviculture & Forest Mensuration Division)
   - मृदा विज्ञान (Soil Science)
   - बीज प्रमाणीकरण (Seed Certification)
4. गैर काष्ठीय वन उत्पाद प्रभाग
   (Non Timber Forest Produce Division)
5. वन संरक्षण प्रभाग (रोग एवं कीट)
   (Forest Protection Division)
   - वन रोग विज्ञान (Forest Pathology)
   - वन कीट विज्ञान (Forest Entomology)
6. कृषि वानिकी एवं आजीविका प्रोत्साहन प्रभाग
   (Agroforestry & Livelihood Promotion Division)
7. मानव संसाधन विकास प्रभाग
   (Human Resource Development Division)
8. सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रभाग
   (Information, Education & Communication Division)

21.2 संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण

21.2.1 संस्थान में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित भारतीय वन सेवा अधिकारीयों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

- MoEF & CC द्वारा भा.व.से. अधिकारियों हेतु आयोजित कार्यशाला के प्रतिभागी
- 14–15 अक्टूबर 2019 को संस्थान में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला "Role of Forestry in Sustainable Development of people" विषय पर अखिल भारतीय वन सेवा अधिकारियों हेतु आयोजित की गयी जिसमे 12 राज्यों के 22 अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला हेतु 22 राज्यों के 36 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा नामांकित किया गया था।

21.2.2 संस्थान में राज्य के क्षेत्रीय अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण का आयोजन

- संस्थान द्वारा वर्ष 2019–20 में क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तैयार किये गये ''प्रशिक्षण कैलेण्डर'' अनुसार निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित किये गये–
- दिनांक 02–03 अगस्त 2019 को सहायक वन संरक्षकों एवं वनक्षेत्रपालों हेतु ''आर्द्रभूमि परिस्थितिकीय विकास एवं संवर्धन'' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 07–09 अगस्त 2019 को सहायक वन संरक्षकों एवं वन क्षेत्रापालों हेतु ''बाँस– रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक तथा प्रबंधन'' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 22–23 अगस्त 2019 को वन रक्षकों, वनपालों एवं उप वन क्षेत्रपालों (रोपणी एवं वृक्षारोपणी प्रभारी) हेतु ''बाँस–रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक तथा प्रबंधन'' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 28–29 अगस्त 2019 को सहायक वन संरक्षकों एवं वन क्षेत्रपालों हेतु ''बाँस प्रसारण तकनीक (माइक्रो एवं मेक्रो प्रसारण)'' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 18–19 सितम्बर 2019 को वन रक्षकों, वनपालों एवं उप वन क्षेत्रपालों (रोपणी एवं वृक्षारोपणी प्रभारी) हेतु ''बाँस–रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक तथा प्रबंधन'' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 25–26 सितम्बर 2019 को सहायक वन संरक्षकों एवं वन क्षेत्रपालों हेतु ''बाँस प्रसारण तकनीक (माइक्रो एवं मेक्रो प्रसारण)'' विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- दिनांक 03–05 अक्टूबर 2019 को वन रक्षकों, वनपालों एवं उप वन क्षेत्रपालों (रोपणी एवं वृक्षारोपणी प्रभारी) हेतु ''बाँस–रोपणी एवं वृक्षारोपण तकनीक तथा प्रबंधन '' विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

21.3 संस्थान में संचालित की जा रही अनुसंधान परियोजनाएँ

21.3.1 छत्तीसगढ़ के सात जिलों के प्रमुख आद्र भूमि के जैव विविधता का मूल्यांकन और पारिस्थितिक स्थिति पर एक पायलट अध्ययन

(A pilot study on biodiversity assessment & ecological status of major wetlands of seven Districts of Chhattisgarh (Period- 2 yrs.)

आद्रभूमियों के जैवविविधता मूल्यांकन एवं परिस्थितिकीय स्थितियों का अध्ययन

- आद्रभूमियों के जैवविविधता मूल्यांकन एवं परिस्थितिकीय स्थितियों का अध्यन
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा राशि रू 29,93,600/– लाख की वित्तीय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- इस परियोजना अंतर्गत कुल 7 जिलों दुर्ग, बेमेतरा, राजनांदगाव, मुंगेली, कोरबा, बलौदाबाजार, कवर्धा में वन क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों से 5 किलोमीटर परिधि में स्थित 10 हेक्टेयर क्षेत्रों एवं उसके ऊपर के आद्रभूमियों के Ecological Status एवं Biodiversity Assesment शोध कार्य प्रगति पर है।
- वर्तमान में 07 जिलों के चयनित 283 आर्द्रभूमियों का चिन्हांकन एवं प्रारंभिक सर्वे का कार्य ecological status and biodiversity assessment हेतु किया गया है।
- छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से द्वितीय चरण के अध्ययन हेतु संस्थान द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राशि प्राप्त होने उपरांत कार्य किया जायेगा।

21.3.2 छत्तीसगढ़ के आंवला वृक्षारोपण में कम फल लगने के कारणों एवं उनके सम्भाव्य उपचार का अध्ययन

To find out the causes and its possible remedial measures of poor fruiting in Aonla plantation in Chhattisgarh (Period- 2 yrs.)

आंवला रोपण क्षेत्रों में फल आने हेतु प्रयोग

- आंवला रोपण क्षेत्रों में फल आने हेतु प्रयोग
- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर राज्य कैम्पा को प्रेषित किया जा चुका है। परियोजना अंतर्गत शेष कार्य पूर्ण होने उपरांत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित किया जायेगा।

21.4 संस्थान में पूर्ण की गयी अनुसंधान परियोजनाएँ

21.4.1 कांगेर वैली नेशनल पार्क में हिल मैना की आबादी का मूल्यांकन (प्र.मु.व.सं. वन्य जीव द्वारा पोषित)

(Evalution of Hill Myna population with repect to its conservation of KVNP)

- परियोजना अंतर्गत अंतरिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर प्र.मु.व.सं. वन्य प्राणी को प्रेषित किया जा चुका है।

21.4.2 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना छाल, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्र के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना।

(Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affcted avifauna of core area of OCP Chhal, Raigarh area)

- परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर एस ईसी एल रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है।

21.4.3 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना बरौद, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्र के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना।

(Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affected avifauna of core area of OCP Baroud, Raigarh area)

- परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर एस ईसी एल रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है।

21.4.4 ओपन कास्ट माइनिंग परियोजना गेवरा, कोरबा के मुख्य क्षेत्र के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना।

(Preparation of wildlife conservation plan including alternative habitat development plan for the affected avifauna of core area of OCP Gevra Under Katghora Forest Division.)

- परियोजना अंतर्गत अंतिम प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर एस ईसी एल रायगढ़ को प्रेषित किया जा चुका है।

21.4.5 धरमजयगढ़ रायगढ़ ट्रांसमिशन लाईन पार्ट-II 765 KvDc पावर ग्रिड कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, रायगढ़ के मुख्य क्षेत्र के प्रभावित पक्षी के लिए वैकल्पिक आवास विकास योजना सहित अन्य जीवन संरक्षण प्रबंधन योजना तैयार करना।

(Preparation of ecofriendly alternative habitat development plan for the affected avifauna due to the diversion of 153.448 ha. Forest land in favour of Power Grid corporation of India limited, Raigarh for construction of 765 kv d/c Jharsuguda-Dharamjaygarh transmission line – 2 in Raigarh area)

21.5 अनुसंधान मूलक गतिविधियों का विवरण

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना

ट्रापिकल फारेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट, जबलपुर (टी.एफ.आर.आई) के तकनीकी सहयोग तथा राज्य कैम्पा के वित्तीय अनुदान (रू 50.00 लाख) से संस्थान में 2013 में एक आधुनिक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है इसमें राज्य में किये जाने वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों की मिट्टी की जांच की जा रही है। इस वर्ष अब तक 542 सैम्पल्स की जांच कर रिपोर्ट उपचार सलाह सहित फिल्ड भेजा जा चुका है।

21.6 राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक/7–2/2011/10–2 दिनांक 09/07/2015 के माध्यम से की गई है एवं जलवायु परिवर्तन पर राज्य की कार्ययोजना (State Action Plan on Climate Change) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र को नोडल एजेंसी बनाया गया है। केंद्र का मुख्यालय रायपुर तथा वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक खंड में संचालित किया जा रहा है। केंद्र की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं :–

1. छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट चेंज (CSAPCC) के क्रियान्वयन हेतु विभागों के बीच आपसी तालमेल के लिए एक मंच तैयार करना।
2. जानकारी प्रबंधन केंद्र के रुप में काम करते हुए मौजूदा जानकारी के दायरे को बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन पर जानकारी के आधार का विस्तार करना।
3. भागीदारी के आधार पर जलवायु अनुकूलन और शमन को विकसित करने के लिए हितधारकों को एक मंच प्रदान करना।
4. छत्तीसगढ़ स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाईमेट चेंज (CSAPCC) को लागू करने में निगरानी और मूल्यांकन एजेंसी के रुप में काम करना।
5. जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को विकास की गतिविधियों से जोड़ने, जलवायु परिवर्तन पर जागरुकता बढ़ाने विकास की गतिविधियों के जोखिम को कम करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच क्षमता और कौशल का विकास करना।
6. उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए योजना बनाना और बजट का सही तरीके से इस्तेमाल करना तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोष के उपयोग हेतु आपसी समन्वयन।

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा दिनांक 01/04/2019 से 31/12/2019 तक किये गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है इस संबंध में दिनांक 31.05.2019 को "Common Framework for Vulnerability Assessment and Revision of SAPCC" विषय पर Sectoral Departments हेतु एक दिवसीय Brainstorming Session का आयोजन।
2. न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स, रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के सहयोग से ''छत्तीसगढ़ में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापार संगठनों में उद्योगों के संवेदीकरण'' विषय पर आयोजित कार्यशाला में राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की सहभागिता।

3. मध्य भारत शुष्क क्षेत्र का जलवायु संवेदनशील विकास (Building Climate Resilience of Dry land of Central India) विषय पर राज्य योजना आयोग तथा ICRG (Infrastructure for Climate Resilient growth) के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
4. NAFCC परियोजना ''महानदी के कैचमेंट क्षेत्र में स्थित आद्र भूमि क्षेत्रों में जलवायु अनुकूलन'' अंर्तगत राज्य के 03 वनमंडलों यथा महासमुन्द, धमतरी एवं बलौदा बाजार में मृदा एवं जल संरक्षक का परियोजना क्षेत्र में कार्यशाला तथा क्षमता विकास कार्य किये गये हैं साथ ही तीनों वनमंडलों में NTFP संसाधनों का दस्तावेजीकरण भी किया गया है।
5. DST परियोजना अंतर्गत त्रौमसिक न्यूज लैटर का प्रकाशन किया गया है।
6. RCFC जबलपुर द्वारा प्रायोजित परियोजना "Documentation of Traditional Knowledge of Pahadi Korwa Tribe of Chhattisgarh about the Conservation, Harvesting and Utilization of Medicinal Plants" के अंतर्गत राज्य के पहाडी कोरवा जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औषधीय पौधों से संबंधित ज्ञान का दस्तावेजीकरण।
7. The Climate Group लंदन द्वारा हीडलबर्ग जर्मनी में आयोजित International Conference on Climate Action 2019 में राज्य का प्रतिनिधित्व।
8. The Climate Group लंदन द्वारा मैड्रिड, स्पेन में आयोजित Future Fund General Assembly 2019 में राज्य का प्रतिनिधित्व।
9. The Climate Group yanu द्वारा Future Fund 2019 अंतर्गत Inventorization of Sub- Regional Climate Change Mitigation & Adaptaion efforts of Government of Chhattisgarh, India विषय पर छः माही परियोजना की स्वीकृति।
10. NAFCC परियोजना अंतर्गत Public Financial Management System (PFMS) का संचालन।

मध्य भारत शुष्क क्षेत्र का जलवायु संवेदनशील विकास पर दिवसीय कार्यशाला

21.7 छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट)

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट) 18 सितंबर 2003 को छत्तीसगढ़ पंजीयन अधिनियम, 1973 (वर्ष 1973 का सरल नंबर 44) के तहत एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकृत (पंजीयन संख्या 405) है। छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि (सीजीसर्ट), छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन संचालित है। सीजीसर्ट के कार्यक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

सीजीसर्ट (एनपीओपी/एनएबी/0018) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board), वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एन.पी.ओ.पी) के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित है। सीजीसर्ट कृषि एवं वन्य उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु सेवाएँ प्रदान करती है।

STATUS OF ORGANIC CERTIFICATION UNDER CGCERT 2019 - 20

Total Agriculture / Horticulture/Wild Projects	47
Total Agriculture / Horticulture area under Certification (in Ha.)	2341.48
Total Beneficiaries (farmers)	1580
Total area under wild certification (in Ha.)	12822.60
Total collectors engaged in collection	720
Total certified Agri & Wild produces (in MT)	8407.23 MT & 104.21 MT

जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में शासन की महत्वकांक्षी योजना–नरूवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी योजनाअंतर्गत सभी जिलों के विभिन्न विकास खण्डो में गौठानों अंतर्गत तैयार किये जा रहे वर्मीकम्पोस्ट/जैविक खाद का अनुमोदन, सीजीसर्ट द्वारा शासन के निर्देशानुसार किया जाना है। इसके अंतर्गत समस्त संबंधित विभागो जैसे–समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं संचालक कृषि एवं जिला दण्डाधिकारियो को आवेदन प्रारूप एवं आवेदन/प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अवगत कराते हुए लेख किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रिया अंतर्गत अन्य प्रमाणीकरण स्कोप में निम्न क्षेत्रों में अनंतिम अनुमोदन (Provisional Approval) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली प्राप्त किया गया है विवरण निम्नानुसार है :–

1. औषधीय पौध उत्पाद के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण (व्हीसीएसएमपीपी) हेतु दिनांक 18.09.2019 को योजनांतर्गत प्रमाणीकरण हेतु अनंतिम अनुमोदन (Provisional Approval) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है।

2. पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण (व्हीसीटीसीएचपी) हेतु दिनॉक 26.07.2019 को योजनांतर्गत प्रमाणीकरण हेतु अन्तिम अनुमोदन (Provisional Approval) सीजीसर्ट को भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाप्रदाताओं के स्वैच्छिक प्रमाणीकरण (व्हीसीटीसीएचपी) अंतर्गत वैद्यो के परंपरागत ज्ञान एवं अभ्यास का प्रमाणीकरण किया जाता है।

3. वनों के सतत प्रबंधन के प्रमाणीकरण की दिशा में मान्यता प्रदान करते हुए सीजीसर्ट को Network for Certification & Conservation of Forests (NCCF-FM) हेतु दिनॉक 27.11.2019 को योजनांतर्गत प्रमाणीकरण हेतु अन्तिम अनुमोदन (Provisional Approval) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है।

भाग – दो

22. वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण

छत्तीसगढ़ राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 अभ्यारण्य तथा 3 टायगर रिजर्व गठित हैं। इसके अतिरिक्त मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में एक बायोस्फियर रिजर्व अचानकमार–अमरकंटक अधिसूचित है। वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उनके बचाव व पुनर्वास के लिए ''नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर'' तथा ''कानन पेंडारी जू बिलासपुर'' की स्थापना की गई है। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु जांजगीर–चांपा में मगरमच्छ संरक्षण योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं टायगर रिजर्व का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है –

22.1 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/टायगर रिजर्व/बायोस्फियर रिजर्व -

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	वनवृत्त	वनमंडल	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	2	3	4	5	6
			राष्ट्रीय उद्यान		
1.	कांगेर घाटी	जगदलपुर	बस्तर	बस्तर	200.000
2.	गुरूघांसीदास	सरगुजा	बैकुण्ठपुर	कोरिया/सूरजपुर	1440.705
	योग -				**1640.705**
			अभ्यारण्य		
1.	बादलखोल	सरगुजा	जशपुर	जशपुर	104.454
2.	गोमार्डा	बिलासपुर	रायगढ़	रायगढ़	277.820
3.	बारनवापारा	रायपुर	रायपुर	बालौदाबाजार	244.660
4.	तमोरपिंगला	सरगुजा	सूरजपुर	सूरजपुर	608.527
5.	सेमरसोत	सरगुजा	बलरामपुर	बलरामपुर	430.361
6.	भैरमगढ़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	138.950
7.	पामेड़	जगदलपुर	बीजापुर	दंतेवाड़ा	262.120
8.	भोरमदेव	दुर्ग	कवर्धा	कबीरधाम	351.240
	योग -				**2418.132**
			टायगर रिजर्व		
1.	इन्द्रावती	जगदलपुर	बीजापुर	बीजापुर	2799.070
2.	अचानकमार	बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली/बिलासपुर	914.017
3.	उदन्ती–सीतानदी	रायपुर	गरियाबंद/धमतरी	गरियाबंद/धमतरी	1842.540
	योग -				**5555.627**

क्र.	राष्ट्रीय उद्यान	वनवृत्त	वनमंडल	जिला	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी.
1	2	3	4	5	6
			बायोस्फियर रिजर्व		
1	अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व	बिलासपुर	मुंगेली, मरवाही एवं बिलासपुर	मुंगेली /बिलासपुर	**1696.513** (अचानकमार टायगर रिजर्व जो इसमें शामिल है के 914.017 वर्ग कि.मी. को छोड़कर)
	महायोग				**11310·977**

प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 11310.977 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल वनक्षेत्र 59,772 वर्ग किलोमीटर का 18.92 प्रतिशत है।

22.2 टायगर रिजर्व -

इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्र शासन की प्रोजेक्ट टायगर योजना में वर्ष 1982 से सम्मिलित है परंतु इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास के क्षेत्रों को मिलाकर टायगर रिजर्व का दर्जा अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/2007/10–2 दिनांक 20.02.2009 द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त अचानकमार, उदन्ती एवं सीतानदी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टायगर योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति केन्द्र शासन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 05/08/2006 को दी गई है। राज्य शासन ने अधिसूचना क्रमांक/एफ 8–43/2007/10–2 दिनांक 20/02/2009 द्वारा उदन्ती– सीतानदी एवं अचानकमार को टायगर रिजर्व घोषित किया है।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा नीचे दी गयी तालिका के अनुसार टायगर रिजर्व वार कोर एरिया (Critical Tiger Habitat) एवं बफर एरिया के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित किया गया है :–

स.क्र.	टायगर रिजर्व	कोर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	बफर क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	योग (वर्ग कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	अचानकमार टायगर रिजर्व	626.195	287.822	914.017
2.	उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व	851.090	991.450	1842.54
3.	इंद्रावती टायगर रिजर्व	1258.370	1540.700	2799.07
	महायोग -	**2735.655**	**2819.972**	**5555.627**

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में बाघों की गणना वैज्ञानिक पद्धति से करायी जाती है। वर्ष 2010 एवं 2014 के बाद वर्ष 2018 में अखिल भारतीय बाघ आंकलन कार्य राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा–निर्देश अनुसार किया गया। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली से डाटा विश्लेषण के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य में 19 बाघों की उपस्थिति आंकलित की गयी है।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक/1–57/2009/10–1/वन दिनांक 19/11/2009 द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर, मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर तथा वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं संचालक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा के तीन नये पदों का सृजन कर संबधित अधिकारियों की पदस्थिति की गई है। मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा अपने अधीनस्थ संरक्षित क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है। संरक्षित क्षेत्रा के बाहर के वन क्षेत्र में मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) के साथ संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जाती है।

गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्र मिलकर मध्यप्रदेश के संजय डुबरी टायगर रिजर्व तथा झारखंड के पलामू टायगर रिजर्व के बीच एक निरंतर क्षेत्र बनाते हैं। अतः संजय डुबरी टायगर रिजर्व से लेकर पलामू टायगर रिजर्व तक बाघों के संरक्षण के लिए निरंतर क्षेत्र बनाने के लिए भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र को टायगर रिजर्व के रूप में विकसित करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई । राज्य वन्य जीव बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 24/12/2019 में बोर्ड के द्वारा गुरूघासीदास–तमोर पिंगला टायगर रिजर्व बनाने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक योजना क्रमांक 3730–प्रोजेक्ट टायगर योजनांतर्गत प्राप्त विमुक्त एवं व्यय का विवरण नीचे तालिका में दर्शाये अनुसार है :–

क्र.	टायगर रिजर्व क्षेत्र का नाम	2017-18		2018-19		2019-20 (Oct.2019)	
		विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय	विमुक्ति	व्यय
1	अचानकमार टा.रि.	587.676	587.265	447.384	357.06	398.70	0.00
2	इन्द्रावती टा..रि.	331.42	301.372	201.336	144.76	269.05	0.00
3	उदन्ती–सीतानदी टा.रि.	299.060	299.003	246.120	201.98	286.88	0.00
योग		**1218.156**	**1187.64**	**894.84**	**703.8**	**954.63**	**0.00**

22.3 जंगली हाथियों का प्रबंधन -

जंगली हाथियों के अलग–अलग समूह छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, कोरबा, महासमुन्द एवं बलौदाबाजार जिलों में लगातार विचरण करते आ रहे हैं। ये हाथी

वर्ष 2002 से स्थाई रूप से छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में रह रहे हैं। वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य में जंगली हाथियों की संख्या लगभग 32 थी। अखिल भारतीय समकालिक हाथी जनसंख्या आंकलन का कार्य दिनांक 09 से 12 मई 2017 को संपन्न हुआ जिसमें राज्य में (14 दल में) 247 हाथी पाये गये। जंगली हाथियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण जंगली हाथियों के उपयुक्त रहवास विकास एवं उनके प्रबंधन हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

जंगली हाथियों की संख्या बढ़ने से हाथी–मानव द्वंद्व में वृद्धि हुई है। जंगली हाथियों के द्वारा जनहानि के साथ फसल/सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई जा रही है। विभाग द्वारा मानव–हाथी द्वंद को कम करने हेतु ''हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास'' नाम से एक योजना प्रांरभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत हाथी के विचरण क्षेत्रों में उनके रहवास विकास के कार्य किये जा रहे हैं। हाथी मानव द्वंद्व को कम करने हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला आयोजित किये गये हैं। प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीणों एवं क्षेत्रीय अमलों को जागरूक करते हुये हाथी द्वारा जानमाल की नुकसानी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथी प्रभावित वनमंडलों में हाथी–मानव द्वंद्व कम करने हेतु क्षेत्र के ग्रामों में व्यापक रूप से जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया है। हाथियों के विचरण की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ''**हमर हाथी हमर गोठ**'' प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं रायपुर केन्द्रों से प्रति दिवस शाम को किया जाता है। जंगली हाथियों पर सतत् निगरानी रखे जाने हेतु 12 गजराज रेस्क्यू वाहनों के साथ 12 चलित हाथी सुरक्षा दस्तों का गठन किया गया है। इन चलित हाथी सुरक्षा दस्तों के संचालन हेतु 84 गेमगार्ड की नियुक्ति की गयी है। ये चलित हाथी सुरक्षा दस्ते दो पालियों में 24 घंटे जंगली हाथियों के समूहों की सतत् निगरानी में सक्रिय रहते हैं।

जंगली हाथियों द्वारा ग्रामवासियों की फसल एवं अन्य संपत्ति की नुकसानी तथा जनहानि होने पर सहायता/मुआवजा राशि का भुगतान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्रावधानित अवधि अनुसार किया जाता है।

जंगली हाथियों को उपयुक्त रहवास स्थल उपलब्ध कराने तथा हाथी–मानव द्वंद्व को कम करने के लिए भारत शासन द्वारा ''प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना'' के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय नहीं की गयी राशि रू. 108.80 लाख को वित्तीय वर्ष 2019–20 में भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को उपलब्ध कराई गई है जिससे रहवास सुधार के विभिन्न कार्य तथा जान–माल की क्षति को रोकने के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2017–18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 तक हाथी रहवास क्षेत्र के विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेण्ट योजनांतर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास एवं प्रोजेक्ट एलीफेण्ट योजनांतर्गत प्राप्त बजट आबंटन एवं व्यय का विवरण वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 (माह नवम्बर 2019) तक

(राशि लाख रु. में)

क्र.	योजना का नाम	6991- हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास		5502-प्रोजेक्ट एलीफेण्ट		योग	
	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय	बजट प्रावधान	व्यय
1	2017.18	1247.40	1227.06	80.00	80.00	1327.40	1307.06
2	2018.19	1250.10	824.86	108.80	0.00	1358.90	824.86
3	2019.20	1251.50	465.74	108.80	0.00	1360.30	465.74

हाथियों के वैज्ञानिक प्रबंधन एवं उनके विचरण की सतत निगरानी के उद्देश्य से केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से राज्य के 12 हाथियों में रेडियो कॉलर लगाने हेतु प्राप्त अनुमति के पालनार्थ 05 रेडियो कालर्ड जंगली हाथियों के विचरण की सतत निगरानी की जा रही है। रेडियो कॉलरिंग किये जाने हेतु भारतीय वन्यजीव संस्थान का तकनीकी मार्गदर्शन लिया जा रहा है। दि. 27.08.2019 को आयोजित मंत्रि–परिषद बैठक में भारत सरकार की सहमति दि. 05.10.2007 के आधार पर कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत 1995.48 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व गठित करने के लिए वन विभाग को अधिकृत किया गया है। एक बेहतर वैज्ञानिक हाथी प्रबंधन इकाई के रूप में लेमरू हाथी रिजर्व के गठन की कार्यवाही प्रचलन में है।

22.4 हाथी कैम्प पिंगला -

सूरजपुर जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य की रमकोला बीट के 4.71 हेक्टेयर क्षेत्र में ऐलीफेण्ट कैम्प स्थित है। वर्तमान में पांच कुमकी हाथियों सहित कुल 07 हाथियों को इस कैम्प में वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु रखा गया है।

22.5 बस्तर पहाड़ी मैना -

पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य पक्षी घोषित है। पहाड़ी मैना का वर्तमान में मुख्य रहवास क्षेत्रा दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, जगदलपुर, कांगेरघाटी, गुप्तेश्वर, तिरिया, पुल्चा आदि हैं। मैना के बारे में स्थानीय स्तर पर जानकारियों का संकलन, कार्यशालाओं का आयोजन, मैना से संबंधित साहित्य का वितरण, राष्ट्रीय उद्यान एवं अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत मैना के देखे जाने के अभिलेखीकरण आदि कार्य संचालित किये जा रहे हैं। साथ ही बहेलियों की पहचान, सूचना तंत्र को मजबूत करना एवं अवैध व्यापार पर रोक लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बस्तर हिल मैना के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कैम्पा मद अंतर्गत वर्ष 2020–21 के ए.पी.ओ. में राशि रू. 123.00 लाख प्रावधान कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसके अंतर्गत मैना के संरक्षण एवं उनके द्वारा पसंद किए जाने वाले वृक्ष प्रजातियों जैसे बरगद, पीपल, सेम्हल, तेजम आदि का रोपण कर उनके रहवास का विकास किया जायेगा।

वन भैंसा पर विशेष डाक लिफाफा का विमोचन

मैनपुर. राजकीय पशु वन भैसा के संरक्षण तथा संवर्धन एंव आमजन मानस तक जागरूकता पहुचाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजयादशमी के दिन विशेष डाक लिफाफा का विमोचन किया. इस विशेष डाक आवरण के लिए मुख्यमंत्री ने वनभैसों के सरंक्षण व संवर्धन पर कार्य कर रही राष्ट्रीय संस्था वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया की सरहाना की. इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, प्रधान मुख्य वन सरंक्षक राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य प्राणी आतुल शुक्ल, मुख्य वन संरक्षक एसडी बइगैया, एच एल रात्रे, पोस्टल विभाग के महावर एवं डॉ आर पी मिश्रा उपस्थित थे.

22.6 वन भैंसों का संरक्षण -

छत्तीसगढ़ के दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्यजीवों में वनभैंसा प्रमुख है। वर्तमान में वनभैसें

छत्तीसगढ़ के उदन्ती अभ्यारण्य तथा इन्द्रावती टायगर रिजर्व में सीमित रह गए हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली वनभैसों की नस्ल सर्वाधिक शुद्ध है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के वनभैसों का विशेष महत्व है।

वनभैसों को महत्व देते हुए राज्य शासन द्वारा इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। इनके रहवास स्थलों में बढ़ते जैविक दबाव के कारण वनभैंसों पर संकट बढ़ा है। प्रदेश में वनभैंसों को संरक्षित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व में अभी 08 नर तथा 02 मादा मिलाकर कुल 10 वनभैंसे हो गये हैं। इन्द्रावती टायगर रिजर्व की विशेष परिस्थितियों के कारण आंकलन न होने से वनभैसों की संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है परन्तु उक्त क्षेत्र में वनभैंसों को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है।

राजकीय पशु के संरक्षण संवर्धन हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से वनभैंसे के सचित्र विशेष लिफाफे का विमोचन वन्यप्राणी सप्ताह 2019 के दौरान दिनांक 08.10.2019 को श्री भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है।

छततीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा राजकीय पशु वनभैंसा के संरक्षण–संवर्धन एवं उनकी संख्या में वृद्धि किये जाने हेतु असम राज्य के मानस राष्ट्रीय उद्यान से 05 नग मादा वनभैंसा लाने हेतु निर्णय लिया गया था। दोनों राज्यों की परस्पर सहमति के बाद मादा वनभैंसा लाने के संबंध में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। वनभैंसा लाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

22.7 मगरमच्छ प्रबन्धन -

जांजगीर चांपा वनमंडल के अंतर्गत स्थित कोटमीसोनार ग्राम के तालाब में मानव–मगरमच्छ द्वंद्व को कम करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 में मगरमच्छ संरक्षण योजना के नाम से नवीन योजना प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत समीप के तालाबों से मगरमच्छों को कोटमी सोनार तालाब में स्थानांतरित किया गया है। वर्तमान में लगभग 200 मगरमच्छ इस तालाब में संरक्षित हैं। इस स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में भी विकसित किया गया है। कोटमीसोनार स्थित मगरमच्छ प्रक्षेत्र को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा की धारा –36 A(1) के अंतर्गत ''संरक्षण हेतु आरक्षित'' (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किए जाने के प्रस्ताव को राज्य वन्यजीव बोर्ड की 5वीं बैठक दिनांक 30/05/2012 में सहमति दी गई थी। इसके पूर्व ग्रामसभा कोटमी द्वारा भी इसे ''संरक्षण हेतु आरक्षित'' (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित करने का प्रस्ताव ग्रामसभा में पारित किया गया था। ग्रामसभा एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में मगरमच्छ संरक्षण प्रक्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 57.037 हेक्टेयर है एवं जिसका समस्त क्षेत्र वन विभाग को हस्तांतरित है, को ''संरक्षण हेतु आरक्षित'' (कंजरर्वेशन रिजर्व) घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में मगरमच्छ संरक्षण हेतु राशि रू. 82.00 लाख आबंटित की गयी है।

MAN AND THE BIOSPHERE PROGRAMME

By decision of the International Co-ordinating Council of the Programme on Man and the Biosphere,

Achanakmar - Amarkantak - India

has been designated for inclusion in the World Network of Biosphere Reserves.

The world's major ecosystem types and landscapes are represented in this Network, which is devoted to conserving biological diversity, promoting research and monitoring, as well as seeking to provide models of sustainable development in the service of humankind.

Participation in the World Network facilitates cooperation and exchanges at the regional and international levels.

DATE OF INSCRIPTION
11 July 2012

DIRECTOR-GENERAL OF UNESCO

22.8 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्र एवं उसके बाहर वन्यप्राणियों का संरक्षण एवं विकास कार्य -

राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 टायगर रिजर्व,

8 अभ्यारण्य, 1 बायोस्फियर रिजर्व एवं 1 मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र स्थित हैं। इन सभी क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण, संवर्धन, प्रबंधन एवं रहवास क्षेत्र के विकास का कार्य किया जाता है। विभिन्न योजनाओं के तहत जलस्रोतों का विकास, तालाब, एनीकट एवं स्टॉप डेम निर्माण, नलकूप खनन, चारागाह विकास, लेन्टाना उन्मूलन, बाड़ा निर्माण आदि कार्य किये जाते हैं।

राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्य क्षेत्रों के बाहर कई ऐसे वनक्षेत्र हैं जो चारों ओर से आबादी से घिरे हुए हैं परंतु इन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों की बहुलता है। ऐसे क्षेत्रों में आसपास के ग्रामीणों एवं उनके मवेशियों का भारी दबाव है जिससे वन्यप्राणियों के प्राकृतवास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। वन्यप्राणियों को चारे तथा पानी के लिए ग्रामीण एवं मवेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के संरक्षण के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

22.9 अचानकमार-अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व -

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फियर रिजर्व की अधिसूचना भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिनांक 30 मार्च 2005 को जारी की गई। इसका कुल क्षेत्रफल 3835.51 वर्ग कि.मी. है। इस बायोस्फियर रिजर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले का कुछ भाग तथा मध्यप्रदेश के डिण्डोरी एवं अनूपपुर जिले के भाग सम्मिलित हैं। इस बायोस्फियर रिजर्व में अचानकमार टाईगर रिजर्व भी शामिल है। यह देश का चौदहवां बायोस्फियर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में इस जीवमंडल (बायोस्फियर रिजर्व) का (अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र को छोड़कर) क्षेत्रफल 1696.513 वर्ग कि.मी. है।

अचानकमार–अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व की महत्ता को देखते हुये यूनेस्को के मानव व जैव विविधता कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (International Co-ordinationing Council of the Programme on Man and the Biosphere) की बैठक में इसे बायोस्फिर रिजर्व की विश्व श्रृंखला में सम्मिलित किया गया है एवं इस हेतु प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है।

22.10 नंदनवन जू (माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा दिनांक 5.10.2019 को लोकार्पित) एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर -

वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ स्वस्थ्य प्राकृतिक मनोरंजन हेतु नवा रायपुर में नंदनवन जू एवं जंगल सफारी का निर्माण किया गया है। जहां जू में वन्यप्राणी बाड़े (एनक्लोजर) में रहते हैं वहीं जंगल सफारी में पर्यटकों को बंद वाहन में घुमाया जाता है।

नंदनवन जू एवं जंगल सफारी, नवा रायपुर के सेक्टर 39 में रायपुर शहर से 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं इसका क्षेत्रफल 791 एकड़ है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इसकी दूरी 15 कि.मी. है। इसके उत्तर पश्चिम भाग में 130 एकड़ का खण्डवा जलाशय है जो अनेक प्रकार के जलीय प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। शेष क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के हरे–भरे वृक्षों से आच्छादित है जो प्राकृतिक वन का एहसास कराते हैं।

नंदनवन में शाकाहारी पशु जैसे चीतल आदि (हर्बीवोर), भालू (बीयर), बाघ (टायगर) तथा शेर (लॉयन), इस प्रकार कुल 4 सफारी हैं । जंगल सफारी का निर्माण तथा विकास कैम्पा व राज्य मद से तथा केन्द्रीय जू प्राधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं मापदंडों के अनुरूप किया गया है। इस क्षेत्र में उपलब्ध पक्षियों का सर्वे कराया गया है जिसमें 57 प्रकार के पक्षियों की पहचान की गई है। मछली घर, स्नेक पार्क, वाक–इन लैण्ड बर्ड एवियरी एवं वाक–इन वेटलैण्ड बर्ड एवियरी का भी निर्माण किया जायेगा।

नंदनवन में जंगल सफारी के बगल में जू का निर्माण किया गया है। पर्यटक जंगल सफारी के साथ–साथ जू का भी भ्रमण कर सकते हैं। जू में विभिन्न वन्यप्राणियों हेतु केन्द्रीय जू प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों एवं मापदंडों के अनुसार कुल 37 एनक्लोजर्स का निर्माण किया जाना है। वर्तमान में 11 एनक्लोजर्स का निर्माण पूर्ण है। दिनांक 05 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा इस जू का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण पश्चात आम जनता के लिए जू को प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जू में 02 बाघ (रॉयल बंगाल टायगर), 02 शेर (लॉयन), 02 सफेद बाघ, 03 तेन्दुए (लेपर्ड), 11 कछुओं, 02 दरयाई घोड़े, 02 घड़ियाल, 03 गोह (बंगाल मॉनिटर लिजार्ड), 08 मगरमच्छ, 02 भालू (हिमालयन बीयर) हैं।

SAFARI
ZOO

जू एवं जंगल सफारी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केन्द्र बन गया है। कैलेण्डर वर्ष 2019 में कुल 1,26,265 वन्यप्राणी प्रेमियों ने भ्रमण किया है शासन ने प्रवेश शुल्क घटाकर आधा कर दिया है। इससे पर्यटकों को प्रवेश और सुगम हो गया है। ऑन लाईन प्रवेश टिकट की भी व्यवस्था है। जंगल सफारी में पर्यटकों के भ्रमण के लिए 14 नॉन ए.सी. वाहन, 12 ए.सी. वाहन तथा 03 बैटरी चलित बसें उपलब्ध करायी गयी है।

22.11 कानन पेण्डारी जू बिलासपुर -

कानन पेण्डारी जू बिलासपुर में 66 प्रजातियों के कुल 625 वन्यप्राणियों को रखा गया है जिसमें 33 स्तनधारी प्रजातियों के 386 वन्यप्राणी, 12 सरीसृप प्रजातियों के 76 वन्यप्राणी तथा 20 पक्षी प्रजातियों के 163 पक्षियॉ शामिल हैं। पर्यटक जू में निर्धारित शुल्क जमा कर भ्रमण कर सकते हैं। जू में बच्चों के मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के मनोरंजन स्थल, झूला आदि का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर एवं बिलासपुर स्थित दोनों जू को घायल वन्यप्राणियों के लिए स्थायी रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। विभिन्न कारणों से वनों एवं आसपास दुर्घटना से घायल हुए वन्यप्राणियों को यहां लाकर उनका उपचार एवं रखरखाव किया जाता है तथा स्वस्थ्य होने पर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है।

22.12 जू के जानवरों को गोद लेने की व्यवस्था -

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर का आदेश दिनांक 24.09.2013 से सामान्य जनों में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उनके प्रति स्नेह एवं सह अस्त्तिव की भावना विकसित करने तथा जन सहभागिता के साथ वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के जू के जानवरों को गोद लिए जाने के संबंध में योजना स्वीकृत की गयी है। इस योजना से सामान्य जनता को उनके द्वारा गोद लिये गये वन्यप्राणियों को करीब से समझने का अवसर प्राप्त होता है। आवेदक द्वारा चयनित वन्यप्राणी को गोद लेने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित जू द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक द्वारा जमा की

गयी निर्धारित राशि का उपयोग आवेदक द्वारा चयनित वन्यप्राणियों के भोजन, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उनके समुचित रखरखाव के लिये किया जाता है। उपरोक्त योजना के तहत कानन पेण्डारी जू बिलासपुर एवं नंदनवन जू रायपुर में लोगो के द्वारा विभिन्न जानवरों को गोद लिया गया है।

22.13 मानव-वन्यप्राणी द्वंद से हुई क्षति के मुआवजे -

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 12.06.2015, 15.03.2016 एवं 29.06.2019 द्वारा शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेड़िया, जंगली सुअर, गौर, जंगली हाथी, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ, घड़ियाल, वन भैंसा, सियार एवं बंदर द्वारा जनहानि, जनघायल एवं पशुहानि किये जाने पर निर्धारित मुआवजा राशि की दरें निम्नानुसार हैं :–

विवरण	दर
जनहानि	रू. 6,00,000/– (रूपये छः लाख)
स्थायी रूप से अपंग होने पर	रू. 2,00,000/– (रूपये दो लाख)
जनघायल	रू. 59,100/– (रूपये उन्सठ हजार एक सौ की अधिकतम सीमा तक)
पशुहानि	रू. 30,000/– (रूपये तीस हजार की अधिकतम सीमा तक)

मकान क्षति/फसल हानि/अन्य हानि के मुआवजे की राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्र दिनांक 9.06.2015 द्वारा निर्धारित दरों को छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 15.07.2015 से लागू किया गया है। मधुमक्खी के काटने तथा नील गाय व बनैला गाय द्वारा फसलों की क्षति के मामलों में भी मुआवजे का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पत्र दिनांक 10.01.2019 एवं 08.07.2016 के अनुसार प्रदेश के हाथी कारीडोर क्षेत्र में जंगली हाथियों से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति भुगतान रू. 9000/– प्रति एकड़ की दर से आर.बी.सी. (राजस्व पुस्तक परिपत्र) के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान करने के पश्चात प्रति एकड़ अंतर की राशि का भुगतान राज्य बजट से किये जाने के निर्देश हैं।

लोक सेवा गांरटी अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

वन्यप्राणियों द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में (माह अक्टूबर 2019 तक) में की गयी जनहानि/जनघायल/पशुहानि/फसल हानि/मकान/संपत्ति हानि का विवरण तथा राज्य शासन द्वारा किये गये क्षतिपूर्ति मुआवजे के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्त वर्ष 2018-19

(राशि रु. में)

वृत्त का नाम	जनहानि		जनघायल		फसल हानि		पशुहानि		मकान/अन्य हानि	
	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि
रायपुर	7	2800000	69	961544	1806	7577667	90	672600	58	377578
बिलासपुर	35	14000000	139	3511077	6628	52804508	149	1284150	774	9844009
सरगुजा	33	13200000	169	2212034	14241	58596490	309	2077353	2033	32469620

वृत्त का नाम	जनहानि		जनघायल		फसल हानि		पशुहानि		मकान/अन्य हानि	
	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि
दुर्ग	3	1200000	65	566889	118	1790458	14	68000	471	591703
कांकेर	4	1600000	6	21123	17	44481	141	1011700	2	4595
जगदलपुर	0	0	24	533982	0	0	2	40000	0	0
योग	**82**	**32800000**	**472**	**7806649**	**22810**	**120813604**	**705**	**5153803**	**3338**	**43287505**

वित्त वर्ष 2019-20 (31 अक्टूबर की स्थिति)

(राशि रु. में)

वृत्त का नाम	जनहानि		जनघायल		फसल हानि		पशुहानि		मकान हानि	
	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि	प्रकरणों की संख्या	वितरित मुआवजा राशि
रायपुर	4	1625000	19	200627	2796	20522100	10	82000	13	133925
बिलासपुर	29	11850000	9	160791	1660	12004550	14	130500	373	2720459
सरगुजा	27	13600000	75	1397943	4372	16647508	124	792924	870	10506229
दुर्ग	0	0	16	89272	25	71632	14	133000	205	161350
कांकेर	2	800000	1	25694	4	11500	22	233000	0	0
जगदलपुर	2	800000	36	729742	0	0	18	205000	0	0
योग -	**64**	**28675000**	**156**	**2604069**	**8857**	**49257290**	**202**	**1576424**	**1461**	**13521963**

22.14 राज्य वन्यजीव बोर्ड -

माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य वन्यजीव बोर्ड गठित है। बोर्ड की समय समय पर आयोजित बैठकों में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की 11वीं बैठक दिनांक 24.11.2019 को माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

22.15 वन्यप्राणी सप्ताह (02-08 अक्टूबर) -

राज्य में प्रतिवर्ष 02 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक वन्यप्राणी सप्ताह मनाया जाता है। वैसे तो वर्ष भर वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं परन्तु वन्यप्राणी सप्ताह के दौरान पूरे प्रदेश के विशेष रूप से युवा वर्ग में वन्यप्राणियों के प्रति जागरूकता एवं जानकारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जैसे भाषण, निबंध, वादविवाद, चित्रकला, सायकल रैली एवं फोटोग्राफी आदि की प्रतियोगिताऐं आयोजित की

जाती हैं तथा पुरस्कार वितरण किया जाता है। प्रमुख चौराहों, रेल्वे स्टेशन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर एवं एल.ई.डी स्क्रीन आदि के माध्यम से वन्यप्राणियों का आकर्षक प्रचार–प्रसार किया जाता है। इस वर्ष भी ये सभी कार्यक्रम आयोजित किये गये। इस वर्ष विशेष रूप से माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री एवं माननीय श्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री छ.ग. शासन के वन्यप्राणी सप्ताह के अवसर पर संदेश का प्रसारण, नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू का श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा दि. 05.10.2019 को लोकार्पण एवं छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वनभैंसे के सचित्र विशेष लिफाफे का माननीय श्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छ.ग. शासन द्वारा दि. 8.10.2019 को विमोचन उल्लेखनीय हैं।

22.16 वन्यप्राणी प्रबंधन संरक्षण योजनाओं हेतु बजट प्रावधान एवं व्यय -

वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजना मदों के अंतर्गत विगत दो वर्षो में बजट प्रावधान, आबंटन एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19			2019-20 (व्यय माह अक्टूबर2019)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आयोजनेत्तर -							
1.	(3531) प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बाँस वनो सहित संरक्षण)	90.00	90.00	89.99	90.00	90.00	0.00
2.	(8912) वन्यप्राणी बचाव पुर्नवास बचाव एवं हेल्थकेयर प्रबंधन	127.50	127.50	19.29	129.00	106.28	39.16
3.	(3896) वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति	2300.00	2300.00	1627.50	3500.00	3500.00	1222.39
4.	(6885) प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	659.70	655.93	335.17	624.30	600.50	229.71
5.	(2899) राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र	1183.69	1183.69	969.31	1262.50	1162.20	703.26
6.	(2900) अभ्यारण्य क्षेत्र	2930.99	2930.99	3057.99	3113.40	2945.37	1931.88
7.	(8644) वन्यप्राणी वन वृत्तों की स्थापना	374.06	374.06	323.63	397.40	394.60	224.97

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19			2019-20 (व्यय माह अक्टूबर2019)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.	(4349)सड़कों का निर्माण तथा सड़कें एवं पुलों की दुरस्ती	135.00	135.00	61.94	135.00	135.00	65.88
9.	(6218) भवनों की मरम्मत	136.50	136.50	49.61	136.50	136.49	64.79
	योग-	**7937.44**	**7933.67**	**6534.43**	**9388.10**	**9070.44**	**4482.04**
आयोजना -							
1.	(2965) बिगड़े वनों का सुधार बाँस वनों सहित	300.00	300.00	265.85	310.00	309.07	128.31
2.	(6724) बाँस वनों का पुनरूद्वार	110.00	110.00	80.20	110.00	109.87	31.81
3.	(3943) वन्यजीवों का संरक्षण एवं विकास	880.00	880.00	621.87	880.00	793.36	347.31
4.	(6540) चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन	2897.65	2897.65	1412.67	2893.30	2891.89	1027.08
5.	(6722) मगरमच्छ संरक्षण योजना	82.00	82.00	70.80	82.00	82.00	20.35
6.	(6723) संयुक्त वन प्रबंध सुदृढ़ीकरण	60.00	60.00	8.02	60.00	60.00	4.57
7.	(6793) छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड स्थापना	55.80	55.80	55.80	55.80	55.80	22.32
8.	(7887) हाथी प्रभावित क्षेत्रों में चलित हाथी सुरक्षा दस्ता का गठन	545.50	364.12	211.20	265.50	85.50	18.57
9.	6699–वन विकास उपकर निधि से व्यय	500.00	500.00	333.00	0.00	0.00	0.00
10.	(6993) नैसर्गिक पर्यटन का विकास योजना	170.00	170.00	134.59	170.00	169.99	30.84
11.	(5502) प्रोजेक्ट एलीफेंट	215.10	108.80	0.00	236.65	0.00	0.00
12.	(6539) राष्ट्रीय उद्यान / अभ्यारण्य का विकास	1212.67	590.02	391.86	1340.60	516.73	0.00
13.	(6886) वनमार्गों पर रपटा एवं पुलिया निर्माण	240.00	240.00	206.25	240.00	239.87	57.38
14.	(5090) जैव विविधता संरक्षण	950.00	945.50	787.86	950.00	949.23	404.75
15.	(6991) हाथी रहवास क्षेत्रों का विकास योजना	1250.10	1250.10	824.86	1251.50	1250.88	465.73

क्र.	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19			2019-20 (व्यय माह अक्टूबर2019)		
		प्रावधान	आबंटन	व्यय	प्रावधान	आबंटन	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	(7459) वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रों में प्राकृतवास का समन्वित विकास	500.00	499.96	366.52	500.00	498.31	195.09
17	(3730) प्रोजेक्ट टायगर	2624.00	894.60	703.80	3096.10	954.63	0.00
18	(6771) अचानकमार अमरकंटक बायोस्फिर रिजर्व का विकास	332.87	0.00	0.00	334.40	0.00	0.00
19	(4342) सड़कें तथा भवन निर्माण कार्य	300.00	300.00	270.30	300.00	300.00	42.38
	योग-	**13225.69**	**10248.55**	**6745.45**	**13075.85**	**9267.13**	**2796.49**
	महायोग -	**21163.13**	**18182.22**	**13279.88**	**22463.95**	**18337.57**	**7278.53**

भाग – तीन

23. छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

23.1 निगम का गठन एवं उद्देश्य

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–5–2/ वन/2001/ दिनांक 30 अप्रैल 2001 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का कम्पनीज़ एक्ट 1956 के तहत् पंजीयन दिनांक 22.05.2001 को किया गया।

गठन के समय से निगम मुख्यतः वनक्षेत्रों को वन विभाग से लीज़ पर लेकर औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त तेजी से बढ़ने वाली मूल्यवान प्रजातियों जैसे सागौन, नीलगिरी आदि का रोपण करता रहा है। इसके लिए निश्चित अवधि में विरलन एवं पूर्ण विदोहन कर व्यापारिक प्रजाति के वृक्षों का नीलाम द्वारा विक्रय किया जाता है। प्राप्त काष्ठ की बाजार की आवश्यकताओं की दृष्टि से लॉगिंग की जाती है ताकि अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। इसके साथ ही प्राकृतिक वन संसाधनों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन निगम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण सुधार की दृष्टि से खदानी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का व्यापक रोपण भी निगम द्वारा किया गया है। निगम के कार्यो से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार में सहायता मिली हैं।

23.2 निगम की संरचना, सेटअप एवं प्रबंधन

- निगम के कार्य का संचालन शासन द्वारा गठित 11 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है। श्री मोहम्मद अकबर माननीय वनमंत्री निगम के अध्यक्ष एवं श्री आर.के. गोवर्धन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक निगम के प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ हैं।
- निगम के 2 क्षेत्रीय एवं 9 मंडल कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतीय वन सेवा के वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ किये जाते हैं। परियोजना/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल का प्रबंधन उप वन संरक्षक/प्रबंधक (वानिकी) स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
- राज्य शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार दिनांक 31.12.2019 की स्थिति में कुल स्वीकृत 723 पदों के विरूद्ध कुल 341 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं 106 नियमित चौकीदार सांख्येत्तर पद पर कार्यरत हैं।

मान. श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री को मान. श्री मोहम्मद अकबर, वनमंत्री द्वारा लाभांश का प्रदाय

23.3 निगम की अंशपूंजी

- **अधिकृत अंशपूंजी** :- निगम की अधिकृत अंशपूंजी 30 करोड़ है।
- **प्रदत्त अंशपूंजी** :- निगम की प्रदत्त अंशपूंजी 26.655 करोड़ रूपये है।

निवेशक	अंशपूंजी
छत्तीसगढ़ शासन	रू. 25.731 करोड़
भारत सरकार	रू. 0.924 करोड़
योग :	**रू. 26.655 करोड़**

23.4 निगम की क्षेत्रीय ईकाईयां

निगम को वन विभाग द्वारा समय–समय पर वन क्षेत्र हस्तांतरित किया गया है। वर्तमान में निगम के आधिपत्य में कुल 2,17,391 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। निगम के 2 क्षेत्रीय कार्यालय एवं परियोजना मंडल/औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल के रूप में 9 इकाईयाँ निम्नानुसार कार्यरत है :–

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	परियोजना मण्डल का नाम	गठन दिनांक	वन क्षेत्रफल (हे .)
1.	रायपुर	01. बारनवापारा परियोजना मण्डल, रायपुर	30.10.1975	35,201
		02. पानाबरस परियोजना मण्डल, राजनांदगांव	17.12.1976	49,910
		03. अंतागढ़ परियोजना मण्डल, भानुप्रतापपुर	17.12.1976	29,040
		04. कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम	11.09.2003	25,147
		05. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, जगदलपुर	29.06.2016	14,349
2.	बिलासपुर	06. कोटा परियोजना मण्डल, बिलासपुर	30.10.1975	30,623
		07. सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर	11.09.2003	33,121
		08. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, कोरबा	23.08.2001	औद्योगिक / राजस्व क्षेत्र में रोपण
		09. औद्योगिक वृक्षारोपण मण्डल, रायगढ़	23.12.2017	औद्योगिक / राजस्व क्षेत्र में रोपण
		योग :		**2,17,391**

23.5 गतिविधियाँ

23.5.1 सागौन, बाँस एवं नीलगिरी का व्यावसायिक रोपण -

कार्य आयोजना अनुसार बिगड़े वन क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रजातियों का रोपण कार्य निगम की स्वयं की राशि से किया जाता है।

वर्ष 2019 में किये गये वृक्षारोपण निम्नानुसार है :–

रोपण वर्ष	प्रजाति						योग	
	सागौन		नीलगिरी		बाँस		क्षेत्र फल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में.)
	क्षेत्र फल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में.)	क्षेत्रफल (हे.)	पौधा संख्या (लाख में)	क्षेत्रफल (हे.)	पौध संख्या (लाख में.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	1433	28.52	–	–	–	–	1433	28.52

वर्ष 2020 में 1710.500 हेक्ट. में 43 लाख सागौन एवं 25 हे. क्षेत्र में बाँस तथा 80 हे. क्षेत्र में नीलगिरी रोपण प्रस्तावित है।

23.5.2 औद्योगिक क्षेत्रों में रोपण -

वन विकास निगम द्वारा पर्यावरण विकास एवं संतुलन के उद्देश्य से विभिन्न औद्योगिक संस्थानों जैसे–भिलाई इस्पात संयंत्र, एन.एम.डी.सी बस्तर (नेशनल मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन)., एम.सी.एल. (महानदी कोलफील्ड्स लि.), एन.टी.पी.सी. सेल पावर कंपनी (एन.टी.पी.सी. एवं सेल का संयुक्त उपक्रम), एस.ई.सी.एल. (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.) बिलासपुर, एन.टी.पी.सी. (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) कोरबा एवं लारा के खदानी एवं गैर खदानी क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का सघन रोपण कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाल्को, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल आदि संस्थानों के क्षेत्रों में मिश्रित प्रजातियों का रोपण कार्य किया जाता है। यह योजना विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से ''न लाभ न हानि'' के सिद्धांत पर अग्रिम राशि प्राप्त कर डिपाजिट कार्य के रूप में संचालित की जाती है। वर्ष 2015 से 2019 तक वर्षवार रोपित पौधों की संख्या निम्नानुसार है :–

(पौधा संख्या लाख में)

2015	2016	2017	2018	2019	योग
6.31	6.10	9.34	8.10	7.41	**37.26**

वर्ष 2020 में इस योजनान्तर्गत 9.70 लाख पौधों के रोपण का कार्य प्रस्तावित है।

खदानी क्षेत्रों में हरियाली-कुसमुण्डा

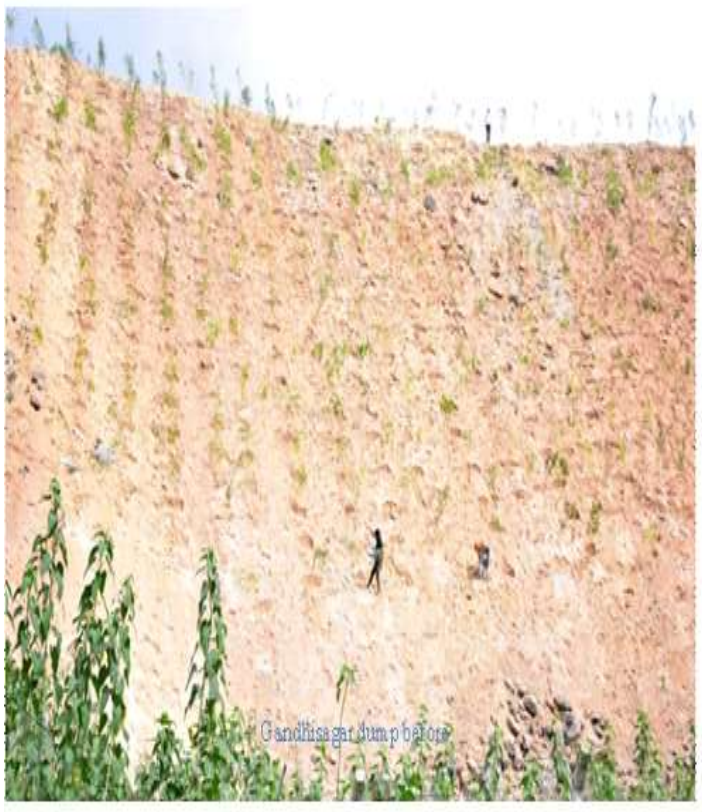

23.5.3. राजस्व क्षेत्र में वृक्षारोपण -

निगम द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित हरियर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में हरियाली विकास हेतु योगदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष पथ एवं पड़त भूमि के ब्लॉक्स का चयन कर विभिन्न प्रजातियों यथा पीपल, शीशु, बाँस, करंज, कहुआ, चिरौल आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया जाता है। वर्ष 2018 एवं 2019 में किये गये वृक्षारोपण का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	ब्लाक (हे.)	रोपित पौधा संख्या
2018	321.60	353760
2019	–	115200

ऑक्सीजोन रायपुर

ऑक्सीजोन रायपुर एक शहरी वन के रूप में कलेक्टोरेट रायपुर के समीप वन विकास निगम द्वारा बनया जा रहा है। इस हेतु 100 से अधिक भवन एवं 70 दुकानो को हटाया गया है। प्रथम चरण में 10 एकड़ का काम पूर्ण हो चुका है। अब तक 2000 से अधिक वृक्ष जैसे नीम, कचनार, झारूल, पीपल, साल, हर्रा, बहेड़ा, आवंला आदि लगाये जा चुके है। साथ ही 365 से अधिक पुराने वृक्षों को संरक्षित किया गया है। द्वितीय चरण का कार्य प्रगति पर है।

विविध वृक्षारोपण कार्य

अल्प वनक्षेत्र वाले जांजगीर–चांपा जिले में वृहद रूप से वृक्षारोपण किये गये है। वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक के वर्षों में 834 हेक्ट. एवं 3 कि.मी. क्षेत्र में 8.05 लाख पौधों का रोपण किया गया है। मुख्य रूप से कहुआ, शीशु आंवला, पीपल आदि पौधों का रोपण किया गया है। उल्लेखनीय है कि जांजगीर–चांपा जिले में अधिकांश भूमि जिला कलेक्टर द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गई है। निगम द्वारा हरियाली बढ़ाने के प्रयासों से वनक्षेत्र में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2017–18 में रेल्वे की 31 हेक्ट. भूमि पर 34000 पौधों का रोपण किया गया है। रेल्वे की रिक्त भूमि पर आगामी वर्षो में वृक्षारोपण हेतु रेल्वे एवं वन विकास निगम के मध्य एम.ओ.यू. किया गया है। जिसके तहत वर्ष 2019 में 19730 पौधों का रोपण किया जा रहा है।

सांकरा सिटी फॉरेस्ट

सांकरा सिटी फॉरेस्ट का निर्माण 40 हे. में किया गया है। इसमें 40000 से भी अधिक विभिन्न प्रजातियों जैसे नीम, पीपल, बहेड़ा, आंवला, करंज, चिरौल आदि प्रजातियों के वृक्ष लगाये गये है। यह रायपुर पाटन मार्ग पर रायपुर से 7 कि.मी. दूर है। यहां की मिट्टी कठोर मुरूम है। आउटर पर स्थित यह शहरी वन अत्यंत लोकप्रिय हो गया है।

23.6 निगम की रोपणियाँ

निगम की 6 रोपणियों में निगम के रोपण हेतु सागौन रूटशूट तैयार किए जाते है। मिश्रित प्रजाति के पौधों के तैयारी हेतु आवश्यकतानुसार अस्थायी रोपणी तैयार की जाती है वर्ष 2019 एवं 2020 में वन विकास निगम के परियोजना मण्डलों की विभिन्न रोपणियों में सागौन पौधों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(पौधा संख्या लाख में)

वर्ष	परियोजना मंडल का नाम						
	बारनवापारा	कोटा	पानाबरस	अंतागढ़	कवर्धा	सरगुजा	योग
2019	29.76	—	—	2.20	5.75	—	37.71
2020	3.00	7.58	14.14	12.29	6.00	2.35	45.36

रोपण वर्ष 2021 हेतु 9000 बेड तैयार कर 54 लाख सागौन रूटशूट तैयारी का कार्य किया जा रहा है।

विदोहन

निगम द्वारा प्रतिवर्ष सागौन वृक्षारोपणों का विरलन कार्य, क्राप–I में सुधार कार्य के तहत् मार्किंग एवं विदोहन, बांस कूपों एवं बाँस रोपणों में विदोहन का कार्य किया जाता है। विदोहन से प्राप्त वनोपज को निगम के 6 व्यावसायिक डिपो से नीलाम द्वारा निर्वतन किया जाता है। औद्योगिक बाँस का निर्वतन अग्रिम निविदा द्वारा किया जाता है। विगत् वर्ष में विभिन्न वनोपज का निम्नानुसार उत्पादन हुआ है :–

वानिकी वर्ष	काष्ठ (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (नग)	व्यापारिक बाँस	औद्यो.बाँस (नो.टन)
2018.19	23367	14016	321955	684

23.7 कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR)

छ.ग. राज्य वन विकास निगम कम्पनी एक्ट में पंजीकृत कम्पनी है। निगम ने अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत 31 मार्च 2019 तक 231.258 लाख रूपये के कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 31 मार्च 2019 तक 118.95 लाख व्यय किया जा चुका हैं।

23.8 आय-व्यय

विगत तीन वर्षों में निगम की आय एवं व्यय निम्नानुसार है :–

(राशि करोड़ रु. में.)

वित्तीय वर्ष	राजस्व	कुल व्यय	लाभ	कर पश्चात लाभ
2016.17	38.86	27.13	11.73	8.75
2017.18	45.60	27.71	17.89	16.02
2018.19	56.40	30.48	25.92	23.33

23.9 लेखा एवं अंकेक्षण

23.9.1 अंकेक्षण एवं लेखे की स्थिति

वित्तीय वर्ष 2018–19 तक का सांवधिक अंकेक्षण एवं सी.ए.जी. का अंकेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है, वार्षिक लेखे एवं प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखने की कार्यवाही प्रगति पर है।

23.9.2 राज्य शासन को लाभांश -

वर्ष 2018–19 के लिये राज्य शासन को 2.33 करोड़ रूपये लाभांश का वार्षिक सामान्य सभा के अनुमोदन उपरांत भुगतान किया जावेगा।

भाग – चार

24. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

निर्णय लेने की प्रक्रिया/पर्यवेक्षण के चैनल एवं उत्तरदायित्व

संघ मुख्यालय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया/पर्यवेक्षण के चैनल एवं उत्तरदायित्व का विवरण निम्न चार्ट द्वारा स्पष्ट किया जाता है :–

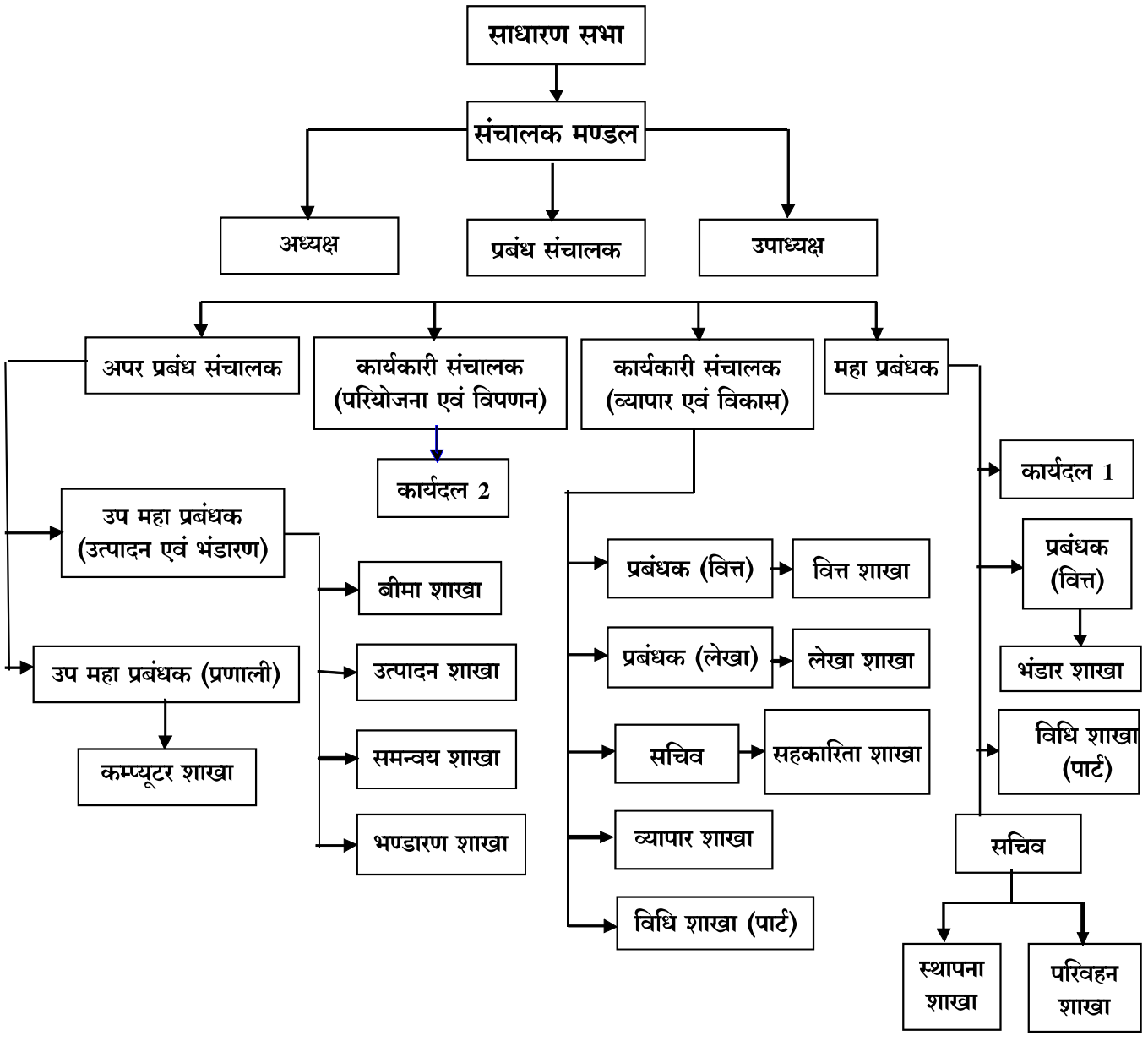

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण 31.12.2019 की स्थिति में

क्रं.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
3	महा प्रबंधक (वन संरक्षक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	उप महा प्रबंधक (उप वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	2	0	6	3	3	30	12	18	38	17	21
10	उप प्रबंधक (आंतरिक अंकेक्षण)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	निज सहायक/ निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
14	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	प्रोग्रामर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
16	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	10	7	3	11	7	4
17	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	180	146	34	180	146	34
18	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

क्रं.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक के पद			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त	स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	कर सहायक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	आंतरिक अंकेक्षण	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
21	शीघ्रलेखक	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
22	अधीक्षक	3	1	2	0	0	0	0	0	0	3	1	2
23	लेखा अधीक्षक	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	2
24	वरिष्ठ लेखापाल	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
25	लेखापाल	4	3	1	6	6	0	27	15	12	37	24	13
26	कनिष्ट लेखापाल	7	6	1	0	0	0	21	15	6	28	21	7
27	डाटा एन्ट्री आपरेटर	7	9	-2	6	6	0	31	25	6	44	40	4
28	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	सहायक वर्ग–3 / स्वागतकर्ता	21	15	6	7	6	1	61	36	25	89	58	32
31	वाहन चालक	12	9	3	3	3	0	19	11	8	34	23	11
32	दफ्तरी	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
33	संदेशवाहक	17	9	8	12	9	3	48	30	18	77	48	29
34	संदेशवाहक (सांख्येतर)	0	0	0	0	0	0	37	30	7	37	30	0
35	चौकीदार (कलेक्टर दर)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	**109**	**74**	**35**	**40**	**33**	**7**	**464**	**327**	**137**	**613**	**435**	**172**

24.1 वनोपज सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन :

वर्ष 2016 में दिनांक 18.04.2016, 20.04.2016 एवं 26.04.2016 को 901 प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों का निर्वाचन संपन्न हुआ एवं 31 जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियनों में दिनांक 01.08.2016 को निर्वाचन पूर्ण कर संचालक मंडल का गठन किया जा चुका है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य

लघु वनोपज सहकारी संघ रायपुर का निर्वाचन दिनांक 03.11.2016 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाकर संचालक मंडल का गठन पूर्ण किया जा चुका है, वनोपज संघ के निर्वाचित सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. माननीय श्री भरत साय, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – अध्यक्ष
2. श्री टीकम टांडिया, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – उपाध्यक्ष
3. कु.समीरा पैकरा, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – संचालक
4. श्रीमती सुशीला बाई, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – संचालक
5. श्री कपूर चंद बिसाई, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – संचालक
6. श्री यज्ञ दत्त शर्मा, छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ,रायपुर – संचालक

24.2 राष्ट्रीयकृत वनोपज का व्यापार

24.2.1 तेन्दू पत्ता

तेन्दू पत्ता संग्रहण वर्ष 2019 में संग्रहित होने वाले तेन्दू पत्ता के अग्रिम विक्रय हेतु 901 प्राथमिक समितियों के तेन्दू पत्ता के कुल 954 लाट बनाये गये हैं, वर्ष 2019 में तेन्दू पत्ते की संग्रहण दर रूपये 4000/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई है। जिला यूनियनों से प्राप्त जानकारी अनुसार अग्रिम में विक्रित 954 लाटों में से 949 लाटों में 15.01 लाख मानक बोरा का संग्रहित एवं भण्डारित की गयी। 949 में से 586 लाटों की 9.44 लाख मानक बोरा का विक्रय रू. 506.51 करोड़ में किया गया। औसत विक्रय दर रू. 5366/– प्रति मानक बोरा रहा।

24.2.2 संग्रहण वर्ष 2019 का तेन्दू पत्ता व्यापार

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रू. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
बीजापुर	45	80500.000	45	90204.525	90204.525	491799518.16	5452.05
सुकमा	48	90400.000	44	85438.316	27454.045	120256336.25	4380.28
दंतेवाड़ा	11	19000.000	11	22353.038	9306.787	33498658.21	3599.38
जगदलपुर	15	25100.000	15	19067.778	8469.267	25008972.21	2952.91
दक्षिण कोंडागांव	11	21000.000	11	21969.798	–	–	–
केशकाल	16	29300.000	16	30401.276	13747.275	51202491.82	3724.56
नारायणपुर	12	23100.000	12	24308.099	1613.580	5663665.80	3510.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	56	96900.000	56	98407.996	96991.051	532289633.22	5488.03

जिला यूनियन का नाम	लाटों की संख्या	अनुमानित उत्पादन (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या, जिनमें संग्रहण हुआ		विक्रित मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य (रू. में)	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
			लाटों की संख्या	वास्तविक उत्पादन (मानक बोरा में)			
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	80400.000	55	85001.855	72944.850	355025146.12	4867.04
कांकेर	24	38100.000	24	33575.785	31937.455	182584571.07	5716.94
राजनांदगांव	51	84400.000	51	75010.400	64156.715	361446543.93	5633.81
खैरागढ़	24	42600.000	24	33232.160	10036.845	44730776.60	4456.66
बालोद	18	26900.000	18	20394.850	18372.550	102762760ण25	5593.28
कवर्धा	24	40800.000	24	35284.025	—	—	—
धमतरी	23	27300.000	23	22924.443	18131.680	98072443.31	5408.90
गरियाबंद	62	84300.000	62	78521.385	69655.840	414105951.01	5945.03
महासमुंद	69	95400.000	69	77467.315	66498.150	357275633.39	5372.72
बलौदा बाजार	16	25600.000	16	19722.850	14742.080	80979148.65	5493.06
बिलासपुर	21	32200.000	21	26247.495	15115.275	79782716.99	5278.28
मरवाही	14	21900.000	14	22525.655	12144.440	67630009.54	5568.80
जांजगीर–चांपा	7	10700.000	7	9860.545	957.000	4076820.00	4260.00
रायगढ़	41	60700.000	41	52323.645	34508.915	178611060.46	5175.79
धरमजयगढ़	53	82500.000	53	73116.072	59334.385	345877196.31	5829.29
कोरबा	34	53200.000	34	53344.280	45776.510	283007817.16	6182.38
कटघोरा	39	78500.000	39	67520.440	55622.710	327215462.52	5882.77
जशपुर नगर	20	39000.000	19	26639.098	6538.030	29103320.00	4451.39
मनेन्द्रगढ़	20	44500.000	20	48528.180	16602.610	80447318.89	4845.46
कोरिया	16	33400.000	16	28084.815	12523.345	68566419.55	5475.09
सरगुजा	15	38000.000	15	31224.170	19651.565	101943256.10	5187.54
बलरामपुर	64	165700.000	64	124276.320	20451.335	85519837.30	4181.63
सूरजपुर	30	80300.000	30	64305.247	30381.740	156664123.25	5156.52
कुल योग :-	**954**	**1671700.000**	**949**	**1501281.856**	**943870.555**	**5065147608.07**	**5366.36**

वर्ष 2020 सीजन में तेन्दू पत्ता संग्रहण दर रू. 4000/– प्रति मानक बोरा राज्य शासन द्वारा घोषणा की गई है। प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2020 में लगभग 16.717 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है। तेन्दू पत्ते के अग्रिम निर्वतन हेतु दिनांक 10.01.2020 से 16.01.2020, 01.02.2020 से 04.02.2020 एवं 14.02.2020 से 17.02.2020 तक ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गई है। इस ऑनलाईन निविदा की विशेषता यह है कि इसमें निविदाकारों द्वारा निविदा दरों का प्रस्ताव तथा सत्यंकार की राशि दोनों ऑनलाईन दी जाती है, जिससे कि निविदाकारों तथा शासकीय अमले दोनों को ही बहुत सुविधा होती है।

तेन्दू पत्ता संग्रहण

तेन्दू पत्ता संग्रहण दर

24.3. बीमा शाखा

24.3.1 समूह बीमा योजना -

यह योजना 01.03.2018 से नये स्वरूप में लागू किया गया है, इस योजना के अंतर्गत शामिल होने की पात्रता विगत दो वर्ष में किसी भी वर्ष में 500 या उससे अधिक तेंन्दूपत्ता गड्डी का संग्रहण करना अनिवार्य है। इस बीमा योजना के अंतर्गत मुखिया के अतिरिक्त परिवार के 18 से 59 वर्ष के मध्य के अन्य सदस्य की मृत्यु होने पर रूपये 12,000/– प्रदाय किया जाता है।

समिति प्रबंधक के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि उपरोक्त समूह बीमा योजना हेतु मुखिया के अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों के नामांकन पत्र समिति कार्यालय में उपलब्ध हों। किसी भी समिति सदस्य की मृत्यु होने के एक माह के अंदर प्रबंधक द्वारा बीमा क्लेम तैयार कर परिक्षेत्राधिकारी को प्रेषित करता है एवं परिक्षेत्राधिकारी द्वारा बीमा क्लेम प्रपत्रों (दावा प्रपत्र, नामांकन प्रपत्र, मृत्यु प्रकाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र एवं संग्रहण कार्ड) को जांच कर 15 दिवस के भीतर जिला यूनियन कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। दावा प्रकरण के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रबंध संचालक जिला यूनियन के द्वारा अभिप्रमाणित कर संलग्न किया जाता है।

24.3.2 शिक्षा प्रोत्साहन योजना -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चो हेतु शिक्षा प्रोत्साहन योजना वर्ष 2011–12 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत :–

24.3.3 मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कार -

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अंतर्गत् कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को क्रमशः रूपये 2000/–, रूपये 2500/– तथा रूपये 3000/– का पुरस्कार दिया जाता है । वर्ष 2016–17 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2018 में 4058 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रू. 1.01 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है ।

24.3.4 व्यवसायिक कोर्स हेतु छात्रवृत्ति -

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति में प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थी जिसने किसी भी व्यवसायिक कोर्स जैसे–इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, एम.बी.ए. तथा नर्सिंग में प्रवेश लिया हो तथा जिस कोर्स के प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं हो का चयन इस छात्रवृत्ति हेतु किया जाता है, को प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– की छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत दिसम्बर 2018 में 347 छात्र/छात्राओं को कुल राशि रूपये 0.26 लाख का भुगतान किया जा चुका है ।

बस्तर क्षेत्र के समस्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से लागू है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के उपरान्त बी.एस.सी., नर्सिंग में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में रूपये 10,000/– एवं द्वितीय वर्ष तथा पश्चात्वर्ती वर्षो में रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष अधिकतम कुल 4 वर्षो तक राशि रूपये 25,000/– उपलब्ध करायी जाती है।

24.3.5 गैर व्यवसायिक स्नातक कोर्स हेतु अनुदान योजना :-

प्रत्येक प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एक छात्र व एक छात्रा जिसने किसी भी राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी गैर व्यावसायिक स्नातक कोर्स जैसे बी.ए./बी.काम./बी.एस.सी. आदि स्नातक कोर्स में प्रवेश लिया हो को कोर्स के प्रथम वर्ष में रू. 5,000/– द्वितीय वर्ष में रू. 4,000/– एवं तृतीय वर्ष में रू. 3000/– अर्थात् तीन वर्षो में कुल रू. 12,000/– की अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है । वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत 1354 छात्र/छात्राओं को कुल रू 0.62 लाख का भुगतान किया गया है ।

24.3.6 तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों के लिये शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के समस्त प्रतिभाशाली बच्चों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 10 में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 15,000/– तथा कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को रूपये 25,000/– दिया जाता है । वर्ष 2017–18 में इस योजना अंतर्गत कक्षा 10वीं के कुल 1252 छात्र/छात्राओं को राशि रू. 2.05 करोड़ एवं कक्षा 12वीं में कुल 1000 छात्र/छात्राओं को राशि रूपये 2.43 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

24.4 तेन्दू पत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि तेन्दू पत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेन्दू पत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्रति वर्ष शासन के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। वर्ष 2017 के तेन्दू पत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत राशि रूपये 749.69 करोड़ तेन्दू पत्ता संग्राहकों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण की जा चुकी है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2017	संग्रहण वर्ष 2017
		वितरण योग्य	वितरित राशि
1	2	3	4
1	बीजापुर	4,830	4,830
2	सुकमा	3,907	3,907
3	दंतेवाड़ा	682	682
4	जगदलपुर	591	591
5	दक्षिण कोण्डागांव	731	731
6	केशकाल	851	851
7	नारायणपुर	787	787
8	पूर्व भानुप्रतापपुर	4,942	4,942

क्रं.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2017	संग्रहण वर्ष 2017
		वितरण योग्य	वितरित राशि
1	2	3	4
9	पश्चिम भानुप्रतापपुर	3,139	3,139
10	कांकेर	1,891	1,891
11	राजनांदगांव	4,104	4,104
12	खैरागढ़	1,644	1,644
13	बालोद	1,265	1,265
14	कवर्धा	1,647	1,647
15	धमतरी	1,158	1,158
16	गरियाबंद	4,573	4,573
17	महासमुंद	4,315	4,315
18	बलौदाबाजार	1,069	1,069
19	बिलासपुर	1,379	1,379
20	मरवाही	993	993
21	जांजगीर–चांपा	287	287
22	रायगढ़	2,659	2,659
23	धर्मजयगढ़	4,463	4,463
24	कोरबा	2,971	2,971
25	कटघोरा	3,970	3,970
26	जशपुरनगर	1,579	1,579
27	मनेंद्रगढ़	2,101	2,101
28	कोरिया	1,635	1,635
29	सरगुजा	1,610	1,610
30	बलरामपुर	5,687	5,687
31	सूरजपुर	3,509	3,509
	योग :-	**74,969**	**74,969**

24.5. अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का व्यापार/विकास

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज एवं वनौषधि अत्यधिक मात्रा में पायी जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना एवं वन धन विकास योजना के माध्यम से लघु वनोपज संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण तथा विपणन करते हुए लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त आय प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

24.5.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना :-

भारत शासन जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत वर्तमान में क्रय किए जा रहे 15 प्रजातियों का विस्तार करते हुए 22 प्रजाति लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2019–20 में क्रय करने हेतु राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें कुसुमी, रंगीनी लाख तथा कुल्लू गोंद हेतु राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त दर बोनस के रूप में प्रदाय करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रजातिवार लघु वनोपज तालिका (वर्ष 2019-20)

क्रमांक	प्रजाति का नाम	भारत शासन द्वारा निर्धारित दर (प्रति किग्रा. रू. में)	राज्य शासन द्वारा घोषित बोनस दर (प्रति किग्रा. रू. में)	राज्य हेतु कुल निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (प्रति किग्रा. रू. में)
1	2	3	4	5
1	इमली (बीज सहित)	31	–	31
2	चिरौंजी गुठली	109	–	109
3	कुल्लू गोंद	98	22.00	120
4	बहेड़ा	17	–	17
5	पुवाड़ (चरोटा)	14	–	14
6	साल बीज	20	–	20
7	हर्रा	15	–	15
8	नागरमोथा	27	–	27
9	बेल गुदा	27	–	27
10	रंगीनी लाख	130	20.00	150
11	कुसुमी लाख	203	22.00	225
12	महुआ बीज	25	–	25
13	शहद	195	–	195
14	कालमेघ	33	–	33
15	फूलझाड़ू	30	–	30
16	जामुन बीज	36	–	–
17	कौंच बीज	18	–	–
18	धवई फूल	32	–	–
19	करंज बीज	19	–	–
20	महुआ फूल	17	–	–
21	बायबिडिंग	81	–	–
22	आंवला सूखा	45	–	–

24.5.2 वन धन विकास योजना -

ट्राइफेड नई दिल्ली द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने वाले लघु वनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण करने हेतु प्रधानमंत्री वन धन विकास योजनांतर्गत 139 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है। इसके तहत राज्य के विभिन्न स्थानों के लिए प्रत्येक केद्र के लिए रू. 15.00 लाख की अनुदान प्राप्त है।

उपरोक्तानुसार अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करते हुए प्राथमिक प्रसंस्करण कर भंडारण करने हेतु निम्नानुसार कार्य–योजना तैयार की गयी है –

24.5.2.1 लघु वनोपज का बाजार सर्वेक्षण -

वनक्षेत्र के समीप 1082 हाटबाजारों में लघु वनोपज बाजार सर्वेक्षण 480 प्रशिक्षित दलों द्वारा दिनांक 16.9.2019 से 18.9.19 तक करते हुए संग्रहित जानकारी का संकलित कर विश्लेषण किया गया है। इसके आधार पर यह पाया गया है कि राज्य में 70 लघु वनोपज प्रजाति का व्यापार 1100 करोड़ रू. से अधिक है।

24.5.2.2 संग्रहण केन्द्र स्थापना -

उपरोक्त सर्वेक्षण के आधार पर लघु वनोपज क्रय करने हेतु 821 हाट बाजारों में लघु वनोपज संग्रहण केंद्र स्थापित किये गये हैं। उपरोक्त 821 हाट बाजारों के अंतर्गत आने वाले 3000 से अधिक ग्रामों में तथा हॉटबाजारों में लघु वनोपज संग्रहण करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा अन्य विभागों द्वारा गठित सक्रिय महिला स्व सहायता समूहों को फड़मुंशी तथा केंद्र प्रभारी के रूप में चयन कर प्रशिक्षित किया गया है।

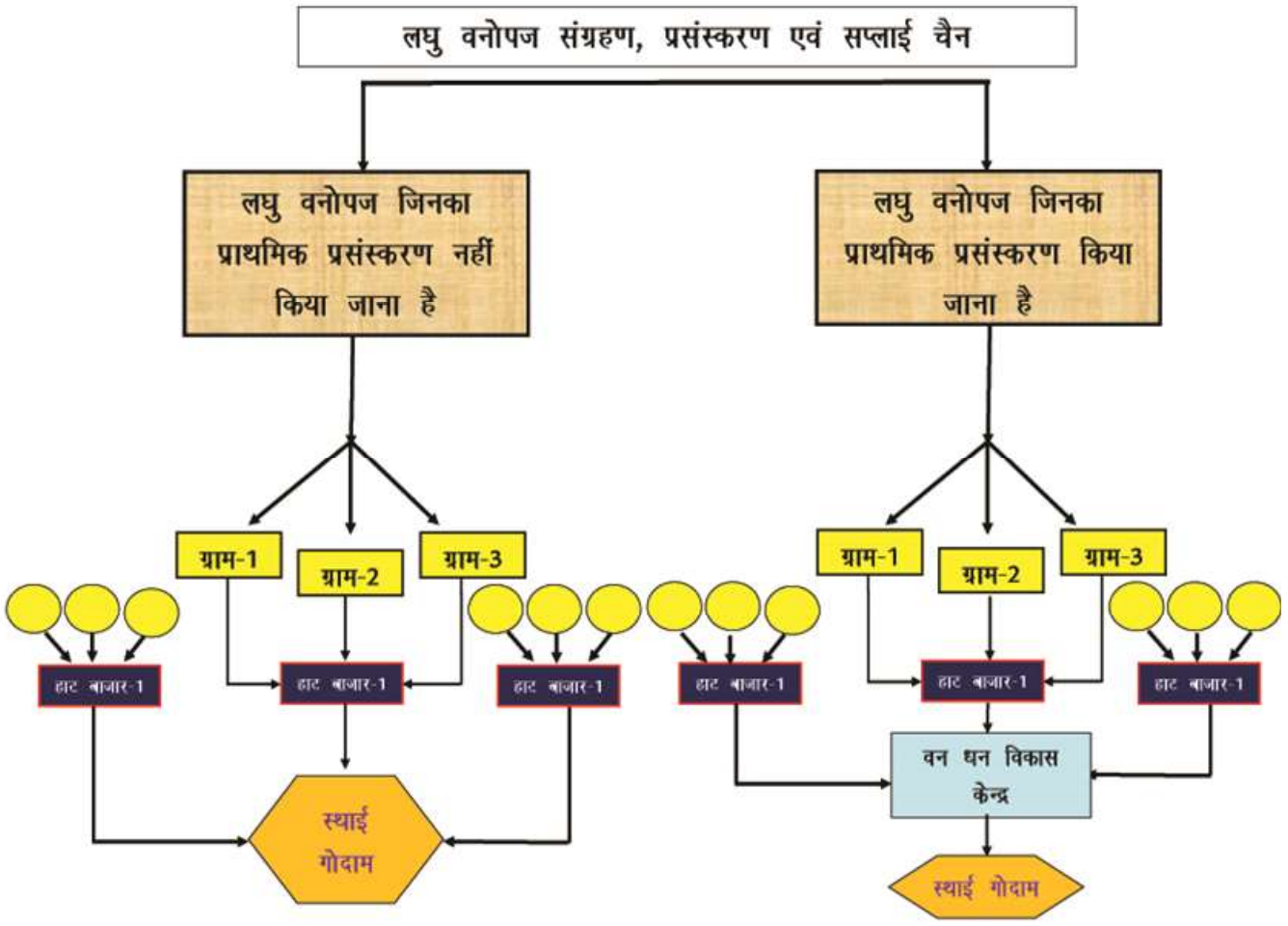

24.5.2.3 वन धन विकास केन्द्र स्थापना -

प्राप्त लघु वनोपजों का प्राथमिक प्रसंस्करण करने हेतु 139 केंद्रों में प्रत्येक केंद्र में 10 महिला स्व सहायता समूहों का चयन कर प्रशिक्षित किया गया है।

24.5.2.4 संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण लक्ष्य -

उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से वर्ष 2020 में रू. 100 करोड़ लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किए जाने तथा रू. 25 करोड़ लघु वनोपज का प्राथमिक प्रसंस्करण किया जाना प्रस्तावित है।

24.5.2.5 हितग्राही लक्ष्य -

इसी प्रकार उपरोक्त कार्यों हेतु लगभग 5500 महिला स्व सहायता समूह का उपयोग किया जावेगा, जिससे 50000 से अधिक महिलाओं को लघु वनोपज आधारित विकास केंद्रों में जोड़ते हुए उनकी आय वृद्धि किया जावेगा

24.6. विगत वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य अंतर्गत क्रय प्रगति -

वर्ष 2014 से 2019 तक लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय की गयी वनोपज मात्रावार तालिका 02 में दर्शाया गया है, जिसका कुल मूल्य वर्षवार दर्शाया गया है :

क्र.	वनोपज का नाम	वर्षवार संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	साल बीज	125676.050	111982.610	2807.580	123181.970	1224.680	61423.984
2	हर्रा	34644.720	57126.900	3087.760	127.070	1803.130	–
3	इमली (बीज सहित)	–	35642.100	893.610	–	–	100.806
4	चिरौंजी गुठली	–	6329.280	7860.293	135.670	1472.710	959.920
5	महुआ बीज	–	4879.229	50.700	1490.445	4.50	2664.370
6	कुसुमी लाख	–	3349.806	3506.339	20.436	1109.670	259.540
7	रंगीनी लाख	–	1402.028	1011.066	160.995	487.961	121.707
8	गम कराया (कुलु गोंद)	–	–	–	–	–	–
9	नागरमोथा	–	–	–	–	27.600	–
10	शहद	–	–	–	–	–	–
11	बहेड़ा	–	–	–	–	357.620	1133.700
12	बेल गुदा	–	–	–	–	–	–
13	कालमेघ	–	–	–	–	113.410	11.700
14	फूलझाड़ू	–	–	–	–	–	–

क्र.	वनोपज का नाम	वर्षवार संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
15	पुवाड बीज	–	–	–	–	–	–
16	महुआ फूल (सूखा)	–	–	–	–	–	–
17	जामुन बीज (सूखा)	–	–	–	–	–	–
18	कौच बीज	–	–	–	–	–	–
19	धवई फूल (सूखा)	–	–	–	–	–	–
20	करंज बीज	–	–	–	–	–	–
21	बायबडिंग	–	–	–	–	–	–
22	आंवला बीज रहित (बीज रहित)	–	–	–	–	–	–

24.7 प्रशिक्षण - प्रशिक्षण के प्रमुख विषय

24.7.1 सप्लाई चेन प्रबंधन - 821 संग्रहण केन्द्र एवं 139 वनधन केन्द्र में कार्य करने वाले 50000 हितग्राहियों को केन्द्र के संचालन, प्रबंधन, अभिलेखन, गोदामीकरण इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रेरक, समिति प्रबंधक, फड़ अभिरक्षक एवं अन्य सदस्य, वनप्रबंधन समिति, अमलों को भी प्रशिक्षित किया जावेगा। इसके अंतर्गत वर्तमान में 5000 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया।

24.7.2 उत्पाद विशेष प्रशिक्षण - वन धन केन्द्रों से संलग्न महिला स्व–सहायता समूहों को लघु वनोपज का उत्तम प्रसंस्करण विधि एवं बाजार मानक अनुसार प्रसंस्करण इत्यादि विषय पर प्रशिक्षित किया जावेगा।

24.7.3 विपणन प्रबंधन - वनधन केन्द्र, संग्रहण केन्द्र के प्रभारी महिला स्व–सहायता समूह के माध्यम से क्रय / प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन के लिये वनधन केन्द्र से संलग्न हितग्राही, प्रेरक, समिति प्रबंधक एवं अमलों को भी प्रशिक्षित किया जावेगा।

24.7.4 लघु वनोपज का संवर्धन एवं खेती - लघु वनोपज आधारित रोजगार को सतत् रूप से जारी रखने के लिये लघु वनोपज की पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु लघु वनोपज का खेती एवं संवर्धन

प्रस्तावित है। इस हेतु ग्राम स्तर के महिला स्व–सहायता समूहों, संग्रहण केन्द्र के प्रभारी महिला स्व–सहायता समूह, संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं अमलों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

24.7.5 वैकल्पिक आजीविका के विकल्प - लघु वनोपज आधारित रोजगारों को सतत् रूप से जारी रखने के लिये एवं लघु वनोपज आधारित रोजगार के विस्तार के लिये वन धन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र के प्रभारी महिला स्व–सहायता समूह, ग्राम स्तर महिला स्व–सहायता समूह तथा प्रत्येक प्रशिक्षण में कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी /कर्मचारी, प्रबंधन समिति/वनोपज प्राथमिक समिति सदस्य, प्रेरकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

24.8. लोक संरक्षित क्षेत्रा स्थापना -

- आंवला, बेल, महुआ, चिरौंजी, माहुल बेला आदि तथा औषधीय से समृद्ध वन क्षेत्र को चिंहाकित कर में लोक संरक्षित क्षेत्र योजनांतर्गत संवर्द्धन तथा उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2017–18 में 6 परियोजनाएं तथा वर्ष 2018–19 में 13 परियोजनाएँ कुल 19 परियोजनाएं 18175 हेक्ट. में स्वीकृत की गयी है तथा संघ/आदिवासी उप–योजना मद में 13675 हेक्ट. में रखरखाव का कार्य कराया गया है।
- वर्ष 2019–20 में नयी लोक संरक्षित क्षेत्र की 05 परियोजनाएं स्वीकृत की जावेगी। संघ/आदिवासी उपयोजना मद से 26975 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख–रखाव का कार्य 2019–20 में किया जावेगा।
- वर्ष 2020–21 में 05 परियोजनाएं स्वीकृत की जावेगी तथा संघ एवं आदिवासी उपयोजना मद में 23500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रख–रखाव का कार्य 2020–21 में किया जावेगा।

24.9. लाख पालन

- राज्य में लाख पालन से प्राप्त आय को ध्यान में रखते हुए लाख वार्षिक उत्पादन को 4000 टन से 10000 टन तक 03 वर्ष में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है।
- लाख क्षेत्र विस्तार – कुसुम, बेर, वृक्षों पर तथा पलाश वृक्षों पर ब्रुड लाख स्थापना किया जावेगा।
- पी.व्ही.टी.जी. युवा को लाख पालन तकनीकी रूप से करने हेतु विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजना किया जाना प्रस्तावित है।
- वर्ष 2018–19 में लाख विकास योजना अंतर्गत कुल 13 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है, जिसके अंतर्गत 1759 हितग्राही 46544 पोषक वृक्षों के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं तथा 15 प्रतिशत राशि से 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है जिसके अंतर्गत 1876 हितग्राही 29187 पोषक वृक्षों के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं।
- वर्ष 2019–20 में लाख विकास योजना अंतर्गत 15 नवीन परियोजनाएं स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- योजनांतर्गत कुल 9 लाख प्रसंस्करण इकाई संचालित है, जिसमें कुल 149.51 क्वि. कुसुमी दाना लाख तथा 25.69 क्वि. रंगीनी दाना लाख तैयार किया गया है।

24.10. माइक्रोइंटरप्राइजेस सुदृढ़ीकरण -

विशेष कार्य योजना के तहत् माइक्रोइंटरप्राइजेस सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जावेगा। स्थापित माइक्रोइंटरप्राइजेस को वन धन विकास केंद्रों से जोड़कर वांछित प्रगति प्राप्त करने का लक्ष्य है। आवश्यकतानुसार माइक्रोइंटरप्राइजेस को सुदृढ़ीकरण हेतु राशि संघ द्वारा ब्याज मद से स्वीकृत परियोजना से प्रदान की जावेगी।

24.11 उद्यमिता विकास कार्यक्रम

लघु वनोपज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य में उद्यमिता विकास हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019 में लघु वनोपज हेतु विशेष प्रावधान किया जाकर लघु वनोपज औद्योगिक नीति को जोड़ा गया है। इसमें लघु वनोपज आधारित उद्योगों को अति प्राथमिकता के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। सूक्ष्म, वृहद एवं समस्त प्रकार के लघु वनोपज आधारित उद्योग स्थापना में विशेष छूट का प्रावधान रखा गया है। लघु वनोपज औद्योगिक नीति से निवेशक आकर्षित होकर लघु वनोपज आधारित उद्योग स्थापित करेंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये संघ में एक विशेष सेल का गठन किया जावेगा। निजी क्षेत्र में छोटे उद्यमियों का चिन्हांकन, मेन्टरिंग कर माइक्रोइंटरप्राईजेस स्थापना की जावेगी।

CHHATTISGARH
HERBALS
Quality Forest Products

संजीवनी
कच्चे लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादो का विक्रय केन्द्र
व्यापार

भाग – पांच

25. छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड

25.1 छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड के मुख्य दायित्व -

- औषधि पौधों का अंतः एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण एवं संवर्धन कार्य।
- औषधि पौधों की पहचान एवं संसाधनों का सर्वेक्षण।
- औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विनाशविहीन विदोहन हेतु नीति तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- वनौषधियों के निर्माण तथा उत्पादों का विपणन।
- पारम्परिक चिकित्सकों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध परम्परागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण कार्य।
- वनौषधियों से संबंधित अन्य अनुषांगिक कार्य।

25.2 छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की पद संरचना

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के संकल्प दिनांक 28 जुलाई 2004 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना की गई है । बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के साथ कुल 12 सदस्य है।

बोर्ड के स्वीकृत पद संरचना का विवरण निम्नानुसार है –

क्रं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
01.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मुख्य वनसंरक्षक ग्रेड का)	01	01	–
02.	अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी (वन संरक्षक स्तर का)	01	–	01
03.	आयुर्वेदिक औषधि विशेषज्ञ (संयुक्त संचालक ग्रेड का)	01	01	–
04.	शीघ्रलेखक	01	–	01
05.	लेखापाल	01	–	01
06.	डाटाएन्ट्री आपरेटर	02	–	02
07.	उच्च श्रेणी लिपिक	01	–	01

क्रं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
08.	स्वागतकर्ता	01	—	01
09.	संदेशवाहक	02	02	—
10.	वनक्षेत्रपाल	02	—	02
11.	उप वनक्षेत्रपाल	02	—	02
12.	निज सहायक	01	00	01
13.	सहायक ग्रेड—2	01	00	01
14.	सहायक ग्रेड—3	02	00	02
15.	भृत्य	01	00	01

बोर्ड के कार्य मुख्य रूप से वन विभाग के मैदानी अमले के माध्यम से संपन्न किये जाते हैं।

25.3 बजट की जानकारी

राज्य मद - (राशि रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	आबंटन राशि	व्यय राशि
2018—19	880.00	1002.34

* वर्ष 2019-20 के लिए 880.00 लाख की बजट का प्रस्ताव भेजा जा चुका है ।

25.4 राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड -

आयुष मिशन -

वित्तीय वर्ष	आबंटन	व्यय
2017—18	154.64	27.73
2018—19	178.00	0.00
2019—20	107.86	0.57

न्यूक्लियस सेंटर मद -

वित्तीय वर्ष	आबंटन	व्यय
2018—19	20.00	7.09
2019—20	0	4.73

25.5 बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य

छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड में प्रचलित योजनाओं की अद्यतन जानकारी –

25.5.1 राज्य मद अंतर्गत कार्य -

- बोर्ड द्वारा 24 नवंबर 2019 को रायपुर में वृहद राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1205 वैद्य सम्मिलित हुए।
- होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत 18 वनमंडलों मे 25.79 लाख औषधीय पौधों को तैयार कर निःशुल्क वितरण सितम्बर 2019 तक वितरण किया जा चुका है।
- गरियाबंद वनमंडल में 216.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में औषधीय पौधा वृक्षारोपण कार्य वर्षा ऋतु 2019 में किया गया।
- वर्ष 2016–17 में 06 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र (MPCA) की स्थापना किया गया।
  (बस्तर 200 हे., कटघोरा 300 हे. एवं पश्चिम भानुप्रतापपुर में 04 स्थानों पर 700 हे. में स्थापना किया गया। कुल क्षेत्रफल 1200 हे.)।
- छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड द्वारा 30 हे. में 14 हर्बल गार्डन स्थापित किया गया।

औषधीय पौधों का वितरण

25.5.2 कैम्पा मद अंतर्गत कार्य -

- बोर्ड द्वारा कैम्पा परियोजना अंतर्गत 05 वर्ष हेतु रू. 7.38 करोड़ की पंचवर्षीय योजना "Mainstreaming conservation and sustainable use of medicinal plant diversity in Chhattisgarh" प्रचलित है।
- इसके तहत 01 औषधीय पौधा संरक्षण एवं विकास क्षेत्रा (MPDA) की स्थापना हेतु केशकाल वनमंडल में क्षेत्रफल 733 हे. वर्ष 2018–19 में स्वीकृति जारी की गई है।
- योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 में 07 औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्र क्रमशः कोरबा 200 हे., बलरामपुर

200 हे., धरमजयगढ 200 हे., कटघोरा 200 हे., धमतरी 200 हे., सरगुजा 200 हे. में तथा केशकाल वनमंडल में 249.45 हे. में स्थापना की गई है। कुल क्षेत्रफल 1449.45 हे.।

- राजनांदगांव वनमंडल में होम हर्बल गार्डन स्थापना हेतु 12.00 लाख रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
- परियोजना अंतर्गत एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में विनाश विहीन विदोहन, बॉटनिकल तथा इकोलॉजिकल सर्वे, ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण, विभाग के कर्मचारियों, स्थानीय पारंपरिक वैद्यों एवं ग्रामीणों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम, लोक जैव विविधता रजिस्टर एवं प्रचार–प्रसार गतिविधि शामिल है।
- एम.पी.डी.ए. क्षेत्रों में सर्वे सीमांकन, सुरक्षा, भूजल संरक्षण एवं रोपण आदि कार्य शामिल है।

ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ एवं विनाश विहीन विदोहन प्रशिक्षण

पी.बी.आर. प्रशिक्षण

एम.पी.सी.ए. एवं एम.पी.डी.ए.

25.6 राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के वित्तीय सहयोग से विभिन्न मदों में प्रचलित कार्य -

- **राष्ट्रीय आयुष मिशन -**

नर्सरी की स्थापना एवं कृषिकरण कार्य किया जाना है। धमतरी वनमंडल में 03 लाख औषधीय पौधा तैयारी हेतु नर्सरी की स्थापना कर 1.50 लाख औषधीय पौधें तैयार किए गए एवं 61 हितग्राहियों द्वारा 54.7 हे. में कृषिकरण कार्य किया गया।

- **राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड -**

यू.एन.डी.पी. परियोजना अंतर्गत वर्ष 2008 में स्थापित 07 एम.पी.सी.ए. क्षेत्रों में (बस्तर, धमतरी, खैरागढ़, मरवाही, जशपुर, सरगुजा, दक्षिण कोण्डागांव में) जे.एफ.एम.सी. द्वारा वनोपज का संग्रहण कर

प्राथमिक प्रसंस्करण व मार्केटिंग हेतु गोडाउन एवं ड्राईंग शेड निर्माण किया जाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में खैरागढ़, सूरजपुर वनमंडल को उक्त कार्य हेतु राशि आबंटित।

- **न्यूक्लियस सेन्टर छत्तीसगढ़ -**

एन.एम.पी.बी. द्वारा स्वीकृत न्यूक्लियस सेन्टर अंतर्गत औषधीय पौधों के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, सेमिनार, स्टेकहोल्डर बैठक, किसानों को औषधीय पौधों की खेती किये जाने हेतु प्रशिक्षण तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेला/प्रदर्शनी में भागीदारी किये जाने हेतु बजट उपलब्ध कराया जाता है।

न्यूक्लियस सेंटर मद (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्तीय पोषित) अंतर्गत बोर्ड द्वारा 24 नवम्बर 2019 को आयोजित वृहद राज्य स्तरीय सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन तकनीक/गुड एग्रीकल्चर प्रेक्टिसेस/गुड फील्ड कलेक्शन प्रेक्टिसेस तथा एन.एम.पी.बी. द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यों पर व्याख्यान कराया गया।

प्रशिक्षण/वैद्य सम्मेलन

क्र.	विषय	संख्या	लाभान्वित ग्रामीणों की संख्या लगभग
01.	वैद्य सम्मेलन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम रायपुर (24 नवंबर 2019)	01	1205
02.	ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ प्रशिक्षण (2012 से 2019 तक)	05 बैच	133
03.	क्षमता विकास प्रशिक्षण (अगस्त 2019)	01	25
04.	औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन संग्रहण प्रशिक्षण (मार्च 2019)	01	115
05.	लोक जैव विविधता पंजी तैयार करने हेतु प्रशिक्षण (मार्च 2019)	01	40
06.	औषधीय पौधों का विनाश विहीन विदोहन संग्रहण प्रशिक्षण एवं जैविक प्रमाणीकरण (22 सितम्बर 2017–धमतरी एवं मरवाही)	02	250
07.	जी.ए.पी./जी.एफ.सी.पी. प्रशिक्षण (03 जनवरी 2018–धमतरी)	01	150
08.	वृत्त स्तरीय वैद्य सम्मेलन (मई–जून 2016)	06	700

वैद्य सम्मेलन सह प्रशिक्षण 24 नवंबर 2019

25.7 प्रचार-प्रसार कार्य

- फेसबुक, ट्विटर तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में पाये जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय प्रजातियों के उपयोग हेतु प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।
- जनवरी 2019 से 31 जुलाई 2019 तक 02 राज्य स्तरीय तथा 01 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में बोर्ड द्वारा भागीदारी की गई।
- कैम्पा परियोजना अंतर्गत किये गये कार्यो को समाहित करते हुए 01 लघुवृत्त चित्र का निर्माण कराया गया।

प्रचार-प्रसार एवं जागरुकता

25.8 छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों को आम जनता तक उपलब्ध कराने तथा प्रचार-प्रसार हेतु संचालित केन्द्र

- हर्बल उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले 03 स्व–सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बोर्ड द्वारा अपने विक्रय केन्द्र के माध्यम से विपणन की सुविधा उपलब्ध कराती है तथा एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट जो छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ के अधीन है, वहाँ से भी हर्बल उत्पादों को प्राप्त कर बिक्री की जाती है।
- विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों से आएं आमजनों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय/प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से :
  - 02 हर्बल उत्पाद विक्रय केन्द्र का संचालन रायपुर रेलवे स्टेशन एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल, रायपुर पर किया जा रहा है, जहां से हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग राशि रू. 90,000/– प्रति माह विक्रय होता है।
  - फरवरी 2019 से अनुपम गार्डन, जी.ई. रोड़ रायपुर पर पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्थानीय लोगों के मध्य छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों का विक्रय/प्रचार–प्रसार हेतु अस्थायी (किओस्क) के माध्यम से हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग राशि रू. 3000/– प्रति माह विक्रय होता है।

25.9 वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कार्य

- वनमंडलों में नवीन क्षेत्रों में औषधीय रोपण कार्य।
- औषधीय पौधा संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना उन वनमंडलों में जहाँ पूर्व में स्थापित नहीं की गई है।
- होम हर्बल गार्डन योजनांतर्गत नर्सरियों की स्थापना कर निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण।
- ग्रामीण वनस्पति विशेषज्ञ एवं परंपरागत वैद्यों का प्रशिक्षण सह सम्मेलन का आयोजन।
- न्यूक्लियस सेंटर अंतर्गत (एन.एम.पी.बी. द्वारा वित्तपोषित) अंतर्गत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में 01 कार्यशाला तथा 50 किसानों को औषधीय पादपों के कृषिकरण हेतु प्रशिक्षण का आयोजना किया जावेगा।
- औषधीय पौधों के कृषिकरण हेतु वनमंडल स्तर पर कृषकों का चयन कर प्रोत्साहन किया जावेगा।
- औषधीय पौधौं एवं उनसे संबंधित अद्यतन जानकारियों का पोर्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- औषधीय पौधों की जानकारियों से परिपूर्ण एटलस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

भाग – छः

26. छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड

26.1 **छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का पुर्नगठन** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8–21/2005/10–2 दिनांक 09.01.2020 के द्वारा किया गया। **छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के पदाधिकारी निम्नानुसार हैं** :-

I. **अध्यक्ष** श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक – अध्यक्ष
एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड

II. **पदेन/शासकीय सदस्य**

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) छत्तीसगढ़ – सदस्य
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/योजना) – सदस्य
3. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय – सदस्य
4. कुलपति, छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा – सदस्य

III. विशेषज्ञ/अशासकीय सदस्य

1. प्रो. एम.एल.नायक, पूर्व विभागाध्यक्ष (स्कूल ऑफ लाईफ साईसेंस)
पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर – सदस्य
2. संचालक, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया – सदस्य
3. संचालक, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया – सदस्य
4. डॉ. फैयाज ए. खुदसर, वैज्ञानिक – सदस्य
बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम,
5. श्री अशोक तिवारी (से.नि.) क्यूरेटर – सदस्य
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल

IV. सदस्य सचिव

1. राज्य शासन द्वारा नियुक्त/नामांकित – सदस्य सचिव
वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

26.2 **छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम** - 2015 छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 08–04/2011/10–2 दिनांक 01 जून 2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का सं. 18) के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ जैव विविधता नियम का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र क्र. 26 रायपुर दिनांक 26 जून 2015 में किया गया है।

26.3 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के आदेश क्र./एफ 8–21/2005/10–2 दिनांक 16.07.2019 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

26.4 **जैव विविधता अधिनियम 2002** के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में निम्नानुसार स्थानीय निकायों में BMCs का गठन किया जाना आवश्यक है :–

क्र.	जैव विविधता प्रबंधन समिति का स्तर	संख्या
1	पंचायत स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	10963
2	जनपद स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	146
3	जिला स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	27
4	नगरीय निगम स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	12
5	नगर पालिका स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	43
6	नगर पंचायत स्तर पर बनाये जाने जैव विविधता प्रबंधन समिति	110
	कुल	**11301**

26.5 वर्तमान तक कुल 11289 जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के गठन एवं 72 लोक जैवविविधता पंजी (पी.बी.आर.) निर्माण की कार्यवाही की गयी हैं। शेष जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) एवं लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) के निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है।

26.6 मुख्य वैज्ञानिक नोडल अधिकारी पी.पी.व्ही. एंड एफ.आर.ए. डिपार्टमेंट ऑफ जैनेटिक एंड प्लान्ट ब्रिडिंग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट "Mainstreaming of agricultural biodiversity conservation and documentation of enriched heritage sites of Chhattisgarh to ensure commercialization services" अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी वनमंडल के 12 ग्राम पंचायतो Bagroomnala, Bedhawabathra, Jhunjhrakasha, Gondlanala, Pandripani, Keramuda, Hitali, Kavhabahra, Kekrakholi, Bhandarwadi, Sonjhari, Mudkera में धान के विभिन्न जैविक प्रजातियों के अध्ययन करने हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति (बी.एम.सी.) के गठन एवं लोक जैव विविधता पंजी (पी.बी.आर.) निर्माण की कार्यवाही की गयी है।

26.7 मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा) छ.ग., अटल नगर, रायपुर के द्वारा कैम्पा मद के अतिरिक्त ए.पी.ओ. 2018–19 में बायोडायवर्सिटी प्रबंधन एवं बायोडायवर्सिटी रिर्सोस के विकास हेतु एन.पी.व्ही. मद के अंतर्गत राशि निम्नानुसार कार्यो हेतु स्वीकृत किया गया :–

1. बायोडायवर्सिटी के संरक्षण हेतु बी.एम.सी. की स्थापना।
2. बायोडायवर्सिटी के संरक्षण हेतु पी.बी.आर. का निर्माण।

उपरोक्त कैम्पा मद के ए.पी.ओ. वित्तीय वर्ष 2018–19 में छत्तीसगढ़ राज्य में 550 बी.एम.सी. के गठन एवं 550 पी.बी.आर. के निर्माण हेतु राशि रू. 991.00 लाख की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है।

26.8 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक एफ. 8–4/2011/10–2 रायपुर दिनांक 01.08.2015 के द्वारा छ.ग.रा.जै.वि.बोर्ड एवं BMCs के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये सक्षम एवं उत्तरदायी संस्था के रूप में प्रत्येक वनमंडल स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (Technical Support Group) के गठन के लिये जिले के वनमंडलाधिकारी को उक्त समूह के नोडल अधिकारी/समन्वयक के रूप में कार्य करने हेतु उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त 34 वनमंडलाधिकारियों/नोडल अधिकारियों के द्वारा उनके जिलों में तकनीकी सहायता समूह के गठन के आदेश जारी किये गये है।

26.9 छ.ग.रा.जै.वि. बोर्ड, रायपुर द्वारा निम्नानुसार पुस्तकों के प्रकाशन में सहयोग किया गया हैं :–

क्र.	पुस्तक का नाम	लिपि
1.	Biological Diversity Act - 2002	अंग्रेजी
2.	जैव विविधता अधिनियम 2002	हिन्दी
3.	जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के प्रचालन के लिए दिशा निर्देश	हिन्दी
4.	Reptiles of Chhattisgarh	अंग्रेजी
5.	SOUVENIR "On the Occasion of World Biodiversity Day 22nd May 2016"	हिन्दी
6.	मानक परिचालन प्रक्रिया संदर्भ बाघ एवं तेन्दुआ	हिन्दी
7.	छत्तीसगढ़ राज्य जैव–विविधता बोर्ड से संबंधित अधिनियम/नियम एवं दिशानिर्देश	हिन्दी एवं अंग्रेजी

26.10 छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड की वेबसाईट www.cgsbb.org संचालित है।

26.11 स्टेट बायोडायवर्सिटी के स्टेट्रजी एवं एक्सन प्लान (SBSAP) तैयार करने हेतु राशि रू. 40.66 लाख का प्रोजेक्ट की स्वीकृति यू.एन.डी.पी. द्वारा की गयी है। जिसके लिए एन.जी.ओ. वाइल्ड लाइफ एंड व्ही फाउन्डेशन, मुम्बई संस्था से अनुबंध कर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

26.12 छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वनवृत्तों में जैवविविधता प्रबंधन समिति (BMC) के गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी (PBR) के निर्माण हेतु कार्यशाला आयोजित कर क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सदस्य सचिव एवं उप वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा जैवविविधता संबंधित विषयों पर कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

राजकीय पशु वन भैंसा

राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना

लोक संरक्षित क्षेत्र में धृतकुमारी औषधि पौधे का रोपण

स्टापडेम, ग्राम अर्जुनी

सफल बांस वृक्षारोपण

महिला स्व-सहायता समूह द्वारा वन-धन केंद्र में
माहुल पत्ता द्वारा दोना पत्ता निर्माण कार्य

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नॉर्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर

फोन : 0771- 2512800, फैक्स : 0771-2512801

Email : cgpccf.forest@gmail.com pccf-fhq@cg.gov.in website : www.cgforest.com